दलित भूमि तथा आजीविका अधिकारों पर प्रशिक्षण मार्गदर्शिका

Training Manual on Dalit Land and Livelihood Rights

मैन्यूल

दलित अधिकार केन्द्र

Training Manual on Dalit Land and Livelihood Rights

दलित भूमि तथा आजीविका अधिकारों पर प्रशिक्षण मार्गदर्शिका (मैन्यूल)

दलित अधिकार केन्द्र

सी–56, प्रथम मंजिल, सिवाड़ एरिया,
बापू नगर, जयपुर–302015
टेलिफैक्स : 0141–2703736, 2703923
E-mail : rajasthancdr@yahoo.com, cdrjaipur@gmail.com
Website : www.dalitrights.org

दलित भूमि तथा आजीविका अधिकारों पर प्रशिक्षण मार्गदर्शिका

© दलित मानवाधिकार केन्द्र समिति द्वारा प्रकाशित

संस्करण : नवम्बर 2008

सहयोग राशि : 100 रुपये मात्र

मुद्रक : कल्पना ऑफसेट, साँगानेर, जयपुर

अनुक्रमणिका

प्राक्कथन 7–8

शब्दावली 9–12

भाग –1 दलित भूमि तथा आजीविका अधिकारों पर प्रशिक्षण 13–16

1.1 प्रशिक्षण मार्गदर्शिका की आवश्यकता

1.1.1 दलित भूमि अधिकारों पर प्रशिक्षण

1.1.2 प्रशिक्षकों एवं सहभागियों का चयन

1.1.3 प्रशिक्षण के संदर्भ में सामान्य निर्देश

1.1.4 प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्थाऐं

1.2 प्रशिक्षण का तरीका

1.2.1 सम्प्रेषण द्वारा

1.2.2 समूह चर्चा

1.2.3 केस स्टडी/अनुभव

1.2.4 रोल प्ले

भाग –2 दलित भूमि तथा आजीविका–अर्थ तथा अवधारणा 17–33

2.1 छुआछूत और कुछ सैद्धान्तिक पहलू

2.2 राजस्थान में स्वतंत्रता पूर्वक व पश्चात् भूमि प्रबन्ध एवं स्वामित्वता की भूमिका

2.3 भूमि के प्रकार

2.4 दलितों को भूमिहीन तथा सीमान्त कृषक बनानें की ऐतिहासिक प्रक्रिया

2.5 दलित भूमि अधिकार जरूरी क्यों ?

2.6 दलित भूमि बनाम राजनैतिक दल

2.7 भूमि सुधार या भ्रामक समर्थन

2.8 दलित और ऋण राहत विधान

2.9 दलित भूमि से सम्बन्धित कुछ आंकड़े

2.10 दलित बनाम वैश्वीकरण

भाग– 3 विधिक प्रावधान 34–62

3.1 संवैधानिक प्रावधान

3.2 भूमि–संरक्षण एवं सुधार सम्बन्धी प्रावधान

3.2.1 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

3.2.2 अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 व नियम 1995

3.2.3 राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 व नियम 1973

3.3 भूमि आवंटन सम्बन्धी प्रावधान

3.3.1 राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवटंन) अधिनियम 1956

3.3.2 राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवटंन) नियम 1970

3.3.3 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994

3.3.4 राजस्थान उपनिवेशन (कमजोर वर्गो को रिहायशी भूमि आवंटन) नियम 1974

3.4 भूमि से बेदखली सम्बन्धी प्रावधान

3.4.1 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

3.4.2 महत्वपूर्ण सरकारी परिपत्र

3.5 पुर्नस्थापन एवं पुर्नवास सम्बन्धी प्रावधान

3.5.1 राष्ट्रीय पुर्नस्थापन एवं पुर्नवास नीति–2007

3.5.2 अनु. जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 व नियम 1995

3.5.3 मैला ढोने का कार्य एवं शुष्क शौचालय निर्माण (निषेध) अधिनियम 1993

3.6 आर्थिक स्वावलम्बन सम्बन्धी प्रावधान

3.6.1 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना–2005

3.6.2 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1946

3.7 अनु. जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 व नियम 1995 की मुख्य विशेषताऐं

3.8 विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, नियम 1995

3.9 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994

3.10 सूचना का अधिकार

3.11 विशेष आर्थिक जोन अधिनियम–2000

3.12 अन्य भूमि से सम्बन्धित मुख्य प्रावधान

3.12.1 रास्तों के विवाद

3.12.2 सीमा ज्ञान

3.12.3 नामान्तरण

3.12.4 अभिलेख शुद्धिकरण

3.12.5 भूमि रूपान्तरण

3.12.6 खातेदारी अधिकार प्राप्त करना

3.13 राजस्व तथा अपराधिक न्यायालय

3.14 अन्तर्राष्ट्रीय मानक

3.15 भूमि से सम्बन्धित परिपत्र

भाग–4 तथ्यान्वेषण तथा रिपोर्ट लेखन 63–77

4.1 तथ्यान्वेषण हेतु महत्वपूर्ण निर्देश

4.2 तथ्यान्वेषण के प्रमुख तत्व

4.3 साक्षात्कार की तैयारी तथा साक्षात्कार करना

4.4 दलित भूमि से सम्बन्धित प्रश्नावली

4.5 जमीनों के प्रकार

4.6 फेक्ट–फाईडिंग रिपोर्ट का फॉरमेट

4.7 एडवोकेसी

भाग–5 आर्थिक परिपेक्ष्य में महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाऐं 78–81

5.1 अनुसूचित जाति के लिए विशिष्ट संघटक योजना

5.2 विशेष केन्द्रीय सहायता

5.3 राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एंव विकास सहकारी निगम लिमिटेड

5.4 स्वच्छकारों एवं उनके आश्रितो की मुक्ति एवं उनके पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना

5.5 सम्बल ग्राम विकास योजना

भाग–6 बैंकिग योजनाऐं, भूमि तथा अन्य प्रकार के प्रपत्र 82–96

6.1 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और उससे संबद्ध नियमों द्वारा संचालित विभिन्न आर्थिक विकास की (बैंकिग) योजनाओं के प्रपत्र

6.1.1 सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम की मियादी ऋण योजना

6.1.2 अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम की ऋण योजना

6.1.3 विकलांग वित्त एवं विकास निगम की ऋण योजना

6.1.4 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की ऋण योजना

6.1.5 संबल ग्राम विकास योजना

6.2 भूमि तथा अन्य प्रकार के प्रपत्र

6.2.1 कृषि भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र

6.2.2 गलत तरीके से आवंटित हुई कृषि भूमि का निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र

6.2.3 अवैध बेदखली हेतु प्रार्थना पत्र

6.2.4 अवैध अन्तरण/उपपट्टे पर देने के कारण बेदखली का प्रार्थना पत्र

6.2.5 रास्तो के विवादों के निस्तारण हेतु प्रार्थना पत्र

6.2.6 अत्याचार में मृतक के परिवारजनों को मासिक पेंशन, भूमि एवं सरकारी नौकरी चाहने बाबत प्रार्थना पत्र

6.2.7 जानबूझकर कर्त्तव्यों की अवहेलना करने वाले लोक सेवकों के विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही के लिए प्रार्थना पत्र

6.2.8 सूचना मांगने के लिए आवेदन पत्र

6.2.9 विधिक सहायता चाहने बाबत प्रार्थना पत्र

6.2.10 प्रार्थना पत्रों के समर्थन में शपथ पत्र

प्राक्कथन

भारत की सामाजिक व्यवस्था में दलितों के साथ आये दिन छुआछूत, जातिगत भेदभाव, महिला तथा बच्चों पर उत्पीड़न, दलित दुल्हों को घोड़ी से उतारने की घटनाऐं आम बात हो गई है। सरकारी आंकडों से स्पष्ट है कि राजस्थान में दलित उत्पीड़न की घटनायें लगातार बढ़ रही हैं। दलित उत्पीड़न सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व राजनैतिक के हर स्तर पर होता है। प्रायः यह देखने में आया है कि दलित अत्याचारों की घटनाओं के पीछे मुख्यतया चार कारण होते है जिनमें प्रथम जातिगत भेदभाव आधारित छुआछूत, द्वितीय गरिमा व स्वाभिमानपूर्ण जीवन जीने, तृतीय अच्छे व सम्मान जनक व्यवसाय अपनाने पर या वाजिब मजदूरी मांगने तथा चतुर्थ भूमि विवाद को लेकर हो रहे हैं।

सरकार तथा प्रभावशाली वर्गो ने दलितों तथा कमजोर वर्गो को गरिमापूर्ण जीवन जीने तथा उनके आर्थिक स्वावलम्बन की बात कभी भी नहीं सोची। स्वतंत्रता के पश्चात् सरकार का यह दायित्व था कि वह सभी प्राकृतिक संसाधनों में समाज के सबसे निचले पायदान पर आने वाले दलितों को समान भागीदारी का अवसर देकर उनको आर्थिक रूप से सबल बनाती, परन्तु ऐसा नहीं किया गया। इसी क्रम में सीलिंग कानूनों से अतिरिक्त अवाप्त भूमि, व भूदान से प्राप्त भूमि इत्यादि का समान रूप से बंटवारा भी होना चाहिए था परन्तु वह भी नहीं हुआ। वैश्वीकरण, निजीकरण तथा उदारीकरण के दौर ने, दलितों को हाशिये पर खड़ा कर दिया है, जिससे दलित और भी गरीब असहाय और बेसहारा हो रहा है।

संवैधानिक प्रावधान, दलित कानूनों तथा भूमि कानूनों की प्रभावीरूप से क्रियान्विति नहीं होना

भारतीय संविधान में दलितों के साथ होने वाले छुआछूत, जातिगत भेदभाव को समाप्त करने तथा आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने के कई प्रावधान रखे गये हैं। केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा भी अनेक महत्वपूर्ण, सामाजिक न्याय के सिद्धान्त पर आधारित कानूनों का विनिर्माण किया है। परन्तु कार्यपालिका द्वारा इन प्रावधानों की प्रभावी रूप से पालना नहीं की जा रही है जो कि कार्यपालिका की निष्क्रियता तथा अंसवेदनशीलता का परिचायक है। ग्रामीण अंचलों में अभी भी शोषण व अन्याय पर आधारित सामाजिक व सांस्कृतिक परम्पराओं तथा प्रथाओं का सहारा लेकर कानूनों की खुली धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दलितों की हकशुदा जमीनों पर प्रभावशाली व्यक्तियों ने कब्जा कर रखा है और ये तत्व उनके साथ मारपीट कर आंतक व दमन के सहारे गांव से पलायन करने के लिए भी मजबूर कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि सभी राजनैतिक दल दलित भूमि मुद्दे को प्राथमिकता देकर, अपने ऐजेन्डे में शामिल कर दलित व महिलाओं को सभी प्राकृतिक संसाधनों का समान बंटवारा करे।

पुरातन व रूढिवादी सामाजिक व्यवस्था के चलते अनेक सामाजिक संगठन तथा आन्दोलन, दलितों की भूमि तथा आजीविका को बचाने का प्रयास कर रहे है परन्तु यह ना काफी है। यह हम सबको सामूहिक जिम्मेदारी है कि दलित की भूमि और सम्मान जनक आजीविका के अधिकारों की लड़ाई को आन्दोलन का रूप देकर दलितों व भूमि हीनों को आत्मनिर्भर बनाना है।

इस मार्गदर्शिका की आवश्यकता

यह मार्गदर्शिका सामाजिक व्यवस्था से ग्रसित दलितों को भूमि तथा आजीविका का अधिकार दिलानें की दिशा में एक प्रयास है। हमें उम्मीद है कि इस तरह के प्रयासों से दलित भूमि और आजीविका अधिकारों पर दलित महिला और कार्यकर्ता सक्षम बनकर भूमि तथा आजीविका सम्बन्धी प्रणालियों तक पहुँच बना सकेंगे। इस मार्गदर्शिका का इस्तेमाल मानवाधिकार कार्यकर्ता, प्रशिक्षक, सामाजिक संगठन, दलित आन्दोलन तथा सम्बन्धित नेटवर्क कर सकेंगे। यह मार्ग दर्शिका विभिन्न संगठनों,

विद्वानों के सुझावों और अपने पिछले अनुभवों के आधार पर तैयार की गई है। अंत में आर.के. आकोदिया एवं श्री गोपालदासजी का भी धन्यवाद जिन्होंने इस मार्गदर्शिका में मार्गदर्शन किया।

मार्गदर्शिका की पाठ्य सामग्री

इस पुस्तक को सात भागों में बांटा गया है

भाग 1: दलित भूमि तथा आजीविका अधिकारों पर प्रशिक्षण व उनके महत्वों पर प्रकाश डाला गया है।

भाग 2: दलित भूमि तथा आजीविका का अर्थ, अवधारणा और भ्रामक समर्थन पर चर्चा की गई है।

भाग 3: दलित भूमि, आजीविका, आर्थिक उत्थान तथा अन्तर्राष्ट्रीय मानकों से सम्बन्धित विधिक प्रावधानों को संकलित किया गया है।

भाग 4: तथ्यान्वेषण, रिपोर्ट लेखन तथा एडवोकेसी की तकनीकियों के बारे में चर्चा की गई है।

भाग 5: आर्थिक परिपेक्ष्य में महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं का संकलन किया गया है।

भाग 6: प्रशासनिक अधिकारियों एवं न्यायालयों के समक्ष पेश किये जाने वाले आवेदनों के विभिन्न प्रकार के फॉरमेट व प्रपत्र

भाग 7: मूल्यांकन तथ पुर्नरावलोकन पर चर्चा की गई है।

आशा है कि यह मार्गदर्शिका दलित मानवाधिकार कार्यकर्ताओं तथा अन्य कार्यकर्ताओं के लिए व्यवहारिक और कारगर साधन के रूप में सिद्ध होगी। अन्त में मैं केन्द्र के निदेशक, सतीश कुमार एडवोकेट, तोषिता वर्मा एडवोकेट, गोपाल राम वर्मा, तारा चन्द्र वर्मा तथा केन्द्र की पूरी टीम को इस मार्गदर्शिका के प्रकाशन के प्रयासों के संयोजन के लिए विशेष रूप से धन्यवाद के पात्र हैं।

पी.एल. मीमरोठ

अध्यक्ष

दलित अधिकार केन्द्र

शब्दावली

काश्तकार	:	ऐसा व्यक्ति जो कृषि से स्वयं अपने आप अथवा नौकरों या आसामियों के द्वारा पूर्णतः या मुख्यतः अथवा जीवन निर्वाह करता है।
कलेक्टर	:	जिला स्तर पर राजस्व विभाग का शीर्ष अधिकारी
आयुक्त	:	खण्ड स्तर पर राजस्व का मुख्य अधिकारी
भू–सुधार	:	भूमि–सुधार आदि कार्य
सहायक कलेक्टर	:	तहसील या उप–तहसील स्तर पर पदस्थापित राजस्व विभाग का अधिकारी जो राजस्व के वाद सुनता है।
अमीन	:	भू–प्रबंध मे जो पैमाईश करके अभिलेख तैयार करता है, उसे अमीन कहा जाता है।
जागीरदार	:	ऐसा व्यक्ति जो जागीर भूमि में हित धारण करता है।
खुदकाश्त	:	राज्य के किसी भाग में किसी भू–सम्पत्तिधारी द्वारा स्वयं खेती करना
आसामी	:	भू– राजस्व देने वाला काश्तकार
भूमि	:	कृषि आधारित कार्यो में प्रयुक्त भूमि
अधिवासित भूमि	:	ऐसी भूमि जो किसी आसामी को पट्टे पर दी गई हो या उसके कब्जे में हों।
पड़त	:	बंजर भूमि
आराजी	:	कृषि भूमि
तकास्मा	:	विभाजन / बंटवारा
जिन्स	:	फसल
बीड	:	घास उगाने हेतु आरक्षित भूमि
गैर– मुमकिन	:	कृषि कार्य के लिए अनुपयोगी भूमि
आबादी	:	गांव के वे स्थान जहां ग्रामीण आवास करते है, और जो भूमि राजस्व के अभिलेख में, आबादी के रूप में दर्ज है।
गोचर भूमि	:	ऐसी भूमि जो गांव की मवेशियो को चराने के काम आती हो, ,और जो राजस्व अभिलेख में गोचर के नाम से दर्ज है।

लगान : ऐसी वस्तु जो लिये या दिये जाने योग्य हो, वह नकदी या जिंस (फसल) के रूप में दी जाती है।

राजस्व अपील अधिकारी : सहायक कलेक्टर के न्यायिक निर्णय की अपील सुनता है।

तहसीलदार : तहसील का प्रधान कार्यकारी अधिकारी

अतिक्रमी : ऐसा व्यक्ति जो बिना अधिकार के किसी दूसरे की जमीन पर कब्जा कर लेता है।

पटवारी : प्रत्येक जिले के हल्के (गांवों) का राजस्व रिकॉर्ड रखने वाला कर्मचारी

गिरदावर कानूनगो : भू–अभिलेखों का पर्यवेक्षक अधिकारी

नामान्तरण : राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती नामान्तरण के आधार पर की जाती है

जमाबन्दी : कृषि भूमि के सम्बंध मे अधिकार अभिलेख

खातेदार : से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जिसका नाम खाते मे याने जमाबन्दी मे दर्ज है, जिसे खातेदारी अधिकार प्राप्त है। खातेदार को अपनी कृषि भूमि में उत्तराधिकार एवं हस्तारण के अधिकार प्राप्त हैं।

गैर–खातेदार : जिस व्यक्ति को भूमि आवंटित होती है, उसे गैर खातेदार के अधिकार प्राप्त होते है, याने वह अपनी भूमि की खातेदारी प्राप्त होने तक हस्तानान्तरण आदि नहीं कर सकता, सिर्फ ऋण के लिए बैंक में रहन सकता है।

सिवाय चक : ग्राम में उपलब्ध सरकारी पड़त भूमि

बिस्वा : एक बीघा का बीसवां हिस्सा

चक : खेतो का समूह

रकबा : एरिया (क्षेत्र)

मिलान क्षेत्रफल : गत व हाल खसरा नम्बरों का मानचित्र जिसे भू–प्रबंध कार्यवाही के दौरान तैयार किया जाता है।

एक एकड : 2.5 बीघा भूमि

"पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना-प्रशासक" : से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन के प्रयोजन के लिए नियुक्त राज्य में जिला कलेक्टर के स्तर से अन्यून स्तर का अधिकारी अभिप्रेत है।

कृषि श्रमिक : ऐसा व्यक्ति अभिप्रत है, जो प्रभावित क्षेत्र की घोषणा से तत्काल पूर्व तीन से अन्यून अवधि के लिए प्रभावित क्षेत्र का मूल निवासी रहा हो और जो प्रभावित क्षेत्र मे कोई भी भूमि न रखता हो परन्तु अपनी जीविका, मुख्यतः ऐसी घोषणा के तत्काल पूर्व उसमें कृषि पर शारीरिक श्रम के द्वारा अर्जित करना हो और अपनी जीविका से वंचित हुआ हो।

पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना आयुक्त	:	राज्य सरकार द्वारा नियुक्त वह "पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना आयुक्त" अभिप्रेत है, जो उस सरकार के आयुक्त से अथवा समकक्ष पद से नीचे के पद का अधिकारी नहीं हो।
जोत क्षेत्र	:	किसी एक व्यक्ति द्वारा दखलकार के रूप में या काश्तकार के रूप में अथवा दोनों ही रूपो में धारित कुल भूमि अभिप्रेत है।
भूमि अर्जन	:	भूमि अर्जन या भूमि के अर्जन से समय–समय पर संशोधित भूमि अर्जन अधिनियम, (1984 का 1) या उस समय प्रवृत संघ या राज्य सरकार के किसी अन्य कानून के अन्तर्गत भूमि का अर्जन अभिप्रेत है।
सीमान्त किसान	:	एक ऐसा खेतिहर–किसान अभ्रिपेत है, जिसके पास एक हैक्टर तक असिंचित भूमि हो या आधे हैक्टर तक सिंचित भूमि हो।
गैर कृषि श्रमिक	:	वह व्यक्ति अभ्रिपेत है जो कृषि श्रमिक नहीं है, परन्तु जो सामान्यतया प्रभावित क्षेत्र में, उस क्षेत्र को प्रभावित क्षेत्र घोषित किये जाने से तत्काल पूर्व से तीन वर्षो से अन्यून अवधि से रह रहा हो और जो प्रभावित क्षेत्र में कोई भूमि नहीं रखता हो परन्तु जो इस प्रकार की घोषणा से तत्काल पूर्व में अपनी आजीविका मुख्यतः शारीरिक श्रमिक के रूप में या ग्रामीण दस्तकार के रूप में अर्जित करता रहा हो और प्रभावित क्षेत्र मे अपनी आजीविका मुख्यतः शारीरिक श्रम के द्वारा या ऐसे दस्तकार के रूप में अर्जित करने से वंचित हुआ हो।
छोटे किसान	:	से अभिप्राय से ऐस खेतिहर किसान से है, जिसके पास दो हैक्टर तक की असिंचित भूमि–जोत हो अथवा एक हैक्टर तक सिंचित भूमि–जोत हो, परन्तु यह जोत सीमांत किसान, की जोत से अधिक हो।
प्रभावित क्षेत्र	:	प्रभावित क्षेत्र की जनता को पुनर्स्थापना क्षेत्र में स्थानांतरित करते समय पुनर्वास और पुनर्स्थापना प्रशासक जहां तक संभव हो, यह सुनिश्चित करेगा।
अनु. जाति के प्रभावित परिवारों	:	अनुसूचित जातियों के प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन के मामले में, जहां तक संभव हो, यह सुनिश्चित किया जाये कि ऐसे परिवारों को गांवो के निकट स्थानों पर पुनः बसाया जाता है।
पंचायत सर्किल	:	ऐसे स्थानीय क्षेत्र अभिप्रेत होंगे, जिन पर कोई पंचायत समिति या, यथास्थिति, कोई पंचायत अपनी अधिकारिता का प्रयोग करेगी
भूमिहीन कृषक	:	से अभिप्रेत है सदभाविक राजस्थान का कृषक और कृषि मजदूर, कृषक या स्वयं द्वारा खेती करना, और जिसका मुख्य आय स्रोत कृषि या कृषि से जुड़े हुये कार्य पर निर्भर है और उसके पास राजस्थान में कृषि भूमि नहीं हैं, और न ही उसको पूर्व में कभी भी 10 एकड़ से कम भूमि आवंटित हुई है।

परन्तु इसमें कोई भी लोक सेवक अथवा उद्योग और व्यापार स्थापना उसकी पत्नी और आश्रित बच्चे शामिल नहीं है लेकिन दैनिक मजदूरी कार्य करने वाले मजदूर इसमें शामिल नहीं हों। ऐसे व्यक्ति जिसकी 10 एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि खरीदी है अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित हुई है, वह भी भूमिहीन कृषक नहीं है।

नजूल भूमि : से अभिप्राय राज्य सरकार में निहित उस आबादी भूमि से है जो नगरपालिका या पंचायत सर्किल या गांव, कस्बा या शहर की सीमा के अन्दर हो।

मामले : में न्यायालय के समा वाद या कोई कार्यवाही शामिल हैं।

न्यायालय : से सिविल, दाण्डिक या राजस्व न्यायालय अभिप्रेत हैं और न्यायिक या अर्द्ध न्यायिक कार्यो को प्रयुक्त करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अन्तर्गत गठित किसी अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण को सम्मिलित किया जाता है।

विधिक सेवा : में किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण या अधिकरण के समक्ष किसी मामले या अन्य विधिक कार्यवाही को करने में किसी सेवा को प्रदान करना और किसी विधिक मामले पर सलाह प्रदान करना सम्मिलित है।

भाग–1

दलित भूमि तथा आजीविका अधिकारों पर प्रशिक्षण

1.1 प्रशिक्षण मार्गदर्शिका की आवश्यकता

1.1.1 दलित भूमि अधिकारों पर प्रशिक्षण

1.1.2 प्रशिक्षकों एवं सहभागियों का चयन

1.1.3 प्रशिक्षण के संदर्भ में सामान्य निर्देश

1.1.4 प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्थाऐं

1.2 प्रशिक्षण का तरीका

1.2.1 सम्प्रेषण द्वारा

1.2.2 समूह चर्चा

1.2.3 केस स्टडी/अनुभव

1.2.4 रोल प्ले

1.1 प्रशिक्षण मार्गदर्शिका की आवश्यकता

1.1.1 दलित भूमि अधिकारों पर प्रशिक्षण

भूमि अधिकार प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य दलितों की आर्थिक दशा को समझना, उससे जुड़े हुये अन्य तथ्यों की जानकारी प्रदान करना, उसकी प्रकृति तथा आर्थिक अधिकारों के उल्लघंन की गहराईयों तक जाना तथा रोकथाम के उपाय करना है। इस प्रशिक्षण की सहायता से दलित/मानवाधिकार कार्यकर्ताओं में निपुणता तथा क्षमतावर्धन का विकास करना है, जिस में आर्थिक विकास एवं गरिमा व स्वाभिमान की लड़ाई लड़ सकें। प्रशिक्षण में सभी को भागीदारी के अवसर प्रदान करते हुये अनुभवों को बांटना हैं।

1.1.2 प्रशिक्षक तथा सहभागियों का चयन

प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षक ऐसे होगें जो दलित भूमि, मानवाधिकारों के विशेषज्ञ तथा जमीनी अनुभव रखने वाले व्यक्ति के रूप में पहचान रखते हो तथा मानवाधिकार तथा इससे जुड़े हुये अन्य क्षेत्रों में पारंगत हों। प्रशिक्षणार्थी का चुनाव प्रदेश में से भूमि सुधार व आजीविका के मुद्दों पर काम कर रहे जमीनी कार्यकर्ताओ को चिन्हित कर प्राथमिकता के साथ जोड़ा जायेगा।

1.1.3 प्रशिक्षण के संदर्भ में सामान्य निर्देश

- कार्यक्रम के सुचालक एक डिब्बा लाएंगे जिनमें पर्चियां रखी होगी।
- सहभागियों से निवेदन है कि प्रत्येक एक पर्ची उठा लें।
- प्रत्येक पर्ची पर विभिन्न दलित संगठनों राजनीतिक दलों, विधान सभाओं, गैर सरकारी संगठन, अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं, न्यायिक अनुक्रम,पुलिस अनुक्रम और समाचार पत्रों के नाम होंगे।
- सहभागियों को पहचानना होगा कि वे इनमें से किस समूह से सम्बन्धित हैं।
- जब समूह के प्रत्येक सदस्य की पहचान हो जायेगी, तब समूह एक दूसरे को अपना परिचय देंगे और पूर्ण ब्यौरे का पता लगाकर एक चार्ट में लिखा जायेगा।
- समूह को अपना परिचय दे कर निम्नांकित बातें बतानी होगी।
- नाम, आयु, पारिवारिक ब्योरा (जैसे माता–पिता का पेशा, भाई बहनों की संख्या, वैवाहिक स्थिति, पति/पत्नी और बच्चों के बारे में सूचना आदि)
- योग्यताऐं और रोजगार
- दलित अधिकार केन्द्र या किसी अन्य दलित अभियान/ आन्दोलन में भूमिका और कितने वर्षों तक इससे जुड़े रहे।
- दलित आन्दोलन में प्रमुख व्यक्तिगत योगदान।
- क्या पहले कभी मानव अधिकारों के उल्लंघन के सम्बन्ध में आपने तथ्यों का पता लगाने की कोशिश की है।
- सभी सहभागियों को प्रदान किये गये चार्ट में इन बातों को लिखिये।
- कार्यक्रम सुचालक आपको चार्ट और पेन देगा।

• समूह एक व्यक्ति को चुनेगा जो दल के प्रत्येक सदस्य का परिचय दर्शकों से करवाएगा।

पहले सत्र में समूह के बारे में सूचना प्रस्तुतिकरण

नाम	परिवार का विवरण	शैक्षणिक योग्यता	व्यवसाय	दलित आन्दोलन में सहयोग	तथ्यान्वेषण में भागीदारी

1.1.4 प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्थायें (सामान्य निर्देश)

विधिध जिम्मेदारियों को उठाने के लिये समितियां गठित की जायेगी, जिससे कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहे, जो निम्न है:

- **समय संचालन समिति :** इस समिति में 3 सहभागी होंगे। इस समिति के सदस्यों का काम सभी सत्रों में समयानुसार कार्य का पालन सुनिश्चित करना है। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सहभागी ठीक समय पर भोजन के लिये उपस्थित हों।
- **खाद्य समिति** : इस समिति में भी 3 सहभागी होंगे। उनका उत्तरदायित्व होगा कि वे देखें कि चाय, कॉफी, सुबह का नाश्ता, दिन का खाना, दोपहर बाद जलपान और रात का भोजन समय पर परोसा जाय और सभी सहभागियों में समान रूप से वितरित किया जाय। कार्यक्रम के सभी दिनों में यही समिति कार्य करेगी।
- **रिपोर्ट देने वाली समिति** : इस समिति में भी 3 सहभागी होगें। इस समिति के सहभागियों से कहा जायेगा कि वे उसके पहले वाले दिन की रिपोर्ट प्रस्तुत करें। यह समिति सभी सत्रों की रिर्पोटों को मिला कर दैनिक रिपोर्ट तैयार करेगी और प्रतिदिन सवेरे के सत्र में पिछले दिन का सार संक्षेप में प्रस्तुत करेगी। समिति का कोई एक सदस्य दैनिक रिपोर्ट को सवेरे के सत्र में प्रस्तुत करेगा। उनका यह भी दायित्व होगा कि सब समूहों से उनकी समूह रिपोर्ट संकलित करके, दिन समाप्त होने के पहले फेसीलिटेटर को सौंप दें।
- **व्यवस्था समिति** : इस समिति में 3 सहभागी होंगे,। इस समिति के सदस्य, हॉल में बैठने का तथा अन्य इन्तजाम करेंगे। उनकी जिम्मेदारी यह भी होगी कि वे देखे कि हाल के दरवाजों पर ताले/चिटकनी लगे हैं और रोज हॉल की सफाई की गई है। यह समिति यह भी देखेगी कि प्रत्येक सत्र में 100 प्रतिशत उपस्थिति है और वह प्रतिदिन सभी सहभागियों, पर्यवेक्षकों और विशेष आमंत्रित लोगों के हस्ताक्षर लेगी।
- **प्रथम उपचार समिति** : कार्यक्रम के दौरान कोई भी छोटी मोटी चिकित्सा सम्बन्धी आकस्मिक घटना की देखभाल करना इस समिति की जिम्मेदारी होगी। इसमें दो सहभागी होंगे।
- **सांस्कृतिक समिति :** इस समिति में तीन व्यक्ति होंगे और रात्रि के कार्यक्रम के लिये सांस्कृतिक गतिविधियों की जिम्मेदारी लेगी। इसका चयन प्रतिदिन किया जायेगा।

रिपोर्टिंग समिति के लिये रिपोर्ट तैयार करने का खाका

(सत्र की रिपोर्ट)

सत्र संख्या	सत्र के दौरान चर्चा बिन्दु	सत्र के दौरान प्रश्न व स्पष्टीकरण

प्रतिदिन रिपोर्ट लेखन का खाका

दिनांक	मुख्य बिन्दुओं जो चर्चा में आये	खास बिन्दु उदाहरण सहित	दिन भर की खास बातें	सत्र के दौरान प्रश्न व स्पष्टीकरण

1.2 प्रशिक्षण का तरीका

1.2.1 सम्प्रेषण तथा चर्चा

सम्प्रेषण किसी भी में विषय के बारे में सरल भाषा में दिया जायेगा ताकि सभी सहभागियों की समझ में आ सके। प्रशिक्षण में चार्ट, पोस्टर आदि का भी प्रयोग किया जायेगा।

1.2.2 समूह चर्चा

प्रशिक्षणार्थियों को आवश्यकतानुसार एक से अधिक समूहों में विभाजित कर उपरोक्त विषयों पर विस्तृत रूप से चर्चा की जायेगी, जिसमें सभी खुले रूप से अपने विचार रख सकेंगे और सभी को भाग लेने का समान अवसर भी दिया जायेगा।

1.2.3 केस स्टडी

दलित भूमि तथा आजीविका से सम्बन्धित केसों का प्रयोग किया जायेगा, जिसमें प्रशिक्षणार्थियों को भूमि विवाद तथा आजीविका से सम्बन्धित प्रकरणों व मुद्दों द्वारा विश्लेषण कर वास्तव में कैसे समस्या का हल किया जा सकता है, बतलाया जायेगा।

1.2.4 रोल प्ले

रोल प्ले के माध्यम से बातचीत का तरीका तथा हाव–भाव प्रदर्शित कर भी समझाया जायेगा, जिसमें वे पूरे कार्यक्रम के सभी सत्रों को आत्मसात कर अपने आप में आत्म विश्वास पैदा कर सकेंगे।

भाग–2

दलित भूमि तथा आजीविका का अर्थ एवं अवधारणा

2.1 छुआछूत और कुछ सैद्धान्तिक पहलू

2.2 राजस्थान में स्वतंत्रता पूर्वक व पश्चात् भूमि प्रबन्ध एवं स्वामित्वता की भूमिका

2.3 भूमि के प्रकार

2.4 दलितों को भूमिहीन तथा सीमान्त कृषक बनानें की ऐतिहासिक प्रक्रिया

2.5 दलित भूमि अधिकार जरूरी क्यों ?

2.6 दलित भूमि बनाम राजनैतिक दल

2.7 भूमि सुधार या भ्रामक समर्थन

2.8 दलित और ऋण राहत विधान

2.9 दलित भूमि से सम्बन्धित कुछ आंकड़े

2.10 दलित बनाम वैश्वीकरण

2.1 छुआछूत और कुछ सैद्धान्तिक पहलू

2.1.1 छुआछूत क्या है ?

किसी व्यक्ति या समुदाय को जन्म आधारित जाति के आधार पर निजि, सार्वाजनिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में पहुँच से दूर रखना छुआछूत है। साक्षी आन्ध्रप्रदेश के अनुसार भारत में 120 प्रकार की छुआछूत विद्यमान है।

जाति आधारित व्यवस्था मानने को मजबूर करना

जाति आधारित अत्याचार व भेदभाव

जाति के आधार पर भागीदारी नहीं देना।

धार्मिक रूढियों व सामाजिक परम्पराओं को मान्यता देना

संवैधानिक तथा अन्य विधियों का प्रभावी तरीके से लागू न होना।

2.1.2 छुआछूत के कुछ सैधान्तिक पहलू

सामान्तः समाज में छूआछूत को बदस्तूर बनाये रखने के लिए तीन धारायें काम करती हैः–

2.1.2.1 जन्म आधारित विचारधारा

छुआछूत की उपस्थिति हिन्दू धर्म में दी गई वर्ण व्यवस्था का परिणाम है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण हैं। शूद्रों को हिन्दू धर्म में सबसे अन्तिम पायदान पर रखा गया है। प्रथम तीन वर्णों में जन्मे व्यक्तियों को स्पर्श किया जा सकता है परन्तु अन्तिम वर्ण का दलित स्पर्श योग्य नहीं है, इसलिये वे अछूत कहलाते हैं। भारत में जो लोग सफेद वर्ण के थे वे आर्य कहलाये और जो काले वर्ण के थे वे अनार्य दास कहलाये और दासों को अछूत का नाम लेकर पुकारा गया। (राईजली 1908, दन्त 1931)। डॉ0 अम्बेडकर ने इस नस्ल विचारधारा का पुरजोर तरीके से विरोध किया। उन्होनें कहा कि वेदों में इस प्रकार को कोई भी साक्ष्य नहीं है, कि दास भारत के मूल निवासी थे (अम्बेडकर 1946) फिर भी 19 वीं शताब्दी के अन्त में तथा 20 वीं शताब्दी के प्रारम्भिक दौर में काफी सख्या में लोगों ने इस दलित विचारधारा को महत्व दिया।

2.1.2.2 धार्मिक विचारधारा

19वीं शताब्दी के मध्य में ब्राह्मणवादी विचारधारा के घोर विरोधी महाराष्ट्र में जन्में ज्योतिराव फूले ने अपनी पुस्तक "गुलामीगिरी" 1873 में बताया है कि शूद्र इस देश के मूल निवासी थे तथा सभी आर्थिक स्त्रोतो पर उनका कब्जा था जबकि ब्राह्मण वर्ण विदेशी था जो बाद में आर्य कहलाये। इन्होनें चतुवर्णो के सिद्धान्त को प्रमुखता से मान्यता दी। फूले ने इस गैर बराबरी के चतुवर्ण सिद्धान्त का पुरजोर तरीके से विरोध किया और सत्य शोधक समाज का नारा दिया। उक्त सिद्धान्त को समाजशास्त्र एवं मानवशास्त्र में भी मान्यता मिली। काम के आधार पर समाज में अलग–अलग जातियां बनी। अनेक समाज शास्त्रियों के अनुसार हिन्दुवादी व्यवस्था में शुद्धता व अशुद्धता को भी आधार माना गया है।

2.1.2.3 आर्थिक सिद्धान्त पर आधारित विचारधारा

मार्क्स के सिद्धान्तानुसार छुआछूत, उत्पादन की प्रक्रिया से जुडा हुआ है। वर्ण व्यवस्था सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था पर आधारित थी। जो कि प्रारम्भिक अवस्था में व्यक्ति के श्रम–कार्य के अनुसार उसका वर्ग निर्धारित होता था, जो कि कालान्तर में विकास के साथ श्रम आधारित न रहकर जन्म आधारित हो गया। लेकिन इस विचारधारा को लेकर विद्धानों में मतभेद है कि क्या प्राचीन काल में शुद्र सेवक थे ?(सरदेसाई, 1986)

मार्टन क्लॉस (1980) के एक अध्ययन के अनुसार "जनतन्त्रातमक" सामाजिक समूहों के द्वारा जनसंख्या वृद्धि के कारण समतावान सामाजिक व्यवस्था विकसित की।

सोवियत विचारक, ए० पी० कोलोनटेव कहते हैं कि प्राचीनकाल में भारत में कृषि उत्पादन व्यवस्था ने असंख्य लोगों को श्रमिकों के रूप में रखा जो कि केवल दबे हुए वर्ग के रूप में अस्तित्व में रही और यही वर्ग अछूतों के रूप में माना गया (यरलोवा 1989)। इस विचारधारा के अनुसार उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तन होता गया और जाति व्यवस्था में उत्तरोत्तर बदलाव आया और कालान्तर में यह छूआछूत का आधार बना।

2.2 राजस्थान में स्वतन्त्रता से पूर्व व पश्चात् भूमि प्रबन्धन एवं स्वामित्वता की भूमिका

आज का राजस्थान प्रदेश पूर्ववर्ती राजपूताना की 22 रियासतों, 2 छोटी रियासतों और केन्द्र शासित अजमेर राज्य को मिलाकर बना हैं, रियासतों में राजा ओर उसके जागीरदार, माफीदार, भू–स्वामित्व, भूप्रबन्ध और सारी व्यवस्था के नियन्त्रक थे। रियासतों में राजा और जागीरदारों के जरिये नियन्त्रक की जमीनें, जागीरी जमीनें कहलाती थी। रियासतों में राजा और जागीरदार भूमि प्रबन्धन, भू–स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विधि का पालन नहीं करते थे। निरंकुश व मनमाने ढंग से जिसे चाहे भूमि काश्त करने देते, और जिसे चाहे बेदखल कर फसल उजाड़ देते। गांव के कमजोर वर्गों के स्त्री–पुरूष को जबरन बिना मजदूरी दिये काम लिया जाता था, जिसे बेगार कहा जाता था। आदिवासी क्षेत्र में साहूकार या कोई भी सम्पन्न व्यक्ति थोड़े से रूपये देकर परिवार के युवा को बंधुआ मजदूरी में पूरी उम्र के लिए जबरन रख सकता था, जिसे "सागडी प्रथा" कहा जाता था।

स्वतन्त्रता संग्राम, अंग्रेज, राजा और जागीरदारों के विरूद्ध हुआ। स्वाधीनता संग्राम की चेतना का प्रमुख अंश भूमि पर अधिकार कानूनी रूप से निश्चित कर लगान लाग–बाग, बेगार, सागडी प्रथा तथा अनेक परम्परागत प्रथाओं की समाप्ति और निरंकुशता पर रोक के लिए हुआ। स्वतन्त्रता के प्रारम्भिक दौर में सबसे पहला कानून के द्वारा खेत पर अधिकार हटाने निरंकुशता को रोकने हेतु Protection of Ordiance Act. 1998 बना तत्पश्चात् Abolition of Bonded Labour Act, सागडी प्रथा तथा फसल के 1/6 से अधिक नहीं लिये जाने का नियम बना।

1954 में भारत सरकार ने राजस्थान मध्य भारत "जागीर जाँच समिति" बनाई जिसने किसान और भूमि का सीधा सम्बन्ध राज्य से करने और जागीरों को सम्पति नहीं मानने की राय दी गई, परन्तु राजस्थान में समिति की सिफारिशों का खुले आम उल्लघंन कर जागीरदारों को आर्थिक मुआवजा दिया गया। उनके पास खुदकाश्त एवं निजि सम्पत्ति के नाम पर बड़ी जमीनें यशावत रहने दी गई। जमींदार और भूतपूर्व राजा या शासक अपने आतंक, प्रभाव तथा सामाजिक आधार के बल पर लोकतन्त्र की राजसत्ता पर काबिज शासकों के भागीदार बनते गये और धराशाही सामन्त नया रूप ग्रहण कर गांव तथा शहरों में प्रभावशाली बनने लगा। साथ ही यह वर्ग सत्ताधारी शक्तियों से मिल गया और गांवो में, अपनी जमीनें, पैसा और प्रभाव बढ़ानें में लग गये, जिन्होनें सारे कानून, नियम, निर्देशों की पालना ना करते हुए भूस्वामी वर्ग बन गया। स्थानीय सामन्तों ने राजस्थान भर में दलितों को जमीन दिलानें में कोई ठोस भूमिका नहीं निभाई जिससे दलित भूमिहीन मजदूर बनकर रह गये। राजस्थान में भू–सुधार कार्यक्रम भी दलितों को भूमि दिलानें में कोई खास मददगार साबित नहीं हुये।

भूमि क्या है ?

एक पहचान के रूप में

गरिमा व स्वाभिमान

आजीविका

सुरक्षा

विकास

मानव अधिकार

शक्ति

2.3 भूमि के प्रकार

I आबादी भूमि

II कृषि भूमि

II.1 कृषि योग्य भूमि

II.2 कृषि योग्य भूमि नहीं

II.2.1 सिवाय चक

II.2.2 नदीं, नाले एवं पहाड़ आदि

सरकारी भूमि

1. पट्टा व बगैर पट्टे के सरकारी भूमि
2. सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि
3. निजी भूमि

2.4 दलितों को भूमिहीन तथा सीमान्त कृषक बनाने का ऐतिहासिक प्रक्रिया

	उच्च वर्ण	दलित
जाति व्यवस्था	**सैंकड़ों वर्षो से**	**भूमि तथा आजीविका पर प्रभाव**
संपदा, भूमि एवं शिक्षा अधिकारों को नहीं देना	उत्पादन के स्रोतों पर स्वामित्व जैसे भूमि तथा शिक्षा आदि	जाति आधारित व्यवस्था के कारण भूमिहीनता, रहने को घर नहीं, शारीरिक परिश्रम व हेय व्यवसाय अपनाने को विवश
राज्य	**1930**	
• रियासतो का अन्त • जमींदारी प्रथा का अन्त • सीलिंग कानून लागू करना • सीलिंग की अतिरिक्त भूमि का आवंटन	शासक, जमींदार तथा उच्च जातियों के भू–स्वामियां को पैकेज के रूप में जमीन के बदले आर्थिक मुआवजा दिया गया। शासकों तथा जमींदारों को मासिक पैन्शन की शुरूआत की गई।	• सीलिंग की अतिरिक्त भूमियों का आवंटन • कुछ दलितों को पट्टे मिले लेकिन कब्जा नहीं • पट्टें के बिना कब्जा दिया गया। • भूमि की उत्पादकात बढ़ाने हेतु समुचित सहयोग नहीं।
हरित क्रान्ति		
• भूमि का विकास	• सभी बड़े किसानों, भूस्वामियों तथा कृषि आधारित उद्योगो को छूट पर खाद, कीट नाशक तथा कृषियन्त्र दिये गये।	• ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ी • ग्रामीण क्षेत्रों में पलायनता बढ़ी

	उच्च वर्ण	दलित
वैश्वीकरण/बाजार/ नीजिकरण	1990 से	
• खनिज कार्य हेतु भूमि • नगरीयकरण, विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) • खेती की ठेकेदारी	• राज्यों द्वारा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को जमीन तथा करों में छूट • राज्यों द्वारा भूमि, पानी, विजली तथा विकास के नाम पर विशेष छूट	• एक जगह से दूसरी जगह पलायन • आजीविका का हनन् • पलायनता • गरीबी को बढ़ावा • दलितों को भूमिहीन होना, कृषि मजदूर, अंशदायी खेती छोटे सीमान्त किसानों द्वारा आत्म हत्यायें • छोटे तथा अंशदायी किसान दैनिक मजदूर हो गये।

2.5 दलित भूमि अधिकार जरूरी क्यों ?

स्वाभिमान, अस्मिता तथा आजीविका हेतु

भूमि तक पहुँच	• निवास हेतु (नगरीय तथा ग्रामीण भूमि), श्मशान के लिये • सार्वजनिक सम्पदा : ग्रामीण वन, जलीय भूमि • आजीविका: खेती, कृषि, छोटे जंगलों से आय तथा अन्य कार्यो से • भौतिक कब्जा • विधिक अधिकार
भूमि को बरकरार रखना	• भूमि बेचानों को रोकना • अत्याचारों को रोकना • हकशुदा भूमि को बरकारार रखना
उत्पादन तथा विकास के लिए	• भूमियों का विकास करना • गृह, कृषि एवं अन्य प्रकार के ऋण लेना • सिंचाई के लिए • बीमा के लिए • सामाजिक सुरक्षा के लिए

2.6 दलित भूमि बनाम राजनैतिक दल

सभी राजनैतिक दल दलितों, वंचितो व महिलाओं के उत्थान तथा उनको न्याय दिलाने की बात तो करते हैं, परन्तु वास्तविकता यह है कि कोई भी दल दलितों की बुनियादी समस्याओं व मुद्दों को छूना तक नहीं चाहते, उनके समाधान की बात तो दूर है। राष्ट्रीय स्तर की भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी तथा अन्य दलों ने यदा–कदा वोट हासिल करने की दृष्टि से दलितों की सुरक्षा, न्याय व अधिकारों की थोती बातें की हैं, परन्तु आजदी के 61 वर्ष बाद भी राजस्थान में छूआछूत का विकृत रूप, जातिगत भेदभाव एवं आर्थिक विषमता उत्तरोतर बढ़ती जा रही है। दलितों को आर्थिक स्वावलम्बन बनाने में सभी राजनैतिक दलों में इच्छाशक्ति की कमी रही है और उन्होंने दलितों को केवल हथियार के रूप में इस्तेमाल किया हैं।

भूमि सुधारों का व सीलिंग एक्ट को राज्य में प्रभावी रूप से क्रियान्विति करने का कार्यक्रम सभी राजनैतिक दलों ने भुला दिया है तथा सरकारों के ऐजेन्डे में यह प्रोग्राम ही नहीं है जबकि पूरे राजस्थान में भूमि सुधार व सीलिंग एक्ट को कड़ाई से लागू किया जाये तो दलित व भूमिहीनों को प्रभावी रूप से कृषि भूमि आवंटित की जाकर उन्हें आर्थिक रूप से सबल बनाया जा सकता था। अब तो आवंटन के लिए कृषि योग्य भूमि बची नहीं है। जो बची है, उस पर सामन्तों एवं प्रभावशाली लोगों का नाजायज कब्जा है, जो कि ऐनकेन प्रकारेण से विवाद ग्रस्त भूमि को नियमित कराने मे सफल रहे हैं।

राजस्थान में सीलिंग एक्ट के तहत 504874 एकड़ अतिरिक्त भूमि चिन्हित की गई जिसमें अनुसूचित जातियों के लिए 143849 एकड़ तथा अनसूचित जनजातियों के लिए 49910 एकड़ भूमि आवंटित की गई। सन् 1999 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जाति के 29336 लाभार्थियो को तथा अनुसूचित जनजाति के 11521 लाभार्थियों को अतिरिक्त भूमि आवंटित की गई। लेकिन अधिकतर मामले अभी भी न्यायालयों में लम्बित हैं, सींलिग से प्राप्त कृषि भूमि से बहुत से दलित आज भी वंचित हैं।

आजीविका: राजस्थान में कुल जनख्संख्या का 17.2 प्रतिशत अनुसूचित जाति व 12.6 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति का है जिनमें से 80 प्रतिशत से अधिक कृषि से जुडे हुये काश्तकार, खेत मजदूर या दस्तकार कारीगर है, उनकी आजीविका सम्पूर्णतः कृषि पर ही आधारित है। भारत में 1990 के दशक में वैश्विकरण, उदारीकरण आदि का असर तेजी से फैलने लगा जिसके चलते दलित और भी गरीबी के शिकार हुये। प्रदेश के प्राकृतिक व उत्पादन के संसाधनों में दलितों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी सुनिश्चित करना जरूरी है।

2.7 भूमि सुधार या भ्रामक समर्थन

समग्ररूप से, देश में भू–सुधार कानूनों के क्रियान्वयन को, कुछ माप दण्डों के विषय में तथा कुछ राज्यों में छुटपुट सफलताओं को छोड़कर मुख्यतः विफल ही कहा जा सकता है। भूमि सुधारों का क्रियान्वयन, राजनैतिक इच्छाशक्ति तथा नौकरशाही की प्रतिबद्धता के अभाव, कानून में खामियों, जमींदारों की भारी जोड़–तोड़ की शक्ति, गरीबों में संगठन का अभाव तथा न्यायालयों कें अत्यधिक हस्तक्षेप एवं नकारात्मक दृष्टिकोण के कारणों से अव्यवस्थित हुई है। इसलिये दलित भूमिहीन बनकर रह गये। देशभर के राज्यों में (पश्चमी–बंगाल अपवाद सहित) उन्हें अभिलिखित करने में असुरक्षित एवं मौखिक अधिभूतियां बिना किसी अभिरूचि के जारी है। वितरण के लिए भूस्वामियों से बहुत थोड़ी अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण की जा सकी। हदबन्दी से अधिक, पर्याप्त मात्रा में अतिरिक्त भूमि अब भी मुकदमों के चक्कर में फंसी विभिन्न न्यायालयों में लम्बित है तथा हदबन्दी, की गरीबों में वितरित भूमि के बहुत बड़े भाग पर अब भी, स्वामित्व की सुपुर्दगी न होने, अतिक्रमण तथा भूस्वामियों की ओर से अड़ंगे, न्यायिलयों के हस्तक्षेप तथा वितरित हुई भूमि में अतिक्रमण की समस्याओं से ग्रसित है। भूमि की चकबन्दी का कार्यक्रम, कुछ भी हो, जो केवल उत्तरी राज्यों तक ही सीमित था, छोटे भूस्वामियों के विरोध के कारण वस्तुतः त्याग ही दिया गया है, क्योंकि भूमि के टुकड़ों की अदला–बदली में उन्हें अनुचित प्रतिपादन सहना पड़ा है। भूमि सम्बन्धी रिकॉर्ड बहुत बदतर हालत में हैं तथा आदिनांक बिल्कुल भी नहीं हैं। राज्यों के पास इस कठिन कार्य को सम्पन्न करने के लिए आर्थिक स्रोत है ही नहीं। चूंकि राज्यों से करों की आय में भू राजस्व का स्रोत अब समाप्त हो ही चुका है, इसलिये स्रोतों से मिलने वाली आय क्षमता को देखते हुये रिकॉर्ड रखने के लिए खर्च उठाने का दबाव नहीं रहा। इसलिये पुनः वितरण की रणनीति से भूमि सम्बन्धों का बदलाव तथा बड़े जमींदारों का वर्ग एवं जाति का अर्न्तसम्बन्ध नहीं टूट सका। वास्तव में, जमींदार वर्ग विरतण में फेरबदल के किसी भी प्रस्ताव के प्रतिरोध के लिए उन्होनें अपना आर्थिक एवं राजनैतिक दबदबा दृढ़ कर लिया है। अनुसूचित जातियाँ, अब पिछड़े वर्ग के भूस्वामियों के नए गिरोह से भूमि सम्बन्धी विवादों से उपजी हिंसा से भी पीड़ित है।

इस निराशापूर्ण परिपेक्ष्य में यह असम्भव ही है कि भूमि के विषय में कानूनों तथा कार्यक्रमों के सीमित परिवर्तन से अनुसूचित जातियों को कोई भरपूर लाभ मिले हों। परन्तु अनुसूचित जातियां अतिरिक्त निर्योग्यताओं से पीड़ित हैं जिसके कारण भूमि सुधार कार्यक्रम में अपने–आप उन्हें देने के लिए बहुत सीमित लाभ थे। पहले उपाय के विषय में अर्थात् मध्यस्थता पट्टे की समाप्ति जिस का प्रवर्तन पांच कार्यक्रमों में, अपेक्षाकृत, सबसे बेहतर हुआ वस्तुतः उससे अनुसूचित जातियों को कोई भी लाभ नहीं पहँचा। जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था फलस्वरूप उन पर लादे गये प्रतिबन्धों के कारण अनुसूचित जातियों के लिए भूमि का स्वामित्व निषेध था। इसलिये, कुछ भी हो, घोर निर्धनता ने स्वतन्त्रता उत्पादक सम्पत्ति के निर्माण को असम्भव बना दिया। इसलिये जमींदारी–प्रथा राज्यों में इसके भिन्न–भिन्न स्वरूपों के सर्वोपरि सोपान ऐसे लोगों की संख्या उल्लेखनीय ही नहीं है जिन्हें मध्यस्था काश्तकारी के पट्टों के उत्पादन, जिस भूखण्ड पर वे खेती कर रहे थे, के स्वामित्व का लाभ पहुँचा हो। कृषि में कार्यरत, अनुसूचित जातियों के सदस्य खेती करने की वैधानिक स्थिति के किसी कारण एवं रिकार्ड के अभाव में, भूस्वामियों की इच्छा पर निर्भर मौखिक एवं असुरक्षित काश्तकार ही थे। इसी कारणवश, काश्तकारी सुधारों के लिए बने कानूनों से उन्हें कोई विशेष लाभ नहीं पहुंचा। वे शक्तिहीन भी थे तथा काश्तकार के रूप में अधिकारों के दावे तथा इसके लिए प्रमाण जुटाने के प्रयास भर का परिणाम तुरन्त बेदखली के अतिरिक्त शारीरिक प्रहार तथा झूठे मामलों में फंसाने का होता है। यही वह स्थिति है जो अधिकतर राज्यो में अभी तक विद्यमान हैं।

राजस्व–तंत्र, भूमिका विशिष्ट खण्ड जिस पर खेती करते चले आ रहे हैं, काश्तकारी की वैधानिकता को भूस्वामियों के साथ अन्तर्सम्बन्धों तथा खुले राजनैतिक हस्तक्षेप के कारण दर्ज ही नहीं करते। प्रमाणों के अभाव में कानून का लाभ उठाये बिना, ऐसे काश्तकार दूसरे के खेतों में काम करते रहते हैं। केवल पश्चिमी बंगाल एक ऐसा राज्य है, जहां काश्तकारों/बंटाई पर काम करने वालों (बंटाईदारों) को अभिलिखित किया गया है। इस प्रकार उन्हें बेदखली से सुरक्षा तथा साथ ही साथ फसल में हिस्से की वैधानिक दावेदारी को भी सुनिश्चित किया गया है (परन्तु पश्चिमी बंगाल ने ऐसे काश्तकारों को स्वामित्व अधिकार नहीं दिया)। अनुसूचित बंटाईदार चाहे उनकी संख्या कुछ भी हो, को इससे लाभ ही मिला होगा। परिस्थितियों के स्थानीय रचना विन्यास ने जहां उनकी सहायता की है, अनुसूचित जातियों के कुछ काश्तकारों को कुछ और भी राज्यों में लाभ पहुंचा होगा।

भूमि की हदबन्दी ने, बहुत बड़ी संख्या में, अनुसूचित जातियों के भूमि विहीन व्यक्तियों को कुछ भूमि का स्वामी बनने का मात्र अवसर प्रदान किया कि इस प्रकार वे गरिमा तथा प्रतिष्ठा अर्जित कर सकें। यह सपना बड़ी मात्रा में साकार नहीं हो सका क्योंकि उपर्युक्त कारणों से हदबन्दी के कानून का क्रियान्वयन नगण्य रहा। इसमें कोई संदेह नहीं कि अधिग्रहण की गई सीमित भूमि में से अनुसूचित जाति के लोगों के अवश्य कुछ भूमि मिली। विकास के परिच्छेद में उद्धत वक्तव्य इंगित करता है कि अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोगों को, नीति के रूप में, भूमि के वितरण में प्रदत्त वरीयता के कारण वितरित की गई भूमि का 35 प्रतिशत क्षेत्र प्राप्त हुआ। भूमि विहीनता के विस्तार को देखते हुए तथा प्रति व्यक्ति एक एकड़ से भी थोड़ी कम वितरीत की गई भूमि के कारण निस्संदेह अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों में ऐसी भूमि के वितरण का कोई व्यापक प्रभाव नहीं हुआ। अनुसूचित जातियों तथा साथ ही जनजातियों को सभी प्रकार की भूमि के वितरण में वरीयता प्रदत्र होने के कारण उन्हें वह भूमि भी वितरित की गई जो सरकार या पंचायत की थी अथवा भूदान अभियान में दान की गई थी। अनुसूचित जातियों के बहुसंख्यक लाभग्राहियों को आबंटित भूमि के स्वामित्व की सुपुर्दगी न होने, बलात् बेदखली, मुकदमेबाजी, भूतपूर्व स्वामियों द्वारा वैकल्पिक दावों तथा अन्य निहित कारणों इत्यादि से जो लाभ इस कुल पुनः वितरण से मिलने थे, छीन लिए गए हैं। इस समस्या से प्रभावित अनुसूचित जाति के लोग इन समस्याओं को सुलझाने के लिए दर–दर भटक चुके हैं। परन्तु जैसा दलित मुद्दों पर खुली सुनवाई से पता चलता है, समस्याऐं कमोबेश वैसी कि वैसी बनी हुई हैं।

भूमि सुधारों में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को और भी कई तरीकों से नुकसान उठाना पड़ा है। उनमें से कुछ ने सरकारी, पंचायत की तथा अन्य इकाइयों की खाली/बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने का प्रयास किया है तथा जिस पर बहुत समय से खेती कर रहे हैं। इस तरह के जुताई कब्जे, प्रायः राज्य सरकारों के विद्यमान निर्देशों/नियमों के अन्तर्गत नियमित कर दिए जाते हैं तथा उन्हें पट्टे जारी कर दिए जाते हैं। जब तक भूमि सार्वजनिक प्रयोग के लिए आरक्षित न हो या सामूहिक प्रयोग के लिए न हो, उन भूखण्डों के विषय में उन्हें निष्क्रयता, प्रमाद और राजस्वतन्त्र के पूर्वाग्रह के कारण अधिकार नहीं मिलते। कई बार उनके द्वारा जोते गए खेतों को दूसरों को आबंटित कर दिया जाता है तथा कई बार तो ऐसे आबंटन को रोकने के लिए शक्तिशाली भूस्वामी तिकड़में तक लड़ाने से बाज नहीं आते। अतः उन्हें प्रतिक्षण बेदखली के डर का सामना करना पड़ता है। खुली सुनवाई से स्पष्ट हुआ है कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों के सदस्यो को आसामी पट्टे दिये जाने के बाद भी उन्हें जिस भूमि पर वे खेती कर रहे थे, उससे बेदखल कर दिया गया और उनके पट्टे वापस ले लिए गए।

केवल कृषि योग्य भूमि के विषय में ही अनुसूचित जातियों को विपत्तियों का सामना नहीं करना पड़ता वरन् उन्हें एक सुरक्षित आवास के विषय में भी समस्याओं से दो–चार होना पड़ता है। जिस भूमि पर, उनके घर, जो अधिकतर मामलों में मिटटी की झोपड़ी होती है, जिसकी छत घास–फूस की होती है, उसके मालिक भी अनुसूचित जातियो के लोग नहीं होते। प्रायः इस तरह के आवासीय परिसर उस जमीदार की भूमि पर बने होते है जिस जमींदार के पास वे कृषि मजदूरों के रूप में काम करते हैं, उनकी स्थिति अत्यधिक दयनीय है। क्योंकि यदि वे भूस्वामी की मांगो का अनुपालन नहीं करते है, तो उन्हें घर से बेदखल किया जा सकता है। अतः एक तरह की दास प्रथा प्रचलित हो जाती है। बहुत से राज्यों में कानून है जिनके अन्तर्गत जिस भूमि पर भूमि विहिन व्यक्ति का घर स्थित है यदि वह किसी की निजी भूमि है तो स्वामित्व के अधिकार उस मकान के अधिभोगी को दिये जा सकते हैं परन्तु इन कानूनों का नियमित रूप से क्रियान्वयन नहीं होता जब कि अनुसूचित जाति के लोगों तथा आवासीय ईकाईयो की संख्या बढ़ती जा रही है, वहां भी राजस्व कर्मी दोष के भागी है जिनका कर्तव्य है कि क्षेत्र अवलोकन के समय जब भी और जहां भी स्वयं देखते हैं अथवा मकानों के अधिभोगी उनसे निवेदन करते हैं ऐसे मामलों में कार्यवाही की शुरूआत करें। भूस्वामियों से अन्तः सम्बंध ऐसे मामलों में निष्क्रियता की स्पष्ट व्याख्या हैं।

ऐसी बहुत–सी आवासीय ईकाइयां सरकारी तथा साथ ही सामूहिक भूमि पर भी स्थित है। ऐसी ईकाइयों के विषय में भी स्वामित्व का सरकार द्वारा विनियमन नहीं किया गया। ऐसे मामलों में अधिभोगी समान रूप से सुभेद्य हैं क्योंकि राजस्व अधिकारी बेदखली का भय दिखाकर उन्हें शोषित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे भी कई अनुसूचित जातियों के व्यक्ति हैं, जिनके पास अपनी कहने को फूस की बनी सुरक्षित झोंपडी भी नहीं होती। हो सकता है कि उन्हें दूसरों के साथ आवासीय इकाई को मिल बांटकर रहना पड़ता हो या सार्वजनिक भवन में रात बितानी पड़ती हो। अनुसूचित जाति के लोगों के घरों के लिए, खाली जगह की कमी इतनी तीव्र है कि एक पिता का संयुक्त परिवार की प्रथा के चलते, अपने विवाहित बेटों तथा कई बार तो पशुओं के साथ भी एक ही फूस की झोपड़ी में रहना पूर्वी भारत में कोई असामान्य बात नहीं है। एक भूमि विहीन/स्रोत विहीन गरीब व्यक्ति को घर बनाने के लिए न्यूनतम भू–क्षेत्र का आंबटन सुलभ करवाने के लिए एक कार्यक्रम है। परन्तु दूसरे कार्यक्रमों की तरह, राजस्व अधिकारी ही हैं जिन्हें इन प्रावधानों का अभिज्ञान है और यदि इच्छाशक्ति एवं अभिरूचि हो तो वह उन्हें क्रियान्वित कर सकता है। गरीब अनुसूचित जाति के लाभार्थी को हो सकता है कि उस पर आवश्यक दबाव डालने के लिए वैधानिक प्रावधानों/प्रशासनिक निर्देशों की जानकारी ही न हो।

प्रथमतः अनुसूचित जातियों के लोगों के पास भूमि टुकड़ों–टुकड़ों में बंटी कोई बहुत ज्यादा जमीन नहीं थी, इसलिए हदबन्दी कार्यक्रम ने चाहे कुछ भी हो, उनके लिए कोई अधिक आशा प्रस्तावित नहीं की। प्रायः कमजोर आसामी की कीमत पर, बड़े जमींदार अपने खण्ड–खण्ड बिखरे भूमि को टुकड़ों के बदले बेहतर भूखण्ड प्राप्त कर लेते हैं क्योंकि हदबन्दी कार्यक्रमों का झुकाव उनके पक्ष में रहता है, इसलिए सामान्यतः गरीबों ने तथा विशेषतया कमजोर वर्गों ने इनका जोरदार विरोध किया है। ऐसी ही बहुत–सी समस्याओं के कारण, वास्तव में, बिहार में, हदबन्दी कार्यक्रमों का समझते–बूझते तथा अधिकारिक रूप से परित्याग कर दिया गया है। यद्यपि योजनाबद्व विकास के प्रारम्भिक वर्षों में उत्तर प्रदेश तथा पंजाब राज्य अग्रणी थे, परन्तु अब इस कार्यक्रम के लिए उत्तरी राज्यों में भी उत्साह नहीं रहा ।

भूमि के रिकार्डो को पूर्ण करने का कार्यक्रम गम्भीर रूप से उपेक्षित हुआ है तथा कोई ऐसी आशा भी नहीं है कि जो महत्व तथा प्राथमिकता इन कार्यों को मिलनी चाहिए थी, वह स्रोत की कमी के कारण इसे मिल पाएगी, परन्तु इसलिए भी कि सरकार की कार्यसूची में भूमि के प्रशासन की वरीयता धूमिल है। भूमि के रिकार्डो को पूर्ण किए बिना कम्प्यूटरीकरण की ओर

ध्यान मोड़ा जा रहा है, जिससे कोई लाभ नहीं होने वाला। भूमि सम्बन्धी सही एवं अदिनांक रिकार्ड के अभाव में वैसे तो उन सभी वर्गो के लोगों को जिनके भूमि सम्बंध में अधिकार एवं हित है, परेशानी उठानी पड़ती है परन्तु अनुसूचित जाति के लोग तथा गरीब ग्रामीण कृषक मुख्यतः हानि के पात्र होते हैं, जिनकी पहुंच भूमि तक न होने के कारण उन्हें अनुबन्ध की अत्यन्त प्रतिकूल शर्तो के कारण, वे भूस्वामियों की दया पर निर्भर मौखिक काश्तकार बनकर रह जाते हैं। अतः वैधानिक प्रावधान, जिनका लक्ष्य भूमि सम्बन्धों की कठोर जंजीरो को ढीला कर खेतिहरों को उनकी श्रम साध्यता के फलों का आनन्द लेने के लिए सक्षम बनाना था, अभी तक उनकी पहुंच से बाहर है।

यह, वह पृष्ठभूमि है, जिसमें अनुसूचित जातियों के कुछ सदस्य अनुचित व्यवहार के विरूद्व जब, न्याय की खोज में कुछ संकेतो का प्रदर्शनमात्र ही करते हैं तो उनके विरूद्व हिंसा घटित होती है। इसलिए इस कारण से हुई हिंसा के आपतन की कार्यसूची को निम्नलिखित कठिन कार्यों पर केन्द्रित होना होगाः–

- जिन्हें पहले ही भूमि आवंटित हो चुकी है उन्हें कब्जा दिलाना।
- अनुसूचित जाति के लोगों के स्वामित्व की भूमि से गैर–अनुसूचित जातियों के अतिक्रमण को हटाना।
- उनके कब्जे की सरकारी एवं सार्वजनिक भूमि का नियमन कर उन्हें स्वामित्व का अधिकार प्रदान करना।
- सरकारी भूमि, भूदान भूमि तथा दूसरी सार्वजनिक खाली, अतिरिक्त हदबन्दी भूमि का शीघ्रता से आंबटन करना।
- शीघ्रातिशीघ्र संकेन्द्रित प्रयासों द्वारा मुकदमों में फंसी जमीनों को न्यायालयों से मुक्त कराने के बाद उन्हें अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लोगों मे वितरित करना तथा हदबन्दी के कानूनो में और कड़ाई लाना ताकि वितरण के लिए और अधिक भूमि प्राप्त हो सके।
- अनुसूचित जातियों के लोगों के भूस्वामियों की भूमि पर तथा सार्वजनिक भूमि पर स्थित मकानों के अधिभोगियों के विषय में स्वामित्व अधिकार प्रदान करना, भूमि विहीन/घर विहीन अनुसूचित जातियों के लोगों को गृह निर्माण के लिए न्यूनतम भूमि का आबंटन।
- भूमि के रिकार्डो में काश्तकार/बंटाई पर खेती करने की हैसियत को दर्ज करना।
- सामूहिक भूमि अथवा अन्य सामूहिक सम्पत्ति स्रोतों पर गांव के प्रभावी वर्गों के प्रतिबन्धो को समाप्त करना।
- अनुसूचित जाति के लोगों के स्वामित्व की भूमि को अदेय बनाना।

गरीबी उपशमन के अन्तर्गत कार्यक्रमों की परिधि में अनुसूचित जातियों के जो लोग नहीं लाए जा सके उनकी भूमि की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए सिंचाई तथा अन्य निवेशों का लाभ देना।

(स्त्रोतः अनुसूचित जातियों के प्रति अत्याचार निवारण रिपोर्ट/राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 2002/के.बी. सक्सेना)

2.8 दलित और ऋण राहत विधान

ऋण राहत प्रावधानों के क्रियान्वयन की स्थिति भी दलितों के लिए कोई कारगर साबित नहीं हुई है। वास्तव में गरीबी उपशमन की नीति को लागू करते समय इसे पूर्णतया अनदेखा किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में 90 प्रतिशत से अधिक ऋण की आपूर्ति गैर संस्थागत स्रोत जैसे साहूकारो, व्यापारियों, आड़तियों, महाजनों इत्यादि द्वारा होता है। यद्यपि अब स्थिति में बदलाव आया है। उत्पादन प्रयोजन के लिए पर्याप्त ऋण संस्थागत अभिकरणों जैसे मुख्यतः वाण्जियक बैंकों, सहकारिताओं से मिलता है परन्तु अब भी ग्रामीण खेतीहरों को उधार का अच्छा खासा भाग गैर संस्थागत क्षेत्रों से प्राप्त होता है। दलितों को या तो पेशेवर साहूकार या उन भूस्वामियों जिनके खेतों पर वे काम करते, उधार लेने के लिए विवश होना पड़ता है। जिसकी ब्याजदर बैंको के ब्याजदर से कई गुणा अधिक होती है। यह सर्व विदित है कि बड़ी संख्या मे अत्याचारों का संबंध दलितों द्वारा उधार लिया गया ऋण होता है। संस्थागत अभिकरण भी दलितों को उपभोग के लिए ऋण देने के प्रति रूचि नहीं लेते हैं, साथ ही ऋण लेने की प्रक्रिया भी काफी पेचीदगी है जिससे दलितों को आवेदन प्रक्रिया पूरी करने में भी अनेक समस्याऐं आती हैं।

2.9 दलित भूमि से सम्बन्धित कुछ आंकडे

राजस्थान में सितम्बर 1996 में अनुसूचित जातियों को अतिरिक्त भूमि के वितरण की यथास्थित :–

कुल क्षेत्र तथा लाभार्थी

वितरित क्षेत्र	455176
लाभार्थियों की कुल संख्या	77899
वितरित क्षेत्र	145317

वितरित क्षेत्र तथा अनुसूचित जाति के लाभार्थियों की संख्या

लाभार्थियों की संख्या	28453
क्षेत्र में प्रतिशतता का अंश	32.13
लाभार्थियों की संख्या में प्रतिशतता	36.52
समस्त भारत में क्षेत्र की प्रतिशतता का अंश	8.03
समस्त भारत में लाभार्थियों की प्रतिशतता का अंश	1.53
औसत वितरित क्षेत्र	5.10

1992 में राजस्थान में भूमिविहिन तथा लगभग भूमिविहीन अनुसूचित जातियों के परिवारों की प्रतिशतता (कुल ग्रामीण परिवारों की प्रतिशतता)

भूमिविहीन	76.11
आधा एकड़ से कम	29.10
आधा एवं एक एकड़ के बीच	6.18
एक एकड़ तक	35.28
भूमिविहीन एवं एक एकड़ तक	43.04

सीलिंग प्रकरण

नयें एवं पुराने सीलिंग जो अब तक ध्यान में आए उनमें आज तक की गई कार्यवाही विवरण

1.	दर्ज हुए प्रकरणों की संख्या	88026
2	निर्णीत हुए प्रकरणों की संख्या	87387
3	शेष रहे प्रकरणों की संख्या	639
4.	पुनः शुरू किये गये प्रकरणों की सख्या	1255

5. अब तक राज्य सरकार के पक्ष में अधिग्रहण करने के आदेश के तहत् भूमि 606070 एकड़ अधिग्रहण भूमि में से वास्तविक कब्जे में लिया गया क्षेत्रफल

कृषि योग्य	489227 एकड़
अकृषि योग्य भूमि	60860 एकड़
योग –	550087 एकड़

अब तक सीलिंग भूमि जो

आवंटित हुई	4400850 एकड़
लाभान्वित की संख्या	77645

आंवटियों का वर्गीकरण निम्न प्रकार है:–

संख्या	जातियाँ	लाभान्वितों की संख्या	क्षेत्रफल
1.	अनुसूचित जाति	27994	120728 एकड़
2.	अनुसूचित जनजाति	11142	45283 एकड़
3.	अन्य	38509	234839 एकड

आंवटन से शेष भूमि – 88377 एकड़

2.10 दलित बनाम वैश्वीकरण

2.10.1 वैश्वीकरण क्या है ?

वैश्वीकरण का स्वरूप इस प्रकार है:

मानवीय नव–निर्माणों और टेक्नोलॉजी में प्रगति के परिणामस्वरूप बाजारों, राष्ट्र–राज्यों और टेक्नोलॉजी के बीच बढ़ते समन्वय की प्रक्रिया तथा आर्थिक उदारीकरण की सोची–समझी वैचारिक परियोजना जिसके अंतर्गत सरकारें और व्यक्ति बाजार की ताकतवर शक्तियों के अनुरूप व्यवहार करते हैं।

वैश्वीकरण की प्रवृति पहले भी विविध रूपों में मौजूद रही है। पुराने जमाने से ही विभिन्न देशों के बीच व्यापार सेवाओं, पूंजी और श्रम का आदान–प्रदान होता रहा है। लेकिन पिछले 50 वर्षो में वैश्वीकरण विश्व के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों को नियन्त्रित करने वाली प्रमुख शक्ति बन गया है। वस्तुओं, पूंजी, सेवाओं, के मुक्त व्यापार के लिए नये नियम–विनियम बनाना और इस व्यवस्था में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.), अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ) और विश्व बैंक के जरिये लागू करना वैश्वीकरण का नया महत्वपूर्ण पक्ष है।

2.10.2 वैश्वीकरण के इस नये रूप के निहितार्थ क्या हैं ?

वर्तमान वैश्वीकरण प्रक्रिया अपनाने से दो प्रमुख परिवर्तन जुड़े है :–

अंतराष्ट्रीय व्यापार का उदारीकरण : सभी देशों को व्यापार से प्रतिबंध हटाने चाहिये और वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, सूचना ओर टैक्नोलॉजी का अंतर्देशीय प्रवाह शुरू कर देना चाहिये।

निजीकरण : व्यापार–केन्द्रित निजी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना सरकार या दूसरे शब्दों में, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत निर्वाचित जन–प्रतिनिधियों की, अर्थव्यवस्था और समाज के नियमन में न्यूनतम भूमिका होनी चाहिये।

2.10.3 वैश्वीकरण का दलितों पर असर

दलित वैश्वीकरण के बारे में क्या महसूस करते है ? निजीकरण और बाजार केन्द्रिय व्यवस्था के दौर में नई आर्थिक वैश्विक प्रणाली में दलितो का भविष्य कैसा होगा ?

- एक सकारात्मक कार्यवाही (आरक्षण) जिसके अंतर्गत दलितों को सरकारी तंत्र, सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों ओर शिक्षा–क्षेत्र में, उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाये।
- भेदभाव रोकने वाले तथा अन्य निवारक कानून, जैसे छुआछूत को अपराध करार देने वाले अधिनियम, लागू किये गए।
- भूमि सुधार कानून अपनाये गए।
- दलितों के आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए विशेष कल्याण कार्यक्रम चलाये गए।

इन सभी उपायों का मुख्य उद्देश्य दलितों को निश्चित पूंजिगत संपत्तियों, निजी स्वामित्व और मानव संसाधन, क्षमता बढ़ाना और यह सुनिश्चित करना रहा कि दलितों को आवास, स्वास्थ्य, पीने का पानी, बिजली आदि सामाजिक और बुनियादी सुविधाएं मिलें। केवल इतने ही उपाय पर्यापत नहीं है और इनका भी पूर्णतः प्रभावी कार्यान्वयन अभी तक नहीं हो पाया है। सकारात्मक कार्यवाही की नीति अब तक केवल सरकारी और सरकार की मदद से चलने वाले क्षेत्रों में ही लागू हुई है। 90 प्रतिशत से ज्यादा दलित निजी क्षेत्र में काम करते हैं और निजी क्षेत्र में ही ये नीतियां लागू नहीं है।

2.10.4 बदली हुई नीतियां

नई आर्थिक नीति के अन्तर्गत आर्थिक और सामाजिक नियोजन तथा नीति–निर्धारण में सरकार की भूमिका बहुत कम करने की बात कही गई है 1980 के दशक में दलितों तथा समाज के अन्य निर्धन और वंचित वर्गो के हित में चलाई गई अनेक नीतियां संशोधित कर दी गई है। नई नीति के तहत उठाये गऐ इन कदमों से यह स्पष्ट हो जाता हैः–

- भूमि सुधार के उपाय रोक दिये गये है।
- भू–स्वामित्व की सीमा सम्बन्धी कई मामलों में ढ़ील दी गई है।
- छोटे काश्तकारो को कोई संरक्षण दिये बिना भू–स्वामित्व के अधिकार दिऐ गये हैं।
- शिक्षा, खासकर तकनीकी तथा व्यावासिक शिक्षा के क्षेत्र में निजी उद्‌मियों को आने की इजाजत दी गई है जिससे उच्च शिक्षा मंहगी हो गई है और इस परिस्थिति में दलितों जैसे भेदभाव–ग्रस्त समूहों को बचाने के कोई सकारात्मक प्रावधान नहीं किये गये हैं।
- निजी बीमा कम्पनियों को बिना गरीबों का ध्यान रखनें वाली नीतियां अपनाने तथा, बाजार मे आने की इजाजत दी गई है।
- उद्योग, बैकिंग तथा बीमा क्षेत्र जैसे निजी क्षेत्रों में दलितों के उत्थान हेतु सकारात्मक कार्य–नीति अपनाने का कोई दबाव नहीं।
- अनेक गरीबी–निवारण कार्यक्रमों–जैसे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, कर्मचारी गारंटी योजना जैसी योजनाओं पर खर्च कम कर दिया गया है।
- पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा और अन्य संरक्षक उपायों को अपनाये बिना श्रम सुधार योजनाऐं शुरू की जा रही है।
- इस तरह सरकार की पुरानी नीतियां बदली जा रही है और खुले बाजार की अर्थ–नीति को बढ़ावा दिया जा रहा हैं।

2.10.5 निजीकरण तथा बाजार : दलितों को और अधिक अलग–थलग करने तथा भेदभाव के औजार

कम क्रय–शक्ति के कारण तो दलित बाज़ार से बाहर ही हो जाते हैं, जातिगत भेदभाव के कारण भी बाज़ार तक उनकी पहुँच नहीं हो पाती। निजीकरण के दौर में सरकार द्वारा आर्थिक क्षेत्र का नियंत्रण छोड़ देने, विभिन्न बाज़ारों को नियमन से मुक्त कर दिये जाने और शिक्षा, स्वास्थ्य उद्योग और वित्तिय क्षेत्रों के बदलावों की वजह से अब दलितों को श्रम बाज़ार तथा पूंजी, भूमि, सूचना आदि क्षेत्रों में ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ रही है। निजी क्षेत्र में "अनौपचारिक चैनलों" से बड़े पैमाने पर नियुक्तियां होनें से दलितों की स्थिति श्रम बाज़ार में बिगड़ती जा रही है क्योंकि अवसरों के नेटवर्क तक उनकी पहुँच नहीं है और वे अपेक्षाकृत साधनहींन तथा अधिकारहीन हैं।

2.10.6 दलितों के रोजगार के अवसरों पर वैश्वीकरण का प्रभाव

दलित दहाड़ी मज़दूरी पर ज्यादा निर्भर हैः– भूमि (जो एक अचल पूंजीगत संपत्ति) पर अपर्याप्त स्वामित्व की वजह से दलित परिवारो की हाथ की दहाड़ी मज़दूरी वाले धंधों पर बहुत अधिक निर्भरता है। वर्ष 2000 में गांवो और शहरों में अनुसूचित जाति के 65 प्रतिशत परिवार दहाड़ी मज़दूरी पर निर्भर थे।

दलित स्व–रोजगार से वंचित होकर दहाड़ी मज़दूर हो रहे है : सरकार की उदारीकरण की नीति के बाद 1990 के दशक से दलितों के रोजगारों की गुणवता में कमी आई है। 1990 के दशक के दौरान अपनी रोजी–रोटी खुद कमांने वाले खेतीहरो का प्रतिशत घटा है और कृषि मज़दूरी तथा खेती के अलावा अन्य क्षेत्रों में मज़दूरी पर निर्भर परिवरों का प्रतिशत बढ़ा है।

शहरी दलितों को स्थायी मज़दूरी के स्थान पर अस्थाई दहाड़ी मज़दूरी करनी पड़ रही है : 1990 के दशक में शहरी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के लोगों के रोज़गार के स्वरूप में नकारात्मक परिवर्तन हुआ है और इसका स्थायित्व बढ़ता जा रहा है। अनुसूचित जाति के स्थायी कामगारों का प्रतिशत घट रहा है, जिससे नियमित वेतन पाने वालों के बीच तथा अन्य सेवा में, बराबरी के साथ पहुँच पाने की उनकी अक्षमता का पता चलता है। अपना काम–धंधा करने ओर अस्थायी मज़दूरी करने की दिशा में रूझान बढ़ा है। इस तरह 1980 के दशक की प्रवृत्तियां पलट गई है जब अस्थायी मज़दूरों ओर अपना काम–धंधा करने वालों का अनुपात काफी कम हुआ था।

निजीकरण से शहरी दलितों की बेरोजगारी बढ़ी है : 1977 से 1993 के दौरान सभी राज्यों की सम्मिलित बेरोज़गारी दर में गिरावट के रूझान रहे। लेकिन 1990 के दशक में (1993 –1999 के दौरान) यह स्थिति एकदम पलट गई है और बेरोजगारी दर, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ गई। निजीकरण की वजह से सार्वजनिक क्षेत्र में वेतन भोगी कर्मचारियों की संख्या में भी काफी कमी आई है।

निजीकरण की प्रक्रिया के दौरान चुपके–चुपके आरक्षण समाप्त किया जा रहा है : सरकार की नव उदारवादी नीतियों की वजह से निजी क्षेत्र के अनेक उद्योगों से सरकारी काम किया जा रहा है और भविष्य में सार्वजनिक क्षेत्रों की अपेक्षा में निजी क्षेत्र के रोजगार का ज्यादा फायदा उठायेगें। दूसरी ओर, दलित वर्गों के लोगों के प्रति शिक्षा तथा व्यवसायिक कौशल सीखने तथा रोजगार के मामलों में भेदभाव किया जा रहा है जिससे उनके मानवीय संस्थानों का कम विकास हो पाया है फलस्वरूप, निजीकरण से उपलब्ध रोजगारों का वे लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।

ऋण बाजार मे भी निजिकरण का दौर चल रहा है : उदारीकरण की नीति के तहत बैंकों और अन्य वित्तिय संस्थानों का निजीकरण होता जा रहा है जिससे प्राथमिकता के क्षेत्रों में तथा गरीबों दलितों को ऋण देने की नीतियां धीरे–धीरे समाप्त की जा रही हैं। 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसलिये किया गया था कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में तथा गरीबों की अनदेखी कर रहे थे। व्यवसायिक आधार पर ही ऋण देने की नीति से प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ऋणों को 18 प्रतिशत से घटाकर 13 प्रतिशत किया जा चुका है। इस रूझान से सीधे–सीधे दलितों को मिल सकने वाले धन के प्रवाह में कमी आई है।

2.10.7 दलित महिलाओं पर वैश्वीकरण का असर

दलित महिलाओं के साथ पहले ही जाति, वर्ग तथा लिंग के आधार पर भेदभाव होता रहा है। वैश्वीकरण का उन पर खास तौर से विशेष असर पड़ा है। इसके विविध कारक इस प्रकार हैं –

- 71 प्रतिशत दलित के साथ पहले ही इस जाति, वर्ग, महिलाऐं कृषि क्षेत्र मे मज़दूरी करती है।
- उनमें केवल 23 प्रतिशत साक्षर हैं।
- बीच में ही स्कूल छोड़ देने वाली दलित महिलाओं का प्रतिशत काफी चिंताजनक 64 प्रतिशत है।
- परिवार की रोजी–रोटी कमाने में दलित महिलाओं की सबसे ज्यादा भागीदारी है।
- अपने घर तथा स्वास्थ्य सुविधाओं का पहले ही उनके लिए काफी अभाव है।
- यौन–दुर्व्यवहार और ऊंची जातियों के दबदबे वाले लोगों के दुर्व्यवहार की वे प्रायः शिकार होती रहती है।

वैश्वीकरण की प्रक्रिया के तहत सामाजिक सेवाओं पर सरकारी खर्च घटा है। इसका दलित महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, विकास और रोज़ी–रोटी पर सीधा विपरीत असर पड़ा है।

2.10.8 दलित महिलाओं की गरीबी

- दलित महिलाओं के पास अपनी जमीन प्रायः नहीं होती और इनमें से ज्यादातर कृषि क्षेत्र में कार्यरत दहाड़ी मज़दूर है।
- 1991 में भारत के गांवो में 71 प्रतिशत दलित महिलाऐं खेत मज़दूर थी। केवल 19 प्रतिशत महिलाएं खुद खेतिहर थी। इसके विपरीत, 43 प्रतिशत गैर–दलित महिलायें खेत मज़दूर और 42 प्रतिशत खेतिहर थी।
- खेती का काम मौसमी होता है जो पूरे साल नहीं मिलता। जब काम नहीं होता तो कोई आमदनी भी नहीं होती है।
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दलित महिलाओं की बेरोजगारी की दर गैर–दलित महिलाओं से ज्यादा है।
- ताजा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार, दैनिक आधार पर दलित महिलाओं की बेरोज़गारी दर 4 प्रतिशत है। जबकि गैर–दलित महिलाओं की बेरोज़गारी दर 0.97 प्रतिशत हैं।
- बड़ी संख्या में दलित महिलायें गंदे व मलिन कहे जाने वाले पेशों में लगी है जिन्हें नीचा काम कहा जाता है। इन पेशों की वजह से, इन महिलाओं की सामाजिक संबंधों और रोज़गार में भेदभाव झेलना पड़ता है। उदाहरण के लिए, सफाई कर्मचारी काम करने वाली महिलाओं को घरों में खाना बनाने या अन्य कामों के लिए नौकरी नहीं मिलती है।

2.10.9 नई आर्थिक नीतियों का प्रभाव

- नये आर्थिक सुधारों का नकारात्मक असर दलित महिलाओं पर नजर आने लगे हैं–
- 1991 में आर्थिक सुधार लागू होने के बाद बेरोज़गारी और गरीबी बढ़ गई। गरीबी का अनुपात 1998 में 38 प्रतिशत से बढ़कर 2002 में 48 प्रतिशत हो गया। दलित पुरूष और महिलाएं समाज के गरीब और बेरोज़गार वर्गो में हैं और इन पर आर्थिक सुधारों की मार सबसे ज्यादा पड़ी है।
- ज्यादातर दलित महिलाए अकुशल मज़दूर है। अतः प्रतिस्पर्धात्मक बाज़ार में कम कार्य–दिवसों तथा श्रम मानकों को न अपनाऐं जानी वाली बदल चुकी श्रम नीतियों के दौर में उनके श्रम के बहुत कम दाम मिल रहे हैं। सस्ते श्रम का मतलब है कम आमदनी, और असुरक्षित श्रम का मतलब है और अधिक शोषण। परिणाम यह होता है कि दलित महिलायें बाज़ार की ताकतों की बुरी तरह शिकार हो रही है।
- बाहरी काम के अलावा महिलाऐं अपने घर में जो घरेलू काम करती है वह भी सार्वजनिक संसाधनों, जैसे पानी के स्रोत और वनों के विरल होते जाने की वजह से कठिन होते जा रहे हैं क्योंकि कृषि के व्यवसायीकरण तथा जल के निजीकरण के कारण ये संसाधन सार्वजनिक उपयोग से बाहर होते जा रहे हैं। दलित महिलाओं को अब पीने का पानी और जलावन की लकड़ी लाने के लिए ज्यादा दूर जाना पड़ता हैं, जिससे उनका काम का बोझ और शोषण की आशंका भी बढ़ी है।
- जाति और लिंग के अलावा, वैश्वीकरण अब भेदभाव का नया कारक बन गया है। वैश्वीकरण के साथ निजीकरण जुड़ा है जिसकी वजह से दलित महिलाओं को अच्छी शिक्षा से वंचित रहना पड़ रहा है। इसके कारक स्पष्ट है : बुनियादी साक्षरता की कमी और निजी शिक्षण संस्थाओं का ऊँचा खर्च। निस्संदेह, दलित महिलाऐं अब शिक्षा के मामलों में पिछली सदियों जैसे पिछड़ी स्थिति में पहुँच जाएगी।

- ज्यादातर दलित महिलाये बीमारियों के उपचार के लिए सरकारी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर निर्भर रहती है। सरकार अब इस क्षेत्र में अपना खर्च कम कर रही है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के व्यवसायीकरण तथा निजीकरण से, गरीब दलित महिलाऐं या तो बीमार रहकर जीने को मज़बूर है या इलाज के लिये उन्हें उधार लेना पड़ता है। इसका असर होता है दलितों के बच्चों और पूरे परिवार भी बीमार पड़ते है और दलित महिलाओं की दहाड़ी मज़दूरी तथा आमदनी कम हो जाती है।

- सामाजिक आर्थिक दृष्टि से वंचित वर्गो को रोजगार दिलाने के लिए सरकारी नौकरियां, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठितों और बैंको में आरक्षण नीति अपनाई गई थी जो अब इन क्षेत्रों के निजीकरण से कम होता जा रहा है। उसके साथ ही, सरकार द्वारा उत्पादन क्षेत्र से हाथ खींच लेने से शहरी दलित महिलाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार तलाशना पड़ रहा है जहां भेदभाव और भी अधिक है। निजी क्षेत्र में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए कोई सरंक्षक नहीं होता। अतः दलित महिलाओं का आगे बढ़ पाना ज्यादा कठिन होता जा रहा है। इस तरह, आर्थिक सुधारों के पहले के दौर में सरकार के योजनाबद्ध प्रयासों से दलितों के आगे बढ़ने की प्रक्रिया अब पूरी तरह अवरूद्ध हो गई है।

2.10.10 आर्थिक कारण

पिछले दशक में प्रमुख आर्थिक सुधारों के प्रारम्भ के बाद से पिछली नीतियां बदल दी हैं और इन सुधारों को आगे बढ़ाते हुये वित्तिय कदम उठाये गये जिनमें निम्नलिखित कार्य शामिल हैः–

- अव्यापारिक (नॉन–ट्रेडेड) वस्तुओं की वजाय व्यापारिक (ट्रेडेड) क्षेत्र की ओर रूझान तथा ट्रेडेड क्षेत्र में काम आने वाली वस्तुओं की बजाय निर्यात वाली वस्तुओं की ओर रूझान।
- व्यापार तथा निवेश उदारीकरण के जरिये भारतीय बाज़ार को विश्व अर्थव्यवस्था के लिए खोल देना।
- सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के विनिवेश तथा उनके बढ़ते निजीकरण पर जोर देने से, यहां कर्मचारियों की छंटनी बढ़ी है और सरकारी नोकरी के अवसर कम होते जा रहे है।
- कृषि तथा गैर कृषि उद्योगों के लिए बैंक ऋणों में भारी कटौती से इन उद्योगोंपर, और इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण रोजगारों पर बुरा असर पड़ रहा है।
- आर्थिक सुधारों में देश के औद्योगिक विकास के साथ–साथ, बेरोजगारी दूर करने के लिए भी विदेशी निवेश के उदारीकरण पर ज़रूरत से ज्यादा भरोसा किया है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूनएनडीपी) की 1993 की मानवीय विकास रिपोर्ट में कहा गया है कि बहुर्राष्ट्रीय निगमों तथा उनकी सहयोगी कम्पनियों ने विकासशील देशों में बड़े पैमाने पर निवेश तो किया, पर उन्हें रोज़गार के अवसर जुटाने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। 1990 से 1993 के दौरान सभी विकासशील देशों में विदेशी निवेश के जरिये पेदा हुये रोज़गारों की संख्या केवल भारत में ही हर साल रोज़गार पाने वाले लोगों की संख्या से भी कम है।

2.10.11 शिक्षा

करीब दो दशक पहले 1986 में, जब भारत सरकार की नीतियां वैश्वीकरण के दबाव में नहीं थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 6 से 11 वर्ष के आयु वर्ग के सभी तथा 11 से 14 वर्ष के 75 प्रतिशत दलित बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिलाने का लक्ष्य रखा गया था। 1992 में फिर इस लक्ष्य को दोहराया गया। इसके बाद वर्ष 2000 में भी, सर्व शिक्षा अभियान में स्कूल समितियों में दलितों के स्वामित्व तथा हिस्सेदारी, वैकल्पिक स्कूली सुविधाओं और ऐसी ही अन्य नीतियों पर जोर दिया गया। लेकिन इन नीतियों और कार्यक्रमों पर बहुत कम अमल हुआ। छठी योजना तक कुल योजना परिव्यय का मुश्किल से 0.52 प्रतिशत

ही दलितों के विकास के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के लिए आवंटित किया गया। हालांकि आंठवी पंचवर्षीय योजना में विशेष घटक योजना (स्पेशल प्लान) बनाये जाने के बाद इस मद के लिए 12.3 प्रतिशत आवंटन रखा गया।

वर्ष 1999 में देश में करीब 5,98,000 प्राइमरी और 1,77,000 अपर–प्राइमरी स्कूल थे। फिर भी नजदीक दूरी पर स्कूलों की उपलब्धता के मामलों में दलितों की स्थिति खराब थी। गांवों में प्राइमरी स्कूलों तक पहुँच के मामलों में दलितों के लिए विषमता की स्थिति (प्रतिशत आसानी से उपलब्ध नहीं होना बताता है) इस प्रकार है :–

सामान्य बस्तियां	–	49.79 प्रतिशत
दलित बस्तियां	–	62.97 प्रतिशत

अपर प्राइमरी स्कूलों में पहुंचा की विषमता इस प्रकार थी '?:

सामान्य बस्तियां	–	86.13 प्रतिशत
दलित बस्तियां	–	93.49 प्रतिशत

गरीब तथा जातिगत भेदभाव की वजह से दलित सदियों से शिक्षा से वंचित रहे हैं और इसी की वजह से शैक्षिक स्तर के मामलों में दलितों और गैर–दलितों के शैक्षिक स्तर में अब अधिकविषमता हो गई है। निजीकरण की वर्तमान नीति से स्थिति और बिगड़ गई है। सरकार दलित बच्चों को छात्रवृत्ति जैसे प्रोत्साहनों के लिए बजट घटा रही है और दलितों वर्गो में प्राइमरी शिक्षा के विस्तार का प्रयास खतरे में पड़ गया है, यहां तक कि इन वर्गो की प्राइमरी शिक्षा का स्तर भी गिरने लगा है।

2.10.12 उच्च शिक्षा

उच्च शिक्षा की स्थिति भी प्राइमरी शिक्षा जैसी खराब है। वर्तमान शैक्षिक नीतियों ने उच्च शिक्षा के दरवाजे दलितों के लिए बन्द कर दिये हैं। इन नीतियों का असली मकसद क्या है ?

कुल मिलाकर सरकार ऐसी कोशिश कर रही है कि शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसी सार्वजनिक अव्यापारिक सेवाओं को भी विश्व व्यापार संगठन (WTO) के व्यापार तथा सेवाओं के आम समझौते (ATS)के तहत, उदारीकरण की प्रक्रिया के अन्दर लाया जाये। निजी शैक्षिक संस्थाओं द्वारा प्रायोजित अनौपचारिक शैक्षिक प्रणालियों के प्रवेश तथा विस्तार में सरकारी सहायता से चल रही शैक्षिक प्रणाली को एक बाधा के तौर पर देखा जा रहा है।

इसलिये, विदेशी विश्वविद्यालयों की मदद से चलाये जाने वाले संस्थानों को घुसाने के लिए उच्च शिक्षा में सरकारी निवेश में भारी कमी की जा रही है। विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा प्रायोजित संस्थान पूरी तरह व्यावसिक नज़रिये से और निजी उद्योगों की तरह चलाये जायेंगे।

सरकारी खर्च से चलने वाले शैक्षिक संस्थानों में काम के दायरे में कटौती के लिए निम्नलिखित हथकण्डे अपनाये जा रहे हैं:

1. नये पाठयक्रमों के प्रारम्भ पर रोक लगाना
2. नये शैक्षिक संस्थानो के बनने पर रोक लगाना
3. वर्तमान शैक्षिक संस्थानों में विद्यार्थियों की संख्या की उच्चतम सीमा तय कर देना
4. शिक्षको तथा कर्मचारियों को अस्थाई नियुक्ति देना
5. पाठयक्रमों की फीस तथा अन्य शुल्क बढ़ा देना
6. निजी संस्थाओं के प्रबन्धन में सरकारी नियंत्रण की समाप्ति

7. संस्थाओं के अनिवार्य आंकलन और मान्यकरण (एक्रीडिटेशन) को उन्हें धन उपलब्ध करानें की शर्त बना देना
8. पहले से चल रही निःशुल्क / कम शुल्क वाली शिक्षा वाले प्रोत्साहनों के स्थान पर विद्यार्थियों को ऋण देने की योजनाएं चलाना

सुनियोजित ढ़ंग से उच्च शिक्षा में सरकारी भागीदारी घटाने के साथ–साथ लाइसेंस का निजीकरण के फलने–फूलने की आदर्श स्थितियां पैदा की गई हैं। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक सरकार ने ऐसी नीतियां अपनाने में सबसे आगे रहते हुई इंजीनियरी, डॉक्टरी, फार्मेसी और अध्यापन जैसे तकनीकी पाठ्यक्रम चलाने वाली अनेक निजी संस्थान खोले जाने की इज़ाजत दी। महाराष्ट्र सरकार भी इसी राह पर चल पड़ी है। ये सभी निजी संस्थान, राज्य सरकारों की सांठ–गांठ से, भारी राजनीतिक रसूख रखने वाले उद्योगपत्तियों ओर धनी व्यक्तियों द्वारा चलाये जा रहे हैं।

अपनी संस्थाओं पर खर्च में कटौती के साथ–साथ, राज्य सरकारें इस क्षेत्र में धंधा कर रहे निजी संस्थानों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित तौर–तरीके अपना रही है :–

1. नाममात्र कीमत पर जमीन मुहैया कराना।
2. सरकारी प्राध्यापकों का अतिरिक्त समय में निजी संस्थानों में पढ़ाने की इज़जात देना।
3. निजी संस्थान खोलने के लिए नोटिस की अवधि कम करना।
4. निजी संस्थानों में न्यूनतम सुविधाएं सुनिश्चित करवाने में विश्वविद्यालयों की नियंत्रण भूमिका में कमी लाना।
5. अनिवासी भारतीय (NRI) विद्यार्थियों का कोटा बढ़ाना।
6. प्रबंधन कोटा बढ़ाना।
7. फीस बढ़ाने पर पाबंदियां कम करना।

इन नीतियों तथा प्रोत्साहनों की वजह से आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडू, में निजी संस्थानों की संख्या में बेहताशा वृद्धि हुई है। शिक्षा के इन धंधे वालों का मुनाफा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने इन्हें फीस बढ़ानें की छूट दे रखी है। सालाना फीस बढ़ कर 14000 रूपये कर दी गई है और अनिवासी भारतीयों (NRI's) से 4000 डॉलर सालाना बटोरे जा सकते हैं। इन संस्थानों का प्रति विधार्थी का खर्च 10 से 12 हजार रूपये तक आता है, बाकी रकम ये हजम कर जाते है। इस तरह दलित ओर आदिवासी विद्यार्थियों का उच्च शिक्षा पाना असंभव सा हो गया हैं क्योंकि सरकारी संस्थान सिमटते जा रहे हैं और निजी संस्थानों द्वारा वसूली जाने वाली ऊँची फीस दलित विद्यार्थी दे नहीं पाते हैं।

भाग–3

विधिक प्रावधान

3.1 संवैधानिक प्रावधान

3.2 भूमि–संरक्षण एवं सुधार सम्बन्धी प्रावधान

- 3.2.1 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
- 3.2.2 अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 व नियम 1995
- 3.2.3 राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 व नियम 1973

3.3 भूमि आवंटन सम्बन्धी प्रावधान

- 3.3.1 राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवटंन) अधिनियम 1956
- 3.3.2 राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवटंन) नियम 1970
- 3.3.3 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994
- 3.3.4 राजस्थान उपनिवेशन (कमजोर वर्गो को रिहायशी भूमि आवंटन) नियम 1974

3.4 भूमि से बेदखली सम्बन्धी प्रावधान

- 3.4.1 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
- 3.4.2 महत्वपूर्ण सरकारी परिपत्र

3.5 पुर्नस्थापन एवं पुर्नवास सम्बन्धी प्रावधान

- 3.5.1 राष्ट्रीय पुर्नस्थापन एवं पुर्नवास नीति–2007
- 3.5.2 अनु. जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 व नियम 1995
- 3.5.3 मैला ढोने का कार्य एवं शुष्क शौचालय निर्माण (निषेध) अधिनियम 1993

3.6 आर्थिक स्वावलम्बन सम्बन्धी प्रावधान

- 3.6.1 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना–2005
- 3.6.2 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1946

3.7 अनु. जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 व नियम 1995 की मुख्य विशेषताऐं

3.8 विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, नियम 1995

3.9 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994

3.10 सूचना का अधिकार

3.11 विशेष आर्थिक जोन अधिनियम–2000

3.12 अन्य भूमि से सम्बन्धित मुख्य प्रावधान

- 3.12.1 रास्तों के विवाद
- 3.12.2 सीमा ज्ञान
- 3.12.3 नामान्तरण
- 3.12.4 अभिलेख शुद्धिकरण
- 3.12.5 भूमि रूपान्तरण

3.12.6 खातेदारी अधिकार प्राप्त करना
3.13 राजस्व तथा अपराधिक न्यायालय
3.14 अन्तर्राष्ट्रीय मानक
3.15 भूमि से सम्बन्धित परिपत्र

3.1 संवैधानिक प्रावधान

3.1.1 समता का अधिकार अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य द्वारा किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से वंचित नहीं किया जा सकता है।

3.1.2 अनुच्छेद 15 में समानता की अवधारणा का प्रवर्तन अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की परिस्थितियों से निश्चित रूप से सम्बद्ध है। इसके अनुसार

- राज्य धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान तथा इनमें से किसी एक आधार पर बिल्कुल भेदभाव नहीं करेगा।
- किसी भी नागरिक को केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जंन्म स्थान के आधार पर व इनमें से भी एक के आधार पर निर्योग्यता, देयता प्रतिबन्ध के अधीन नहीं किया जा सकता इसके दूसरी परिस्थितियों में भी जैसे–
    - दुकानों, सार्वजनिक रेस्तराओं, होटलों तथा सार्वजनिक स्थलों पर अथवा
    - कुओं, तालाबों, स्नानघरों, सार्वजनिक रिसोर्टो जिनका पूर्णतया अथवा अंशतः सरकारी धन से रख–रखाव होता है या सार्वजनिक प्रयोग के लिए समर्पित है।

3.1.3 अस्पृश्यता का अंतः भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार "अस्पृश्यता" का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप मे आचरण निषिद्व किया जाता है। "अस्पृश्यता" से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा।

3.1.4 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण : भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को, उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जायेगा, या न्यूनतम जीवका एवं आश्रय के साथ मानवीय सम्मान एवं आदर के साथ जीने का अधिकार तथा वे सभी अधिकार एंव जीवन के सभी पहलूओं, जिनसे से मनुष्य का जीवन पूर्ण एवं जीने योग्य बनता है, जीने के अधिकार का हिस्सा रहेगें।

3.1.5 कर्मकारो के लिए निर्वाह मजदूरी आदि :– भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 के अनुसार राज्य, उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के उधोग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारो को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का सम्पूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा और विशेषतया ग्रामो में कुटीर उधोगों को वैयक्तिक या सरकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा।

3.1.6 न्याय के समान अवसर :– अनुच्छेद 39–क के अनुसार राज्य सुरक्षित करेगा कि समान अवसर के आधार पर विधिक प्रणाली के कार्य को न्याय पर उन्नत करता है और विशिष्टतः निःशुल्क विधिक सहायता को उपलब्ध विधान द्वारा या योजनाओं या किसी अन्य तरीके में यह सुनिश्चित करने के लिए प्रदान करेगा कि न्याय निश्चित करने के लिए अवसरों को आर्थिक या अन्य अयोग्यता के कारण द्वारा किसी नागरिक के लिए मना नहीं किया जाता है।

3.1.7 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियो और अन्य दुर्बल वर्गो के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्वि : भारतीय संविधान के अंनुच्छेद 46 के अनुसार राज्य जनता के दुर्बल वर्गो के, विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों और

अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक न्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा।

3.2 भूमि–संरक्षण एवं सुधार सम्बन्धी प्रावधान

3.2.1 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधान

- धारा–42 (बी) के तहत यह प्रावधान है कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को तथा अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को ही अपनी कृषि भूमि का विक्रय, दान या वसीयत कर सकता है। अगर अन्य को करता है तो इस प्रकार का हस्तानान्तरण कानूनन मान्य नहीं होगा।

  इस कानून से बचने के लिए कुछ लोग संस्था बना लेते हैं तथा यह तर्क देते है कि संस्था की कोई जाति नहीं होती इसलिये इस प्रकार का लेनदेन हो सकता है, लेकिन फिलहाल न्यायालयों ने इस तर्क को मानने से इन्कार कर दिया है।

- धारा 43 (अ) में यह प्रावधान है कि अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति कृषि भूमि को रहन (मोरगेज) यानि बंधक रख सकता है।
- धारा 46 (अ) में यह प्रावधान है कि अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को ही कृषि की जमीन उपपट्टे पर दे सकता है।
- धारा 49 (अ) में यह प्रावधान है कि अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति से कृषि भूमि का अदल–बदल (विनिमय) कर सकता है।

3.2.2 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989

धारा 3 जो कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य नहीं है और वह नीचे दी गई दोनों उपधाराओं के अन्तर्गत अपराध करता हैः–

- 3 (1) (iv) जबरदस्ती किसी भी भूमि पर कब्जा/खेती करना जिस पर उसका मालिकाना हक है/उसे आवंटित की गयी है/या उसके नाम घोषित है एवं ऐसी भूमि को अपने नाम हस्तांतरित करना।
- 3 (1) (v) जबरदस्ती अनुसूचित जाति/जनजाति जमीन को हथियाना या फिर उसे प्राकृतिक साधनों के उपयोग करने से रोकना

3.2.3 राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा (Ceiling) अधिरोपण अधिनियम, 1973

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के खण्ड (ख) और (ग) के अधीन राज्य को अपनी नीति विशिष्टता यह सुनिश्चित करते हुये निर्धारित करनी चाहिये कि समाज के भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियन्त्रण का वितरण इस प्रकार का हो कि सार्वजनिक हित साधना सर्वोतम रूप से हो सके तथा आर्थिक व्यवस्था का इस प्रकार परिचालन हो कि उसके परिणामस्वरूप धन और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के हित में संकेन्द्रणन हो जाये।

अधिकतम सीमा क्षेत्र से अधिक कृषि भूमि का अर्जन करना और ऐसी भूमि का ग्राम जन समुदाय में भूमिहीन तथा अन्य व्यक्तियों में वितरण करना (या कृषि सुधारों के अन्य कार्यो को करने के लिए उपयोग करने के लिए) आवश्यक है, ऐसे वितरण से सार्वजनिक हित की पूर्ति सर्वोतम रूप से हो सकेगी। कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी तथा सामाजिक और आर्थिक न्याय की प्रोन्नति होगी।

- अधिकतम सीमा क्षेत्र से कृषि भूमि का वह अधिकतम क्षेत्र अभिप्रेत है जो कोई व्यक्ति अथवा कुटुम्ब धारा 4 के अधीन राज्य में कहीं भी धारण करने का अधिकार है।
- "व्यक्ति" में कोर्ट, न्यास, कम्पनी, फर्म या व्यक्तियों का संगठन अथवा निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, सम्मिलत है।
- पृथक ईकाई में कोई वस्यक पुत्र और उसकी मृत्यु की दशा में उसकी विधवा और बच्चे, यदि कोई हो अभिप्रेत है।
- 2.5 बीघा = 1 एकड़
- अधिशेष भूमि–अधिकतम सीमा क्षेत्र से अधिक धारित भूमि अधिशेष घोषित भूमि से अभिप्रेत है।

धारा 4 जोतों की अधिकतम सीमा

- व्यक्ति तथा कुटुम्ब पर लागू होगी
- सुनिश्चित सिंचाई वाली भूमि जिसमें वर्ष में कम से कम दो फसलों की पैदावार ली जा सके, सीमा 18 एकड़
- वर्ष में एक फसल सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र – 27 एकड़
- 23 जुलाई 1972 से पूर्व के बगीचे वाले क्षेत्र – 54 एकड़
- कुओं से सिंचाई होने वाली भूमि चाहे जिस क्षेत्र में हो – 48 एकड़
- अर्द्ध उपजाऊ भूमि की अन्य भूमियों में – 54 एकड़
- पहाड़ी जोन में आने वाली भूमि – 54 एकड़
- अर्द्ध रेगिस्तानी जोन में आने वाली भूमि, 125 एकड़

धारा–10 अधिकतम सीमा क्षेत्र से अधिक भूमि धारण करने वाले व्यक्तियों द्वारा विवरण दिया जानाः– इस अवधि नियम के प्रारम्भ होने (14 जनवार, 1993) के 120 दिन के भीतर प्रत्येक व्यक्ति, जो अधिकतम सीमा क्षेत्र से अधिक भूमि धारण करता है, वह प्राधिकरण अधिकारी को प्रारूप में सभी विशिष्टियों सहित एक विवरण देगा।

धारा 11(क) विहित अवधि के बाद विवरण संशोधन, 1975 के प्रारम्भ की दिनांक से 1 माह के भीतर विवरणिका हल करना।

धारा 15 मामलों को पुनः खोलनें की शक्ति इस अधिनियम में किसी भी बात के होते हुये भी राज्य सरकार अभिलेख मंगवाने के बाद या अन्यथा संतुष्ट होने पर इस अधिनियम के अधीन उत्पन्न कोई मामलों में पारित अन्तिम आदेश इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लघंन में है, और ऐसा आदेश उसके ध्यान में आये, ऐसे आदेश को पुनः खोलना आवश्यक है तो सक्षम अधिकारी दूसरे पक्ष को नोटिस देकर पुनः खोल सकता है।

धारा 21 निहित भूमि का भूमिहीन व्यक्तियों में आवंटन धारा 16 के अधीन राज्य सरकार में निहित अधिशेष भूमि (में से सीमा तक अधिशेष भूमि को आरक्षित रखने के बाद, जो कृषि की उन्नति, कृषि कल्याण, जनसंख्या ओर क्षेत्र के अधीन विकास के प्रयोजनार्थ जितनी आवश्यक हो, उस भूमि को) प्राथमिकता के आधार पर गांव के भूमिहीन श्रमिकों में मुख्यतया अनुसूचित जाति तथा जनजाति के व्यक्तियों को ऐसे प्राधिकारी द्वारा, ऐसी निश्चित सीमा तक और ऐसी शर्तो और निबन्धों के अध्यधीन, आवंटित की जायेगी जो विहित किये जायें।

धारा 24 विवरणी देने में विफल रहनें और मिथ्या विवरणी या जानकारी नहीं देने पर दण्ड :– जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अन्तर्गत विवरणी देने के लिए बाध्य है, और विधित समय में असफल रहता है या मिथ्या विवरण देता रहता है तो 500.00 रूपये जुर्माने से दण्डनीय होगा।

धारा 24 (क) धारा 11 के अधीन विवरणी या पूरक–विवरणी या मिथ्या विवरणी या पूरक विवरणी देने में असफलता के लिए दण्ड उसे, दो वर्ष तक की अवधि के कारावास या 2000.00 रू तक जुर्माना हो सकेगा या दोनों से दण्डित होगा।

धारा 26 अधिकतम सीमा क्षेत्र से अधिक भूमि अर्जन के लिए दण्ड यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्वक आदेश का जानबूझकर उल्लघन करता है या किसी भूमि का विधिपूर्वक रूप से कब्जा लेने से व्यक्ति को बाधित करता है तो यह एक हजार रूपये तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा।

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत अनुसूची

(क) उपजाऊ जोन–

अलवर तथा भरतपुर जिले।

(सवाई माधोपुर जिले की गंगापुरसिटी और बामनवास तहसीलें।)

(करौली जिले की टोडाभीम और हिन्डौन तहसीलें।)

बूँदी, कोटा, झालावाड़ तथा राजसमन्द जिले।

प्रतापगढ़, लसाड़िया, सलूम्बर, सराड़ा, खेरवाड़ा और फलासिया तहसीलों को छोड़कर भीलवाड़ा, चितौड़गढ़ तथा उदयपुर के जिले।

(ख) अर्द्ध–उपजाऊ जोन–

जयपुर जिला दौसा जिला, धौलपुर, टोंक जिला, अजमेर जिला, पाली जिला।

सीकर जिले के श्रीमाधोपुर तथा नीमकाथाना की तहसीलें।

(झुन्झुनू जिले की तहसीले उदयपुरवाटी और खेतड़ी।

नागौर जिलें की तहसील नावां और मेड़ता।

जोधपुर जिले की तहसील बिलाड़ा)

(सवाई माधोपुर जिलें की खंडार, मलारनाचौड़ तथा सवाईमाधोपुर की तहसीलें। करौली जिले की करौली, सपोटरा और नादौती तहसीलें।)

सिरोही जिले की शिवगंज, सिरोही तथा रेवदर तहसीलें।

(ग) पहाड़ी जोन–

बाँसवाड़ा तथा डूँगरपुर के जिले।

चितौड़गढ़ तथा उदयपुर जिलों की प्रतापगढ़, लसाड़िया, सलूम्बर, सराड़ा, खेरवाड़ा, फलासिया और कोटड़ा तहसीलें।

सिरोही जिले की पिण्डवाड़ा तथा आबू तहसीलें।

(घ) अर्द्ध–रेगिस्तान जोन–

सूरतगढ़ तथा अनूपगढ़ तहसीलों को छोड़कर गंगानगर का जिला।

चूरू जिले की राजगढ़ तहसील।

झुन्झुनू जिलें की चिड़ावा और झुन्झुनू तहसीलें।

सीकर जिले की फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, सीकर तथा दाँतारामगढ़ तहसीलें।

(सम्पूर्ण नागौर जिला सिवाय नाँवा और मेड़ता तहसीलें।)

जोधपुर जिले की जोधपुर तथा ओसियां तहसीलें।

जालौर जिला।

बाड़मेर जिले की सिवाना तहसील।

(ड़) रेगिस्तान जोन–

जैसलमेर जिला

बीकानेर जिला

सिवाना तहसील को छोड़कर बाड़मेर जिला।

जोधुपर जिले की शेरगढ़ तथा फलौदी तहसीलें।

राजगढ़ तहसील को छोड़कर चूरू जिला।

गंगानगर जिले की अनूपगढ़ तथा सूरतगढ़ की तहसीलें।

3.3 भूमि आवंटन सम्बन्धी प्रावधान

भू राजस्व कानूनों के अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार मोटे रूप से हम आवंटन को निम्न 5 श्रेणियों में विभाजित कर सकते है :–

1. आवंटन अन्तर्गत भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि) आवंटन नियम 1970
2. छोटी पट्टी का आवंटन अन्तर्गत नियम 1970 भूमि आवंटन नियम 1970
3. सीलिंग कानून के अन्तर्गत अतिरिक्त (सरप्लस) भूमि का अवंटन अन्तर्गत राज. कृषि जोतो अधिरोपण अधिनियम 1973 व इसके तहत बने नियम 1973)
4. पेटा काश्त हेतु आवंटन अन्तर्गत पेटा काश्त भू आवंटन नियम 1961
5. निजी वन हेतु आवंटन अन्तर्गत राज. भू–राजस्व अकृषक बंजर भूमि का निजी–वन–विकास हेतु आवंटन नियम 1961

3.3.1 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

धारा 101 (1) कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि का आवंटन ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति से आवंटित की जायेगी जैसी राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार विहित की जाऐ

(2) भूमि के स्वस्थ आवंटन ऐसी दरों पर निश्चित किये गये लगान की अदायगी के अधीन होगें जो प्रथा या व्यवहार या इस विषय की किसी विधि के अधीन निश्चित किये जायेगें।

(4) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अनुसार

1 वह व्यक्ति जो अंशदायी है और निर्धारित/सीमित से कम भूमि रखता हो

2 जिस गांव में भूमि स्रोत है उसी गांव में व्यक्ति जो भूमिहीन है।

3 गोली डालकर आवंटन

3.3.2 भू–राजस्व अधिनियम राजस्थान 1956, नियम 1970

(कृषि भूमि हेतु भूमि का आवंटन)

भूमिहीन कृषक:– से अभिप्रेत है सद्भाविक राजस्थान का कृषक और कृषि मजदूर, कृषक या स्वयं द्वारा खेती करना, और जिसका मुख्य आय स्रोत कृषि या कृषि से जुड़े हुये कार्य पर निर्भर है और उसके पास राजस्थान में कृषि भूमि नहीं हैं, और न ही उसको पूर्व में काई भी 10 एकड़ से कम भूमि आवंटित हुई है।

परन्तु इसमें कोई भी लोक सेवक अथवा उद्योग और व्यापार स्थापना उसकी पत्नी और आश्रित बच्चे शामिल नहीं है लेकिन दैनिक मजदूरी कार्य करनें वाले सेवक (Employee) इसमें शामिल नहीं हों। ऐसे व्यक्ति जिसकी 10 एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि खरीदी है अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित हुई है, वह भी भूमिहीन कृषक नहीं है।

नियम 5 गैर काबिज जमीनों की सूची बनाना प्रत्येक तहसीलदार वर्ष के प्रत्येक 30 सितम्बर को गैर काबिज जमीनों की सूची बनाकर गांव वाइज (सरकारी भूमि) बनाकर उपखण्ड अधिकारी को देगा, जिसमें सिंचित/असिंचित और वह सूची ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और तहसील में निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करेगा।

नियम 6.3 निकालना एवं आरक्षण: 6 (3) अनुसुचित जाति/ज़नजाति के सदस्य की जमीन को धारा 175 काश्तकार अधिनियम 1955 के तहत वह केवल SC/ST के लोगों को ही आवंटित की जायेगी।

नियम 7 आवंटन हेतु आवेदन पत्र आमन्त्रित करना : भूमिहीन कृषक घोषणा की तारीख से, उपखण्ड अधिकारी को 15 दिन तक आवेदन कर सकते हैं, उदघोषणा के पश्चात् वह रजिस्ट्रर में दर्ज कर जॉच कर सत्यापन करेगा और नियम (8) (9) (10) के अन्तर्गत सलाहकार समिति की बैठक आहूत कर उसके समक्ष आवंटन हेतु पेश करेगा।

नियम 11 पात्रताओं की प्राथमिकता

11.1 भूमि–भूमिहीन कृषकों को प्राथमिकता के आधार पर आवंटित की जायेगी

11.2 यदि एक ही आवेदक है तो उसको आवंटित कर दी जायेगी

11.3 आवेदक एक से अधिक होने पर **धारा** 101 (4) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अनुसार

11.4 वह व्यक्ति जो अंशदायी है और निर्धारित/सीमा से कम भूमि रखता हो

11.5 जिस गांव में भूमि स्रोत है उसी गांव का व्यक्ति जो भूमिहीन है

11.6 गोली डालकर आवंटन

लेकिन एक ही श्रेणी के सामानार्थी होनें पर इस प्रकार आवंटित किया जायेगा:–

(क) सेना के सदस्य जो युद्ध में मारे गये या उनके उतराधिकारी को

(ख) अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य जो कि भूमिहीन है

(ग) स्नातक बेरोजगार भूमिहीन

(घ) भूमिहीन खेतीहर मजदूर

(ड़) पूर्व सशस्त्र सेना का सदस्य जिसने पांच वर्ष तक अपनी सेवायें दी हो।

(च) अन्य भूमिहीन जिनकी कम आय हो।

(छ) सीमा सुरक्षाबल का सदस्य जिसने पांच वर्ष तक सेवाऐं दी हो

नियम (13) भूआवंटन सलाहकार समितिः (13)(1) भूमि का आवंटन, उपखण्ड अधिकारी एवं सलाहकार समिति की सलाह से होगा जिसमें निम्न सदस्य होगें :–

1. विधायक
2. प्रधान
3. सरपंच
4. विकास अधिकारी
5. तहसीलदार
6. अनुसूचित जाति/जनजाति, का पंचायत समिति सदस्यों में नामित सदस्य
7. एक सदस्य राज्य सरकार द्वारा जनहित में नामित हो।

13(3) उपखण्ड अधिकारी सलाहकार समिति के सदस्यों को बैठक की तिथि का एक सप्ताह का नोटिस देकर तामील करायेगा।

उपखण्ड अधिकारी तथा अन्य सदस्य यह सुनिश्चित करेंगें कि कृषि भूमि जो जमीन आवंटित की जा रही है। उसका भौतिक सत्यापन कर ग्राम पंचायत को एक सप्ताह पहले बैठक का नोटिस देकर बैठक करायेगा। बैठक की कार्यवाही रजिस्टर में अंकित कर सलाहकार कमेटी से चर्चा कर भूमि आवंटित कर दी जायेगी।

नियम (14) आवंटन की शर्तेः आवंटित भूमि पर गैर खातेदारी अधिकार मिलेगा तथा 10 वर्ष पश्चात् यदि सभी शर्तें और नियम पालन होते हैं तो 10 वर्ष बाद खातेदारी अधिकार मिल जायेगा। लेकिन कलेक्टर जनहित कार्यो के लिए 10 वर्ष तक कभी भी आवंटन निरस्त कर सकता है।

दिनांक 14 अगस्त, 2000 की अधिसूचना एफ.5 (4) 89/Rev./6/29 के अनुसार यदि आवंटी शादीशुदा है तो, कृषि भूमि का आवंटन पति–पत्नि के संयुक्त नाम से होगा।

नियम 14 (4) आवंटन का निरस्तीकरणः जिला कलेक्टर को अधिकार है कि वह आवंटन समिति द्वारा आवंटित की गई भूमि पर स्वप्रसंज्ञान अथवा किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर जिसमें की आवंटित प्रक्रिया गलत और गलत तथ्यों को प्रस्तुत करके हुआ है और आवंटन शर्तो का उल्लंघन हुआ है, तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार के आवंटन को निरस्त कर सकता है। आवंटन निरस्त करने के पूर्व प्रभावी पक्ष को सुनवाई का अवसर देना, आवश्यक है ।

नियम 15 आवंटन का आदेश : उपखण्ड अधिकारी के आवंटन आदेशानुसार पटवारी 15 दिवस में भौतिक कब्जा संभलवायेगा।

3.3.3 राजस्थान पंचायती राज नियम 1994

नियम 158 : भूमियों का कमजोर वर्गो को आवंटन

1. पंचायत, ग्राम आबादियों में 150 वर्ग गज तक की आबादी भूमि अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गो के सदस्यों को, गांव के कारीगरों, श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगों, जनजातियों, गाड़िया लुहारों को जिनके पास स्वयं के गृहस्थल/गृह नहीं

हैं, और ऐसे बाढ़ ग्रस्तों को भी जिनके गृह बह गये हैं या गृह स्थल बाढ़ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गये हैं, रियायती दरों पर आवंटित कर सकेगी।

2. ऐसे आवंटियों से नियमानुसार दर वसूल की जायेगी परन्तु राज्य सरकार ऐसी भूमियों को कुछ श्रेणियों के लिए निःशुल्क आवंटित कर सकेगी।

3. इस प्रकार आवंटित की गई आबादी भूमि अन्तरणीय नहीं होगी। ऐसे सभी पट्टों पर बड़े अक्षरों में "विक्रय के लिए नहीं" की मुहर लगाई जायेगी। यदि कोई भी आवंटिती ऐसे गृह स्थलों/गृह को किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित या विक्रय करे तो आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा, स्वामित्व, उस पर से निर्माण या पड़ी सामग्री के साथ पंचायत में निहित हो जायेगा और अंतरिती को ऐसी आबादी भूमि पर अतिचारी मानते हुये बेदखल कर दिया जायेगा।

4. तथापि पंचायत बैठक में किसी संकल्प द्वारा ऐसी भूमि को बातचीत द्वारा अनुकम्पा आधारों पर ऐसे अतिचारी को बाजार कीमत पर आवंटित करने का निश्चय कर सकेगी।

5. ऐसे आवंटिती को भविष्य में किसी भी पश्चात्वर्ती आवंटन से विसर्जित किया जायेगा।

6. उप नियम (3) और (4) तथा (5) में अन्तर्विष्ट उपबन्ध अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को पंचायत क्षेत्र में निःशुल्क आवंटित किये जाने वाले दुकान–स्थलों के लिए भी लागू होंगे।

7. बाढ़ ग्रस्त व्यक्तियों को अन्य स्थान/स्थानों को गृह–स्थलों के आवंटन के लिए संबंधित पंचायत ऐसे व्यक्तियों से आवेदन इस परिवचन के साथ आमंत्रित करेगी कि अन्य स्थान/स्थानों पर गृह स्थलों के आवंटन की स्थिति में बाढ़ में बह गये गृह स्थल सामग्री सहित सभी विल्लंगमों से मुक्त रूप से, संबंधित पंचायत में निहित हो जायेंगे।

3.3.4 राजस्थान उपनिवेशन (भूमिहीन, व्यक्तियों, अनुसूचित जाति/जनजाति, ग्रामीण शिल्पियों, लघु कृषकों, सीमान्त कृषकों को कुछ स्थलों के लिए भूमि) विशेष अनुदान नियम 1974 (13–12–1974)

- आवंटन अधिकारीः– उपनिवेशन विभाग का कोई भी अधिकारी अभिप्रेत है जिसे इन नियमों के प्रयोजनों के लिए उपनिवेशन (Colonization) आयुक्त द्वारा कोई क्षेत्र सौंपा गया हो।
- "चक" से ग्राम या ग्रामों का कोई भाग अभिप्रेत है जिसे खेती, सिंचाई या किसी अन्य प्रयोजनार्थ सुविधा के लिए मुख्य ग्राम या ग्राम से पृथकता सीमांकित कर दिया गया हो।
- "चक आबादी" से राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र के किसी चक में आवंटन करने के प्रयोजन के लिए पृथक रखी गई भूमि अभिप्रेत है।
- "उपनिवेशन आयुक्त" से राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है तथा इसके अन्तर्गत उपनिवेशन आयुक्त की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करने के लिए उसके द्वारा नियुक्त कोई अन्य अधिकारी भी आयेगा।
- "कुटुम्ब" से व्यक्ति, उसकी पत्नी, उस पर निर्भर बच्चे और माता–पिता अभिप्रेत हैं परन्तु अनुसूचित जाति/जनजाति के किसी कुटुम्ब में अपने माता–पिता के साथ रहने वाले व्यस्क और विवाहित पुत्र को एक पृथक कुटुम्ब के रूप में समझा जावेगा।
- "भूमिहीन व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो कृषि पर निर्भर हो तथा जिसके पास कोई भूमि, गृह या स्थल नहीं हो।

- "भूखण्ड" गृह स्थल के लिए आवंटन हेतु चिन्हित किया गया भूखण्ड अभिप्रेत है।

आवंटन के लिए पात्रता

कुटुम्ब के लिए कुटुम्ब का एक व्यक्ति ईकाई के रूप में मानते है निम्नलिखित प्रवर्ग पात्र होगें:–

1. भूमिहीन व्यक्ति
2. अनुसूचित जाति
3. अनुसूचित जन जाति
4. शिल्पी
5. लघुकृषक
6. सीमान्त कृषक

राजस्थान का सदभाविक निवासी हो तथा जिसके पास आबादी या कृषि क्षेत्र में कोई गृह स्थल नहीं हो।

किसी भी विद्यमान चक आबादी में भूखण्ड आवंटित कियें जा सकेगें और जहां कोई आबादी भूमि अपर्याप्त तथा अनुपयुक्त हो तो अवधि घोषित सरकारी कृषि भूमि को अधिमानतः असिंचित भूमि, आवश्यक विस्तार तक आबादी में संपरिवर्तित किया जा सकेगा। ऐसी संपरिवर्तित भूमि को आबादी रेखांक उपनिवेश, तहसीलदार द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

आवंटन के लिए प्रक्रिया : आवंटन अधिकारी उसे सौंपे गये ग्राम का परिदर्शन करेगा, पात्र व्यक्तियों को पहचानेगा, आवंटन आवेदन पत्र प्राप्त करेगा और आवश्यक छानबीन के पश्चात् मजमा आम में आवंटन के आदेश पारित करेगा।

घोषणा : आवेदक आवेदन पत्र पर यह घोषणा करेगा कि राजस्थान में कही पर भी उसके स्वयं के नाम पर अथवा कुटुम्ब के नाम पर अथवा कुटुम्ब के किसी भी सदस्य के नाम पर कोई भी गृह या गृहस्थल नहीं है। भूमिहीन व्यक्ति यह भी घोषणा करेगा कि उसके पास स्वयं की कोई कृषि भूमि भी नहीं है।

आवंटन की शर्तेः–

(क) 750 वर्ग गज तक का भूखण्ड मुफ्त आवंटित किया जायेगा।

(ख) आवंटित उक्त भूमि पर गृह निर्माण हेतु ऋण सुरक्षित करने के लिए सिवाय किसी आवासन सहकारी सोसायटी, अनुसूचित बैंक या अन्य किसी लोक संस्था को उस बंधक, अन्य अंसक्राम्य अधिकार का उपभोग करेगा। राजस्थान सरकार राजस्थान नहर परियोजना में बंधने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों को कृषि पुर्नसंस्थापन हेतु अनुदान नियम 1972 के अन्तर्गत स्वीकार किये जायेगें।

पात्रता : राजस्थान का अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य तथा आवेदनकर्ता के पास राजस्थान नहर क्षेत्र परियोजना क्षेत्र (कमाण्ड एरिया) में कृषि भूमि हो जिसकी उपनिवेशन आयुक्त या उनके द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया है।

अनुदान निम्न प्रयोजन हेतु

- कृषि उपकरण के क्रय हेतु
- कृषि हेतु बैल अथवा ऊँट खरीदने के लिए

❖ सरकारी समिति के सदस्य बनने के लिए हिस्सा पूंजी राशि कोड उपलब्ध करवाने हेतु

प्रक्रिया : उपरोक्त कार्यो हेतु आवेदन पत्र समाज कल्याण अधिकारी को प्रेषित कर सकते है।

3.4 भूमि से बेदखली सम्बन्धी प्रावधान

3.4.1 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधान

- धारा 175 की उपधारा 4 (अ) में यह प्रावधान है कि धारा 42 (ब) या 43 उपधारा (अ) या 49 (अ) की अवहेलना होती है अर्थात अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्तियों को दिये गये प्रावधानों की अवहेलना होती है तो जाँच, संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा जहाँ तक सम्भव होगी तीन महीने में पूर्ण की जायेगी व खातेदार व खरीददार दोनों को बेदखल करने का प्रावधान है। 175 के तहत मियाद 30 वर्ष है। ऐसी जमीन निर्धारित कार्यवाही के बाद सिवाय चक में दर्ज की जायेगी। धारा 175 के अन्तर्गत क्षेत्राधिकार, सहायक कलेक्टर को प्राप्त है। अगर 175 की कार्यवाही को चुनौती दी जाती है, तो आवेदन पत्र को वाद माना जाकर, निर्णय किया जायेगा।
- धारा 183 (बी) के तहत अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्ति की कृषि भूमि पर अगर कोई अवैध कब्जा करता है, तो ऐसे अतिक्रमी को धारा 183 (बी) के तहत बेदखल किया जायेगा। 183 (बी) के अन्तर्गत कार्यवाही करने का अधिकार तहसीलदार को प्राप्त है। इस धारा के तहत प्रार्थना पत्र देने की मियाद 12 वर्ष है।
- धारा 183 (सी) में कड़े प्रावधान किये गये हैं कि अगर अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति की भूमि पर कोई नाजायज कब्जा करता है तो या 1992 से पूर्व कब्जे में है और तहसीलदार द्वारा 15 दिन का नोटिस दिये जाने के बावजूद भी कब्जा नहीं छोड़ता है तो, उनको कम से कम एक माह की सजा और ज्यादा से ज्यादा तीन वर्ष की सजा हो सकती है। इसके अलावा 20 हजार रूपये का जुर्माने का भी प्रावधान है। लेकिन ऐसे आपराधिक प्रकरण की सुनवाई के अधिकार तहसीलदार को प्राप्त नहीं है। इन प्रकरणो में, सुनवाई (अन्वीक्षण) के अधिकार सक्षम जुडीशियल मजिस्ट्रेट को प्राप्त है।

इसमें यह भी प्रावधान है कि इस प्रकार के अपराध के लिए अपराधी अभियोजित होता है तो ऐसा कब्जा करने वाले व्यक्ति को यह सिद्ध करना होगा कि उसने ऐसा अपराध नहीं किया है। यानि अपने को निर्दोष सिद्ध करने का भार अतिक्रमी पर होगा वरना ये माना जायेगा कि दलित की कृषि भूमि पर नाजायज कब्जा, गैर दलित ने ही किया है।

प्रतिकूल 12 वर्ष के निरन्तर कब्जे के आधार पर भी दलित की कृषि भूमि पर, सक्षम न्यायालय खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं कर सकता।

परन्तु वास्तविक स्थिति यह है कि आज तक किसी भी तहसीलदार ने स्व–प्रसज्ञान लेकर कोई भी FIR थाने में दर्ज नहीं कराई है।

3.4.1 (a) अनुसूचित जाति/जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3 (1) (iv) एवं (v) के अनुसार कोई भी गैर दलित, दलितों की भूमि पर नाजायज कब्जा करता है या करने का प्रयास करता है या उसके परम्परागत रूढिजन सुखाधिकारों का हनन करता है तो उसके विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही की जायेगी जिसकी सजा 6 माह से कम नहीं किन्तु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दण्डनीय हो सकेगा।

3.4.2 अनुसूचित जाति/जनजाति की जमीनों से कब्जे हटाने सम्बंधी परिपत्र नं० 1

राजस्थान सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति की जमीनों से कब्जे हटाने सम्बंधी परिपत्र, 8 दिसम्बर, 2000

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के भूमि सम्बंधी अधिकारों की सुरक्षा एवं उनके कल्याण के लिए मंत्रिमण्डल की आज्ञा से संख्या 100/2000 के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लोगों की

भूमि पर यदि किसी अन्य ने कब्जा कर रखा है और वह मामला किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है तो सम्बंधित व्यक्ति को कब्जा दिलाने हेतु जिला कलेक्टर अपने–अपने जिले में विशेष अभियान चलायेगे।

हर गिरदावरी के बाद पटवारी की इस रिपोर्ट पर तहसीलदार धारा 183 बी के अन्तर्गत कार्यवाही करेगा।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 175 के अवैध रूप से अन्तरण करने एवं उप–पट्टे देने पर बेदखली का प्रावधान करती है। धारा 175 इस प्रकार का सशक्त प्रावधान करती है कि कोई भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति की भूमि सवर्ण व्यक्ति के नाम नहीं हो सकती है। इसमें आपसी समझौता भी मान्य नहीं है।

अवैध हस्तान्तरण एवं अतिक्रमण के मामलों की पहचान

गिरदावरी के दौरान पटवारियों का यह दायित्व है कि वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति की भूमियों पर मौके की वस्तुस्थिति अलग से एक रजिस्टर में अंकित करें तथा अतिक्रमण की तर्ज पर इस प्रकार की प्रविष्टि के लिए एक अलग प्रपत्र निर्धारित किया जावे।

इस दौरान जो भी अतिक्रमण एवं हस्तान्तरण के मामले सामने आएें, पहचाने जायें तथा उनको सम्बंधित राजस्व अधिकारियों के समक्ष एक माह के अन्दर निस्तारण के लिए प्रस्तुत किये जायें।

राजस्व अभियान के दौरान भी ऐसे मामलों की पहचान की जावे, ऐसी पहचान के एक माह के अन्दर–अन्दर यह मामले सम्बंधित राजस्व न्यायालयों में दर्ज करा दिये जावें।

सम्बंधित राजस्व न्यायालयों द्वारा इन मामलों का निस्तारण

अतिक्रमण के मामलो का निर्णय संक्षिप्त विचारण के बाद किया जावेगा, जिन पर आमतौर पर तीन माह में निर्णय हो जाना चाहिये। यदि किन्हीं कानूनी अथवा व्यवहारिक कारणों से मामले में तीन माह से अधिक समय लगता है तो सम्बंधित राजस्व अधिकारी तीन माह समाप्त होने से पूर्व ही जिला कलेक्टर को इस सम्बंध में अवगत करायेगा। इन मामलों में जिला कलेक्टर राजस्व अधिकारियों का मार्ग दर्शन करेगा। यदि राजस्व के स्तर पर कोई निर्देश या संशोधन जरूरी है तो वह भी जिला कलेक्टर तुरन्त करवायेगा। अवैध हस्तांतरण के सम्बंध में सम्बंधित राजस्व न्यायालय छः माह के भीतर निर्णय करने की तिथियां तय करेगा।

कब्जा वापस दिलवाना

जिन मामलों में निर्णय हो गये है उनका कब्जा तुरन्त प्रभाव से 7 दिन के अन्दर हर हालत में दिलवाये जायें। ऐसे प्रकरणों में कलेक्टर बिना कब्जा दिलवायें, अपील में स्टे आदेश जारी न करें इसके लिए कानून मे संशोधन की नितान्त आवश्यकता है। अगर कब्जा दिलवाने में देरी हुई तो सम्बंधित राजस्व अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। जिला कलेक्टर ऐसे मामलों को स्वयं देखेंगे तथा जहाँ पर भी कब्जा दिलवाने में पुलिस बल की आवश्यकता हो वहां समुचित पुलिस बल उपलब्ध करवाया जायेगा। यहाँ यह भी आवश्यक है कि मौके पर हल चला कर वास्तविक कब्जा दिलवाया जाये।

ऐसे मामलों की नियमित समीक्षा

जिला कलेक्टर को अपने सम्पूर्ण जिले में तथा उपखण्ड अधिकारी को अपने सम्बंधित क्षेत्र में ऐसे मामलों की नियमित समीक्षा करने की जिम्मेदारी होगी। संबंधित जिला कलेक्टर तथा उपखण्ड अधिकारी ऐसे मामलों की नियमित समीक्षा करेंगे तथा उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवायेंगे। कब्जा दिलवाने के बाद राजस्व अधिकारी कम से कम तीन महीने तक ऐसे मामलों की निगरानी रखेंगे ताकि वापस से अतिक्रमण नहीं हो। अगर पुनः बेदखली हो जाती है तो, ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया जायेगा।

जहां तक धारा 183 (ग) के अन्तर्गत सजा व जुर्माने का प्रावधान है, उनका उपयोग भी सख्ती से किया जावे तथा सम्बंधित जिला कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी धारा 183 (ग) की भी अलग से प्रशासनिक समीक्षा करेंगे और उसे अलग से ही तालिका में दर्शायेंगे। समीक्षा के समय जिन कारणों से भी क्रियान्वयन में बाधा महसूस हुई हो जैसे–सबंधित विभागों द्वारा किया गया असहयोग, वित्तिय समस्या या अन्य उनके निराकरण की समस्त जिम्मेदारी जिला कलेक्टर तथा राजस्व मण्डल की होगी।

जुर्माना लगने या सजा देने में दूसरी बार किये गये अतिक्रमणों में अधिकृत प्रावधान का उपयोग करें तथा अवैध हस्तांतरणों में सख्त निर्णय किये जावें।

पति–पत्नी के संयुक्त नाम से आवंटन परिपत्र नं० 2

आवंटन परिपत्र संख्या 5(4) 89/Rev.629, दिनांक 14/8/2000 के अनुसार अब कृषि भूमि का आवंटन यदि कोई महिला या पुरूष शादीशुदा है तो उनका आवंटन पति–पत्नी के संयुक्त नाम से होगा भू–राजस्व के अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार आवंटन पांच प्रकार से किया जा सकता है।

- आवंटन अन्तर्गत भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि) आवंटन नियम 1970
- छोटी पटटी का आवंटन अन्तर्गत नियम 19 भूमि आवंटन नियम 1970
- सिलिगं कानून 1973 के अन्तर्गत अतिरिक्त भूमि का आवंटन राजस्थान कृषि जोतों पर सिलिंग अधिरोपण अधिनियम 1973 एवं नियम 1973
- पेटा काश्त हेतु आवंटन अन्तर्गत पेटा काश्त भू–आवंटन नियम 1961
- निजि वन हेतु आवंटन अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व अकृषय बंजर भूमि निजि वन विकास हेतु आवंटन नियम 1986

3.5 पुर्नस्थापन एवं पुर्नवास सम्बन्धी प्रावधान

3.5.1 राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति 2007

सरकार सार्वजनिक सुझावों अथवा आधारिक और संरचना की व्यवस्था करने हेतु निजि सम्पति की अर्जन करने के लिए राज्य द्वारा भूमि का अर्जन किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप लोग अनैच्छिक रूप से विस्थापित हो जाते है, उन्हें अपनी भूमि, जीविका और आश्रय स्थल को छोड़ना पड़ता है, उन्हें परम्परागत संसाधन आधार के लाभ नहीं मिल पाते हैं। जिसका प्रभाव अनुसूचित जाति/जनजाति, सीमान्त किसानो, महिलाओं सहित समाज के कमजोर वर्गो पर पड़ता है।

समाज के उपरोक्त कमजोर वर्गों के लोगों के अधिकारों के संरक्षण हेतु भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग द्वारा राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति 2007 तैयार की गई है।

अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित जातियों से संबंधित परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन लाभः– (धारा 7.21)

- ऐसी परियोजनाओं के मामले में जिनमें अर्जनकारी निकाय की ओर से भूमि का अर्जन करना शामिल है और जिनमें 200 या इससे अधिक अनुसूचित जनजातियों के परिवारों का अनैच्छिक विस्थापन होता है, तो भूमि अर्जन के साथ–साथ विशेष अभियान चलाकर प्रायः उन भूमि अधिकारों को सुनिश्चित करने, जिन्हें अभी सुनिश्चित नहीं किया गया हैं, तथा अन्तरित भूमि पर जनजातियों के लोगों को स्वामित्व अधिकार बहाल करने के लिए विनिर्धारित किये जाने वाले स्वरूप में विस्तृत प्रक्रिया निस्तारित करते हुये एक जनजातीय विकास योजना तैयार की जायेगी। इस योजना में पाँच वर्षो की अवधि के

भीतर उन जनजातीय समुदायों, जिन्हें वनों से प्राप्त होने वाले लाभों से वंचित रखा गया है, की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त वैकल्पिक ईंधन, चारा और गैर–इमारती लकड़ी आदि जैसे वन उत्पाद (एन.टी.एफ.पी.) संसाधनों के विकास के लिए कार्यक्रम भी शामिल होगा।

- भूमि अर्जन अधिनियम , 1984 के अन्तर्गत अथवा उस समय प्रवृत संघ अथवा राज्य के किसी अन्य अधिनियम, जिसके तहत भूमि अर्जन किया जाता है, के अन्तर्गत अधिसूचना जारी करने से पूर्व अत्यावश्यकता के मामले में भूमि का अर्जन करने सहित ऐसे क्षेत्रों में भूमि अर्जन के सभी मामलों में संविधान की अनुसूची V के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में संबंधित ग्राम–सभा अथवा पंचायतो से समुचित स्तर पर अथवा यथास्थिति, अनुसूची VI के क्षेत्रों में परिषदों से परामर्श किया जायेगा तथा यह परामर्श पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम, 1996 के उपबन्धों के अनुसार और अन्य संगत कानूनों के अनुसार होगा।

  इसके अलावा, अनुसूचित क्षेत्रों में 200 या इससे अधिक अनुसूचित जनजातियों के परिवारों के अनैच्छिक विस्थापन के मामले में संबंधित जनजाति सलाहकार परिषदों (टी.ए.सी.) से भी परामर्श किया जायेगा।

- यदि पुनर्स्थापन क्षेत्र में सरकारी बंजर भूमि उपलब्ध है, तो भूमि के बदले भूमि के आवंटन में पहले अनुसूचित जनजाति के प्रत्येक प्रभावित परिवार को प्राथमिकता दी जायेगी और तत्पश्चात् अनुसूचित जाति के प्रभावित परिवारों को प्राथमिकता दी जायेगी।
- अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों से भूमि अर्जन किये जाने के मामले में, उन्हें प्राप्य प्रतिकर की राशि कम से कम एक तिहाई भाग प्रारम्भ में प्रथम किस्त के रूप मे अदा किया जायेगा और शेष राशि भूमि का कब्जा लेने के समय पर अदा की जायेगी।
- ऐसी परियोजना के मामले में जिसमें अर्जनकारी निकाय की ओर से भूमि अर्जन किया जाना शामिल है, प्रत्येक प्रभावित जनजातीय परिवार वन उत्पादों के संबंध में परम्परागत अधिकारों अथवा उपयोगों से वंचित होने के एवज में पांच सौ दिनों की न्यूनतम कृषि मजदूरी के बराबर एक बार दी जाने वाली अतिरिक्त वित्तीय सहयाता प्राप्त करेगा।
- प्रभावित अनुसूचित जनजातीय परिवारों को जहाँ तक संभव हो, उसी अनुसूचित क्षेत्र में एक सुसंगत ब्लॉक में पुनः बसाया जायेगा ताकि वे अपनी जातीय, भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को कायम रख सकें। अपवादों को केवल ऐसे विरले मामलों में ही अनुमति दी जायेगी जिनमें भूमि अर्जन वाली परियोजना के मामले में अर्जनकारी निकाय अथवा अनैच्छिक विस्थापन के अन्य मामलों में राज्य सरकार ऐसी भूमि का उसके नियंत्रण से बाहर के कारणों से भूमि मुहैया कराने में असमर्थ हो।
- ऐसे पुर्नस्थापन क्षेत्रों में जिनमें मुख्यतया अनुसूचित जनजातीय लोगों की बसावट हो, वहाँ पर सामुदायिक व सामाजिक सभाओं के लिए समुचित सरकार द्वारा किये गये निर्णय के अनुसार भूमि बिना लागत के मुहैया कराई जायेगी।
- ऐसी परियोजना के मामले में जिनमें अर्जनकारी निकाय की ओर से भूमि का अर्जन करना शामिल है, ऐसे प्रभावित अनुसूचित जनजाति परिवार, जिन्हें जिले के बाहर पुर्नस्थापित किया गया है।
- भूमि अन्तरण के संबंध में ऐसे समय प्रवृत नियमों तथा विनियमों का उल्लंधन करके किये गये जनजातीय लोगों की भूमि के किसी अंतरण को निष्प्रभावी माना जायेगा। ऐसी भूमि के अर्जन के मामले में पुर्नवास और पुनर्स्थापन लाभ केवल भूमि के मूल जनजातीय भू–स्वामी को ही दिये जायेंगे।
- सिंचाई तथा जल विद्युत परियोजनाओं के मामलों में प्रभावित अनुसूचित परिवारों, अन्य परम्परागत वनवासियों ओर अनुसूचित जनजातियों के परिवारों, जिन्हें प्रभावित क्षेत्र में नदी या तालाब या बांध में मछली पकड़ने के अधिकार प्राप्त थे, को सिंचाई अथवा जल विद्युत परियोजनाओं के क्षेत्र में स्थित मछली पकड़ने के अधिकार दिये जायेंगे।

- अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के प्रभावित परिवार, जिन्हें प्रभावित क्षेत्र में आरक्षण का लाभ मिल रहा था, पुनर्स्थापन क्षेत्र में आरक्षण के ऐसे लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे।
- वे प्रभावित अनुसूचित जनजातीय परिवार भी, जिनके कब्जे में 13 दिसम्बर, 2005 के दिन से पूर्व प्रभावित क्षेत्र में वन भूमि थी, इस नीति के अन्तर्गत पुनर्वास और पुनर्स्थापन लाभ करने के हकदार होंगे।

3.5.2 अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवरण) नियम 1995 नियम 12– जिला प्रशासन द्वारा अत्याचार से पीड़ित, उत्पीड़ितों व आश्रितों को तुरन्त राहत सहायता, भोजन, पानी, कपड़े, आश्रय, राहत तथा पुर्नवास की समुचित व्यवस्था की जायेगी।

3.5.1 मैला ढोने का कार्य और शुष्क शौचालय निर्माण (निषेध) अधिनियम 1993– के प्रावधानों अनुसार परम्परागत मैला ढोने में लगे व्यक्तियों का राज्य सरकार पुनर्वास करने हेतु निम्न कदम उठायेगी जैसे शुष्क शौचालय को जल चालित शौचालयों में रूपान्तरण, आर्थिक विकास हेतु श्रण, सफाई कर्मियों का पंजीकरण और उनका पुनर्वास आदि।

3.6 आर्थिक स्वावलम्बन सम्बन्धी प्रावधान

3.6.1 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम–2005

केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 लोकसभा एवं राज्य सभा में 23–24 अगस्त 2005 को पारित किया गया है। इसी के अनुरूप 7 सितम्बर 2005 को अधिसूचना जारी की गई है। 1 अप्रेल 2008 से यह योजना देश के सभी जिलों में लागू कर दी गई है।

इस अधिनियम के तहत इच्छुक वयस्क जो स्वेच्छा से शारीरिक श्रम करना चाहता है को एक वर्ष में कम से कम 100 दिनों के रोजगार प्राप्त कर मजदूरी हासिल करने की गांरटी होगी।

3.6.1.1 कानून की मूल भावना :–

- ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को रोजगार सुनिश्चित कराकर उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।
- ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक परिवार को रोजगार पाने का कानूनी हक देना।
- गांवों से शहरों की ओर होने वाले पलायन में कमी लाना एवं लोगों को अपने क्षेत्र में ही काम दिलाना।
- जल, जंगल व जमीन से जुड़े संसाधनों का संरक्षण, सुधार व उनका विकास करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों के बुनियादी ढाँचे में सुधार तथा उनका विकास हो सके।

3.6.1.2 कानून के प्रमुख बिन्दु

- प्रत्येक परिवार के सभी वयस्क सदस्यों को मिलाकर वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार मिलेगा, बशर्ते कि वह अकुशल शारीरिक मजदूरी करने को तैयार हो व काम के लिए आवेदन करे।
- परिवार के सभी वयस्क सदस्यों के पंजीकरण तथा जॉब कार्ड (रोजगार पाने का कार्ड) होने पर ही वह काम के आवेदन के लिए मान्य होंगे।

- काम के आवेदन के बाद आवेदक को 15 दिनों की अवधि में काम देना होगा अन्यथा बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा।
- काम अपने गाँव से 5 किलोमीटर परिधि के अन्दर ही दिया जायेगा। काम अधिक दूरी होने पर किराया अन्यथा मजदूरी दर को 10 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा।
- कोई भी कार्य ठेकेदार व मशीन द्वारा नहीं किया जायेगा।
- कार्य की आयोजना तथा कार्यों की प्राथमिकता ग्रामसभा द्वारा समस्त कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण किया जाएगा।
- ब्लॉक स्तर पर एक कार्यक्रम अधिकारी होगा जो पंचायत व जिला समन्वयक के प्रति जवाबदेह होगा।

3.6.1.3 कानून के तहत योजना में किस प्रकार के काम होंगे

- जल संरक्षण व जल संग्रहण जैसे पानी रोकने के कार्य।
- भूमि विकास व भूमि सुधार के कार्य तथा अकाल से बचाव हेतु वृक्षारोपण।
- अनुसूचित जातियों, जनजातियों के भूमि के संरक्षण एवं भूमि सुधार कार्य।
- सिंचाई के लिए नहर निर्माण तथा परंपरागत जल स्रोतों की मरम्मत।
- ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार, जिसमें दुर्गम गांवों में सड़क निर्माण कार्य शामिल है।

3.6.1.4 काम के लिए शर्तें (पात्रता)

- काम चाहने वाले ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले होना चाहिए।
- अकुशल शारीरिक कार्य/मजदूरी करने के इच्छुक तथा वयस्क हो।
- परिवार का जॉब कार्ड हो तथा काम के लिए आवेदन किया गया हो।

3.6.1.5 काम कैसे मिलेगा (प्रक्रिया)

- सबसे पहले ग्राम पंचायत में अपना पंजीकरण कराना होगा तथा पंचायत से जॉब कार्ड लेना होगा।
- काम के लिए ग्राम पंचायत में या कार्यक्रम अधिकारी को आवेदन करना तथा उनसे तारीख सहित रसीद लेना।
- काम के लिएं कम से कम 14 दिनों के लिए आवेदन करना जरूरी होगा।

3.6.1.6 मजदूरी का भुगतान

- काम का भुगतान साप्ताहिक आधार पर काम के 7 दिन के भीतर किया जाएगा।
- प्रतिदिन 100/– रूपये की दर से मजदूरी का भुगतान किया जाएगा (सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी)।
- मजदूरी का भुगतान नकद तथा अनाज दोनों में किया जाएगा, परन्तु पूरी मजदूरी का कम से कम 25 प्रतिशत हिस्सा नकद राशि के रूप में किया जायेगा।

3.6.1.7 बेरोजगारी भत्ता

- काम के लिए आवेदन की तारीख से 15 दिन के भीतर कार्य नहीं मिलता है तो आवेदक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा। प्रथम 30 दिन तक दैनिक मजदूरी की 25 प्रतिशत हिस्सा यानि 25 रूपये तथा इसके बाद में 50 प्रतिशत हिस्सा यानि 50 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से देय होगा।
- बेरोजगारी भत्तों को मिलाकर कुल 100 दिन की मजदूरी से अधिक नहीं होगा।

- बेरोजगारी भत्ता शुरू होने के बाद 15 दिन के भीतर इसका भुगतान करना होगा।

3.6.1.8 कार्यस्थल पर मजदूरों को अन्य सुविधाऐं

- स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था।
- प्राथमिक उपचार की व्यवस्था।
- छाया की व्यवस्था।
- छोटे बच्चों की देखभाल की व्यवस्था।
- कार्यस्थल पर गंभीर दुर्घटना या मृत्यु हो जाने पर निःशुल्क उपचार और अस्पताल में भर्ती होने के दिनों के आधे दिन की मजदूरी दर से भुगतान।
- स्थाई रूप से विकलांग हो जाने या मृत्यु की दशा में 25000/– रूपये तक की आर्थिक सहायता।

3.6.1.9 पंचायत की भूमिका

- परिवारों का पंजीकरण करना, जॉब कार्ड देना और काम के आवेदन प्राप्त कर उसकी रसीद देना।
- वार्ड सभा एवं ग्राम सभा के कार्य–प्रस्तावों की अनुशंसा पर ग्राम पंचायत की विकास योजना बनाकर कार्यक्रम अधिकारी तक भेजना साथ ही सूचना पट्ट पर कार्यरत लोगों की सूची लगाना।
- संभावित कार्यों तथा मजदूरों की सूची बनाना तथा उन्हें काम के लिए सूचना देना।
- कार्यक्रम अधिकारी द्वारा स्वीकृत कार्यों का क्रियान्वयन कम से कम आधे काम ग्राम पंचायतों के द्वारा होंगे।
- सामाजिक अंकेक्षण के लिए ग्राम पंचायतें सभी दस्तावेज उपलब्ध करवाएगी।
- पंचायत कार्यालय में मस्टर रोलों की एक प्रति आम जनता के लिए निरीक्षण हेतु रखना।

3.6.1.10 ग्रामसभा की भूमिका

- ग्राम पंचायत विकास योजनाओं के कार्य प्रस्तावों तथा संभावित कार्यों की सूची बनवाने में अपने सुझाव देना।
- ग्राम पंचायत के भीतर हो रहे कार्यों पर नजर रखना।
- पंचायत के अंदर हुए सभी विकास कार्यों का नियमित सामाजिक अंकेक्षण करना होगा।

3.6.1.11 रोजगार गांरटी योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी व शिकायत प्रक्रिया

- रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर जिला समन्वयक तथा ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी की जिम्मेदारी होगी जो ग्राम पंचायत एवं जिला समन्वयक के प्रति जवाब देह होंगे। यह कानून मजदूरों को हक देता है, उसकी सुरक्षा करना 'कार्यक्रम अधिकारी' की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।
- किसी भी व्यक्ति या ग्राम पंचायत द्वारा योजना के क्रियान्वयन से सम्बन्धित कोई भी शिकायत सीधे ब्लॉक स्तर पर 'कार्यक्रम अधिकारी' से की जाएगी। 'कार्यक्रम अधिकारी' प्रत्येक शिकायत को रजिस्टर में दर्ज कर विवादों को 7 दिन के भीतर निपटा देगा। ऐसा नहीं होने पर 1000/– रूपये जुर्माने का प्रावधान है।

3.6.2 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1946

3.6.2.1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

न्यूनतम मज़दूरी लागू करने के लिए पहल श्री के. जी. आर. चौधरी ने की, उन्होनें 1920 में प्रत्येक उद्योग में न्यूनतम मज़दूरी लागू के लिए बोर्डों के गठन का प्रस्ताव रखा।

- 1928 में हुई इंटरनेशनल लेबर कान्फ्रेंस में व्यापार में तथा व्यापार के हिस्सों में मज़दूरी तय करने की व्यवस्था के बारे में समझौता सं 26 तथा सिफारिश सं. 30 पारित की गई।
- स्थाई श्रम समिति और भारतीय श्रम सम्मेलन (इंडियन लेबर कान्फ्रेंस) की सिफारिशों पर 1943 में श्रम जांच समिति (लेबर इनवेसटिगेशन कमेटी) बनाई गई जिसका काम श्रमिकों की मजदूरी, आवास और सामाजिक स्थितियों तथा रोजगार की परिस्थितियों की जांच करना तय किया गया।
- भारतीय श्रम सम्मेलन ने 1945 में एक विधेयक के मसौदे पर विचार किया।
- स्थायी श्रम समिति की 1946 में हुई आठवीं बैठक में असंगठित क्षेत्र के लिए एक अलग कानून बनाने की सिफारिश की गई जिसमें काम करने के घंटों, न्यूनतम मज़दूरी और मज़दूरी–सहित छुट्टियों के प्रावधान थे।
- 11 अप्रेल 1946 में केन्द्रीय विधायिका में कुछ रोजगार के लिए न्यूनतम मज़दूरी कानून पेश किया गया। यह 1946 में ही पारित हो गया और 15 अप्रैल 1946 से लागू हो गया।

3.6.2.2 उद्देश्य

इस अधिनियम का उद्देश्य जनहित में श्रमिकों का शोषण तथा निर्धारित काम के घंटो से अधिक समय तक कठोर शारीरिक श्रम करवाना रोकना तथा न्यूनतम मज़दूरी तय करना है। ऐसा करने में नियोक्ता की क्षमता पर ध्यान देना जरूरी नहीं है।

3.6.2.3 लागू होने का क्षेत्र

यह कानून सारे देश में लागू है। इस अधिनियम के अन्तर्गत जिन अनुसूचित रोज़गारों के लिए न्यूनतम वेतन तय किया गया है, उन सभी में यह लागू होता है।

3.6.2.4 नियोक्ता की जिम्मेदारी

अनुसूचित रोज़गार के क्षेत्र में प्रत्येक नियोक्ता की जिम्मेदारी है कि वह अपने कर्मचारियों को सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित दरों के अनुरूप न्यूनतम मज़दूरी दे। उसके लिए मज़दूरी, अर्थ दण्ड, टूट–फूट और नुकसान के एवज में कटौती और समयोपरि भत्ते (ओवर टाईम एलाउस) के रजिस्टर रखना भी अनिवार्य है। हर दिसम्बर को समाप्त हो रहे वर्ष का सालाना विवरण अगली 1 फरवरी तक इंस्पैक्टर को भेजना भी उसकी जिम्मेदारी है।

3.6.2.5 उपयुक्त सरकार तथा अनुसूची

इस अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्र तथा राज्य सरकारें – (क) अनुसूचित रोजगार की अधिसूचना जारी करने तथा (ख) न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए, उपयुक्त सरकारें हैं।

अधिनियम में उन सभी रोजगारों की सूची होती है जिनके लिए एक उपयुक्त सरकारों द्वारा न्यूनतम मजदूरी तय की जाती है। अनुसूची के दो भाग होते है भाग 1 में गैर–कृषि क्षेत्र तथा भाग–2 में कृषि क्षेत्र के रोजगार सूचीबद्ध हैं।

3.6.2.6 न्यूनतम मजदूरी तय करना

1. उपयुक्त सरकार किसी अधिसूचित रोजगार में कामगारों को देय–न्यूनतम मजदूरी तय करेगी।
2. नियमित अंतराल में (जो पांच वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये) निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा करेगी और जरूरी होने पर इसमें संशोधन करेगी। न्यूनतम मजदूरी को न्यूनतम समय दर या न्यूनतम प्रति नग (पीस) दर या गारंटी शुदा समय दर (गारंटेड टाइम रेट) के आधार पर तय किया जा सकता है। (धारा–3)

3.6.2.7 न्यूनतम मजदूरी का भूगतान

नियोक्ता अपने कार्य क्षेत्र के अधिसूचित रोजगार में इस अधिनियम के अन्तर्गत तय न्यूनतम मजदूरी से कम किसी भी मजदूर को नहीं देगा (धारा–12)

3.6.2.8 काम करने के घंटे, ओवर टाईम आदि

अधिनियम ये काम के घंटे, ओवरटाइम तथा इसकी मजदूरी और साप्ताहिक छुट्टियों के निर्धारण का भी प्रावधान है। मजदूरी का भुगतान तथा भुगतान की अवधि और मजदूरी से कटौतियों का भी नियमन अधिनियम में किया गया है। (धारा–3 से 17)

3.6.2.9 अधिनियम के अन्तर्गत दावे

अधिनियम की धारा 20 में, न्यूनतम से कम मजदूरी और अन्य मौद्रिक भुगतानों के इस अधिनियम के तहत आने वाले मामलों में सुनवाई तथा फैसला करने वाले प्राधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान है। लेबर कोर्ट के प्रभारी अधिकारी तथा श्रम उपायुक्त इस तरह नियुक्त किये जाने वाले अधिकारी हैं।

3.6.2.10 दावे का आवेदन कौन कर सकता हैं ?

- कर्मचारी, अथवा
- कोई वकील अथवा उसकी ओर से काम करने के लिए लिखित अनुमति–प्राप्त रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का कोई अधिकारी, अथवा
- कोई इंसपैक्टर, अथवा
- धारा 20 (आई) के तहत प्राधिकारी की अनुमति से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति

3.6.2.11 दण्ड

कोई नियोक्ता जो इस अधिनियम के धारा 12 और 13 से संबंधित प्रावधानों को छोड़कर अन्य प्रावधानों, इन प्रावधानों के अंतर्गत नियमों आदेशों का उल्लघंन करता है, उसे 500 रूपये तक का जुर्माना हो सकता है। कोई नियोक्ता जो तय न्यूनतम मजदूरी के तय प्रावधानों (धारा 12) या धारा 13 के अंतर्गत सामान्य कार्य दिवस के लिए निर्धारित श्रमिकों के काम के घंटो का उल्लघंन करता है, उसे छः महीने तक की सजा या 500 रूपये तक का जुर्माना या दोनों दंड हो सकते हैं।

3.6.2.12 रजिस्टरों और रिकॉर्डस का रख रखाव

हर नियोक्ता को उसके द्वारा रखे गये कर्मचारियों, उनके द्वारा किये जाने वाले कार्य, उनको दी गई मजदूरी, उनके द्वारा दी गई रसीदें, तथा निर्धारित फार्मों में प्रस्तुत अन्य सूचनाओं का विवरण विभिन्न रजिस्टरों और रिकॉर्डस में रखना चाहिये।

हर नियोक्ता को निर्धारित तरीके से अपनी फैक्ट्री, वर्कशाप अथवा अनुसूचित रोजगार में कार्यरत कर्मचारी जहाँ काम करते हैं अथवा बाहर से काम करने वाले कर्मचारियों के मामलों में ऐसे कर्मचारियों के काम करने के लिए तय स्थान, निर्धारित फार्मों में प्रदर्शित करना चाहिये।

3.6.2.13 अधिनियम के तहत प्राधिकारी

इस अधिनियम के अंतर्गत, सरकार इंस्पैक्टरों की नियुक्ति करती है और उनके कार्य क्षेत्र की स्थानीय सीमाऐं तय करती है। इस तरह नियुक्त इंस्पैक्टरों के निम्न अधिकार होते हैं :–

- अधिनियम के अन्तर्गत रखे जाने वाले या प्रदर्शित किये जाने वाले रजिस्टरों की मजदूरी के रिकॉडर्स और नोटिसों की जाँच कर सकते हैं और निरीक्षण के लिए इन्हें दिखाने को कह सकते हैं।
- इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम मजदूरी वाले अनुसूचित रोजगारों में लगे व्यक्ति जहाँ नियुक्त या कार्यरत हो या बाहर से काम करते हों, इंस्पैक्टर ऐसे स्थान में व्यवहारिक रूप से उचित, किसी भी समय में उपर्युक्त निरीक्षण के उद्देश्य से पहुँच सकते है।
- ऐसे स्थान पर किसी भी ऐसे व्यक्ति की जांच कर सकते हैं जिसके बारे में यह मानने के वाजिब कारण हो कि वह उस स्थान पर कर्मचारी है अथवा उसे बाहर से करवाने को काम दिया गया है।
- बाहर से काम करवाने वाले अथवा करने वाले किसी व्यक्ति को, उसकी क्षमता में होने पर, ऐसी सूचना देने को कह सकते हैं कि वह उन व्यक्तियों के नाम–पते बताये जिनके लिए काम किया जा रहा है और जिनमें काम मिल रहा है और इस काम के लिए क्या भुगतान किया जा रहा है?
- ऐसे रजिस्टरों, रिकॉडर्स या नोटिसों या हिस्सों को जब्त कर सकते हैं या उनकी प्रति बना सकते हैं।
- इस अधिनियम के अन्तर्गत अधिकारी अन्य निर्धारित अधिकारों का भी उपयोग कर सकते हैं।
- इस अधिनियम की धारा 20 में दावा प्राधिकरण और धारा 22 के अंतर्गत अनुमति प्राधिकरण के गठन का प्रावधान हैं।

3.6.2.14 मुकदमा दायर करने पर पाबंदी

इस अधिनियम में प्रावधान है कि अगर किसी व्यक्ति द्वारा दावा कर दिया जाए तो उसके बाद अथवा सक्षम अधिकारी को आवेदन करने के बाद जो रकम वापिस मिल सके, उसकी वापसी के लिए सिविल अदालतें मज़दूरी की वापसी के मुकदमे स्वीकार नहीं कर सकती।

3.7 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 व नियम 1995की मुख्य विशेतायें

i. इसे अभियोग के रूप में नहीं बल्कि अत्याचारों के अभियोग के रूप में संबोधित किया जाता है।

ii. 22 विभिन्न अत्याचारों की पहचान की गई जो कि उत्पीड़न के मुद्दों को संपूर्ण परिदृश्य को आच्छादित करता है।

iii. विशेष अदालतों व विशेष लोक अभियोजक का प्रावधान है।

iv. पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए विशेष प्रावधान

v. अधिनियम 1989 के अन्तर्गत बने नियम 1995 में महत्वपूर्ण राहत सहायताऐं

vi. अग्रिम जमानत पर प्रतिबन्ध का प्रावधान

vii. इस विधि के अन्तर्गत प्रकरणो मे राजीनामा नहीं

viii. अनुसंधान/तफ्तीश के अधिकार सिर्फ उप अधीक्षक पुलिस द्वारा की जावे

अत्याचार के अभियोग धारा 3 (1)

(i) अखाद्य या आपत्तिजनक पदार्थों को खाने या पीने के लिए मज़बूर करना

(ii) क्षति/अपमान/दुःख पहुंचाने के उद्देश्य से मल, अपशिष्ट पदार्थ, अस्थि पंजर/ अन्य कोई आपत्तिजनक पदार्थ अहाते के भीतर/पड़ोस में डालना

(iii) जबरदस्ती वस्त्र उतारना/नग्न अवस्था/पुते हुए चेहरे/ नंगे बदन में घुमाना या इस प्रकार का कोई कार्य जो कि मानव गरिमा के विरूद्ध है।

(iv) जबरदस्ती किसी भी भूमि पर कब्जा/खेती करना जिस पर अनुसूचित जाति/जनजाति का मालिकाना हक है/या उसे आवंटित की गयी है/या उसके नाम घोषित है एवं ऐसी भूमि को अपने नाम हस्तांतरित करना।

(V) जबरदस्ती अनुसूचित जाति/जनजाति की जमीन को हथियाना या फिर उसे प्राकृतिक साधनों के उपयोग से रोकना

(vi) बेगार या जबरन मज़दूरी करवाना

(vii) मत देने से रोकना/किसी अभ्यर्थी के पक्ष में मत देने/ या किसी भी ऐसे तरीके से मतदान करने के लिए जो कानून में नहीं है, के लिए मज़बूर करना/डराना धमकाना

(viii) मिथ्या पूर्ण/ईर्ष्या पूर्ण/सन्ताप पूर्ण मुकदमे/आपराधिक/अन्य न्यायिक प्रक्रियाओं के तहत कार्यवाही करना।

(ix) लोक सेवक को मिथ्या या तुच्छ इत्तिला देता है और एतद् द्वारा ऐसे लोक सेवक को प्रेरित करता है कि वह अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग अनुसूचित जाति या जन जाति के सदस्य को क्षति या क्षोभ कारित करने में करे;

(x) अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य को सार्वजनिक स्थान पर अपमानित करना

(xi) किसी भी अनुसूचित जाति/जनजाति की महिला को अपमानित/ मर्यादा भंग करने के उद्देश्य से उस पर आक्रमण करना/बल प्रयोग करना

(xii) स्थिति का लाभ उठाते हुए किसी अनुसूचित जाति/जनजाति की महिला की इच्छा को प्रभावित करना और उसका लैंगिक शोषण करना

(xiii) किसी भी झरने/जलाशय/ अन्य किसी स्त्रोत के जल को दूषित/खराब करना जिससे उसकी वर्तमान उपयोगिता में कमी आ जाये

(xiv) सार्वजनिक स्थानों पर जाने वाले रास्तों के परम्परागत अधिकार को मना करना/उस स्थान पर जाने या उसका इस्तेमाल करने पर रोकना

(xv) अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य को अपने घर/ गांव/ निवास के अन्य स्थानों को छोड़ने पर मज़बूर करना

3 (2) वह जो कि, अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य नहीं है:–

(i) साक्ष्य ऐसे अपराध के लिए जो तत्समय प्रवृत विधि द्वारा मृत्यु दण्ड से दंडनीय है दोष सिद्ध कराना है या वह जानता है कि इससे उसका दोष सिद्ध होना संभाव्य है वह आजीवन कारावास से और जुर्माने से दंडनीय होगा और यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी निर्दोष सदस्य को ऐसे मिथ्या या गढ़े हुए साक्ष्य के फलस्वरूप दोष सिद्ध किया जाता है और फांसी दी जाती है तो वह व्यक्ति जो ऐसा मिथ्या साक्ष्य देता है या गढ़ता मृत्यु दण्ड से दण्डनीय होगा।

(ii) मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी सदस्य को ऐसे अपराध के लिए जो मृत्यु दण्ड से दण्डनीय नहीं है किन्तु सात वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दण्डनीय है दोषसिद्ध करना है या वह यह जानता है कि उससे उसका दोष सिद्ध होना संभाव्य है, वह कारावास से जिसकी अवधि छः मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष या अधिक की हो सकेगी और जुर्माने से दण्डनीय होगा।

(iii) अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि करेगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य की किसी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाता है या वह जानता है कि उससे ऐसा होना संभाव्य है वह कारावास से जिसकी अवधि छ मास से कम की नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दण्डनीय होगा।

(iv) अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि करेगा जिससे उसका आशय किसी ऐसे भवन को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा साधारणतः पूजा के स्थान के रूप में या मानव आवास के स्थान के रूप में या सम्पत्ति

की अभिरक्षा के लिए किसी स्थान के रूप में उपयोग किया जाता है नष्ट करता है या वह जानता है कि उससे ऐसा होना संभाव्य है वह आजीवन कारावास से और जुर्माने से दंडनीय होगा।

(v) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45)के अधीन दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय कोई अपराध किसी व्यक्ति या सम्पत्ति के विरुद्ध इस आधार पर करेगा कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है या ऐसी सम्पत्ति ऐसे सदस्य है वह आजीवन कारावास से और जुर्माने से दण्डनीय होगा।

(vi) यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि इस अध्याय के अधीन कोई अपराध किया गया है वह अपराध किए जाने के किसी साक्ष्य को अपराधी को विधि दण्ड से बचाने के आशय से गायब करेगा या उस आशय से अपराध के बारे में कोई ऐसी जानकारी देगा जो वह उस अपराध के लिए उपबन्धित दण्ड से दण्डनीय होगा, या।

धारा 4:–कोई भी लोक सेवक जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति का सदस्य नहीं है, इस अधिनिय के अधीन उसके द्वारा पालन कीये जाने के लिए अपेक्षित कत्तव्यों की जान–बूझकर उपेक्षा करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से कम की नहीं होगी किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी।

3.8 विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, नियम 1995

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्गों के लिए निःशुल्क न्याय प्रदान करने हेतु राजस्थान विधिक सहायता (अनुसूचित जाति/जनजाति) नियम, 1969 बनाये गये परन्तु ये कारगर साबित नहीं हुए।

इसी क्रम में समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवा प्रदान करने के लिए, यह सुनिशिचित करते हुए कि न्याय सुरक्षित करने के लिए अवसर आर्थिक या अन्य अयोग्यता के कारण द्वारा किसी नागरिक को अस्वीकृत नहीं करता, और यह सुनिश्चित करने के लिए, लोक अदालतों का निर्माण करने के लिए, कि विधिक प्रणाली का कार्य समान अवसर के आध ार पर न्याय की वृद्धि करता है, विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया है।

विधिक सेवा प्राधिकरणों का गठन निम्न प्रकार से किया गया हैः–

1. राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण/उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति
2. राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति
3. जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
4. तहसील स्तर पर तहसील विधिक सेवा समिति

3.8.1 विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा किये जाने वाले कार्यः विधिक सेवाओं को उपलबध करने के लिए नीतियो और सिद्धान्तों को प्रतिपादित करना, अत्यधिक प्रभावी और मितव्ययी योजनाएं बनाना, राज्य/जिला प्राधिकारियों की विधियों का निपटारा, समाज के कमजोर वर्गों के लिए उपभोक्ता संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक न्याय हेतु कदम उठाना, लोक अदालतों के जरिये विवादों का निपटारा, ग्रामीण क्षेत्रों/गन्दी–श्रमिक बस्तियों में विधिक सहायता केम्प आयोजित करना, समाज के कमजोर वर्गो को शिक्षित करना, जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे, विशेषकर अनुसूचित जाति/जनजाति महिलाओं शहरी और ग्रामीण श्रमिकों के मध्य कार्य कर रही स्वैच्छिक सामाजिक कल्याण संस्थाओं को समर्थन के प्रयास करना आदि है।

3.8.2 विधिक सहायता के हकदार धारा–12ःप्रत्येक व्यक्ति जिसे एक मामला (केस) दाखिल करना है या प्रतिवाद करना, इस अधिनियम के अन्तर्गत विधिक सहायता के लिए हकदार होगा यदि वह व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य भिखारी, महिला या बच्चा, विकलांग व्यक्ति, घोर विपत्ति/जातीय हिंसा/जातीय नृसंशता/बाढ़/सूखा/भूकम्प/औद्योगिक विपत्ति का आहत व्यक्ति, औद्योगिक कर्मकार, मनोविकार व्यक्ति, जिसकी वार्षिक आय 25,000:00 रुपये से कम हो विधिक सेवा वाने का हकदार होगा; परन्तु अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला सदस्यों के लिए आय सीमा लागू नहीं है। विधिक सेवा प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी को अपनी वार्षिक आय का शपथ–पत्र पेश करना होगा। ऐसी विधिक सहायता उपरोक्त प्रार्थियों

को निःशुल्क प्रदान की जावेगी, जिसका सम्पूर्ण खर्चा (न्यायालय खर्चे एवं अधिवक्ता मानदेय आदि) विधिक सेवा समिति द्वारा वहन किया जायेगा।

3.9 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994

3.9.1 धारा 50, 51 व 52 : ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद् के मुख्य कार्य व शक्तियाँ

: पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए योजनायें बनाना, बंजर भूमियों का विकास करना, कृषि और बागवानी की प्रोन्नति और विकास, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का सृजन करना, महिला एवं बाल विकास के कार्यक्रम, अनुसूचित जाति/जनजाति और कमजोर वर्गो के कल्याण के लिए विनिर्दिष्ट कार्यक्रमों में भाग लेना या करना, वार्षिक बजट तैयार करना, अनुसूचित जाति विकास निगम स्कीमों आदि का आयोजन और क्रियान्वयन, ऐसी जातियों और वर्गो का सामाजिक न्याय और शोषण सुरक्षा करना, पशु पालन/डेयरी/घरेलू और कुटीर उधोगों को प्रोन्नत करना, बेघर परिवारों की पहचान करना, कमजोर वर्गो को छात्रवृत्तियाँ दिलाना, अन्तर्राजातीय विवाह को प्रोत्साहन, अन्ध विश्वास, जातिवाद, छुआछूत इत्यादि के विरूद्ध अभियान, भूमिहीन श्रमिकों को सौंपी गई भूमि का विकास करने में सहायता करना इत्यादि।

3.9.2 राजस्थान पंचायती राज नियम 1994

नियम 157 : पुराने गृहों का विनियमतिकरण : जहां व्यक्तियों के कब्जे में आबादी भूमि में पुराने गृह हों और वे पंचायत से कोई पट्टा जारी करवाना चाहते हों वहां नियमानुसार राशि जमा कराये जाने के पश्चात पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा। बी.पी.एल. परिवारों के लिए पट्टा निःशुल्क मिलेगा।

3.10 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

3.10.1पृष्ठभूमि

केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, पंचायतीराज संस्थायें तथा ऐसे संगठन व संस्थान (गैर सरकारी संगठन) जिनका गठन, संचालन, नियन्त्रण और वित्तिय सहयोग राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा हो रहा है, सभी पर लागू होगा। (धारा 2 (क))

- कार्यकारी न्याय व्यवस्था व विधान मण्डल पर भी लागू (धारा 2 (ड़))।
- केन्द्रीय, राज्य, स्थानीय सरकारों पर लागू।
- प्राइवेट निकाय से सम्बन्धी ऐसी सूचना सम्मलित है जिस तक समयावधि में किसी अन्य विधि के अधीन लोक अधिकारी की पहुँच हो सकती है, अभिप्रेत है, (धारा-2 (च))

3.10.2 परिभाषाऐं

- "सूचना" किसी भी रूप में ऐसी सामग्री, मत, सलाह नमूने, किसी भी प्रकार के दस्तावेज अथवा अभिलेख।
- "सूचना का अधिकार" कार्यो व रिकार्डस निरीक्षण, प्रमाणित प्रतिलिपियाँ तथा सामग्री के नमूने प्राप्त करना।

3.10.3 सूचना लेने के तरीके

- निर्धारित फीस के साथ प्रार्थना पत्र लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत करना।
- प्रत्येक कार्यालय में लोक सूचना अधिकारी, तहसील/ब्लॉक/उप जिला स्तर पर कार्यरत सहायक लोक सूचना अधिकारी।

- तीस दिन में सूचना, किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित सूचना 48 घंटे में।
- तीस दिवस में प्रार्थना पत्र पर कार्यवाई न हो तो यह समझा जाएगा कि उसके अनुरोध को नामंजूर कर दिया गया है।
- देरी से जवाब की वजह से कोई फीस नहीं।

3.10.4 सूचनाऐं जो नहीं दी जाएगी

- भारत की प्रभुता व अखण्डता राज्य की सुरक्षा, वैज्ञानिक तथा आर्थिक हित या राज्य के अन्य हित अन्य देशों से संबंध या जिससे किसी अपराध करने का खुलासा होता है।
- न्यायालय द्वारा निषिद्ध या प्रकटन से न्यायालय की अवमानना होती हो।
- संसद या राज्य के विधान मण्डल के विशेषाधिकार भंग हो सकते हो।
- वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक संपदा जब तक बड़े पैमाने पर विस्तृत लोकहित सुनिश्चित न हो।
- किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना।

3.10.5 ये सूचनाऐं भी नहीं दी जायेगी

- किसी को सुरक्षा अथवा जान खतरे से संबंधित गुप्त या सहायक सूचना।
- पहचान अथवा जांच के तरीके को प्रभावित करती हो।
- केबिनेट दस्तावेज जिन पर निर्णय लिया जाना है, अथवा मामला समाप्त नहीं हुआ है।
- व्यक्तिगत सूचना अथवा किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित करती हो या जब तक व्यापक लोकहित न्यायोचित नहीं है।
- राज्य के कॉपीराईट का उल्लंघन नहीं होता हो।
- गुप्तचर व सुरक्षा विभाग– भ्रष्टाचार अथवा मानवाधिकार हनन आरोप के अलावा।
- किसी अन्य ऐजेंसी को नोटिस
- अधिकतर सूचनाओं में छूट 20 वर्ष पश्चात् दी जाएगी।

3.10.6 अपील कैसे करें ?

- प्रथम अपील उस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को
- द्वितीय अपील सूचना आयोग को
- किसी भी कार्यालय द्वारा इनकार की प्रति देनी होगी

3.10.7 लोक प्राधिकरणों के दायित्व

- मुख्य नीतियों व घोषणाओं जो लोगों को प्रभावित करते हैं, से संबंधित सभी तथ्यों को प्रकाशित करना।
- प्रशासनिक अथवा कानूनी निर्णयों के कारणों को बताना

- स्वप्रेरणा से सूचनायें उपलब्ध कराना (4) (2)
- सूचना आयोग को सूचनाएं उपलब्ध कराना (25) (2)

3.11 स्पेशल इकॉनॉमिक जॉन अधिनियम 2005

- निजि उद्यमियों/निजी–सार्वजनिक भागीदारों अथवा राज्य सरकारों द्वारा बेहतर ढ़ाँचागत सुविधायें एवं उदार श्रम नीतियों की सुविधा देकर देशी/विदेशी पूंजी निवेशकों को आकर्षित करने एवं रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से अप्रेल, 2000 में देश में कई "विशेष आर्थिक–क्षेत्र" विकसित करने की घोषणा की गई जो चीनी मॉडल से प्रभावित थी।
- इस क्षेत्र के लिए विशेष सेज एक्ट 2005 बनाया गया जिसे 2006 में लागू कर दिया गया इसमें अन्य रियायतों के अलावा सेवाकर एवं कच्चे मालों पर लगने वाले करों में छूट देकर पहले पांच वर्षो के लिए आयकर को भी छूट की सीमा में रखा गया है।
- प्रारम्भ में इस क्षेत्र में 22 अरब रूपयों के निवेश एवं एक लाख दस हजार नौकरियों के सृजन का आंकलन किया गया है, एक सेज यूनिट के लिए कम से कम एक हजार हैक्टेयर जमीन आवश्यक होगी।
- उद्यमियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुये सिगंल विण्डो क्लीयरेंश की व्यवस्था की गई ताकि निर्यात कार्य सुचारू रूप से चलता रहे।
- इस विशेष क्षेत्र में कड़े श्रम कानूनों की जगह उदार नियोक्तान्मुखी कानून सुविधानुसार बनाये, लागू किये जा सकते हैं।
- इस विशेष क्षेत्र में बेहतर ढ़ाँचागत सुविधाओं के अतिरिक्त अन्य सुविधायें (पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, रिहायशी मकान इत्यादि) भी उपलब्ध कराई जायेगी।
- कृषि योग्य मंहगी जमीनें किसानों से सस्ते दामों में खरीदकर एवं किसानों को विस्थापितों की कतार में खड़ा कर सेज से मिलने वाले लाभों से महरूम करने तथा आवश्यकता से अधिक जमीनें उद्यमियों को उद्यमों के नाम पर देने के कारण "सेज" संदेह के दायरे मे आ गया है। सेज क्षेत्र में छोटे शहरों/कस्बों के निवेश क्षेत्र में घुसने का खतरा भी है जो अपेक्षित आर्थिक लक्ष्य से मेल नहीं खाता। सेज से होने वाला लाभ देशहित में कम, कार्पोरेट हित में ज्यादा है इसलिये भी इसके विरोध में आवाजें उठने लगी हैं।

3.11.1 डेवलपर के लिए रियायतें

- कर मुक्त आयात, सेज का संचालन
- 10–15 साल तक आयकर से मुक्ति
- विकसित प्लॉटों को व्यावसायिक उपयोग के लिए आवंटित करने की छूट
- टाउनशिप विकसित करने के लिए विदेशी अनुदान

3.11.2 सेज की इकाइयों के लिए छूट

- कर मुक्त प्रक्षेत्र जिसे व्यापार और मुनाफे का क्षेत्र माना जाता हैं।
- लाइसेंस मुक्त आयात
- आयात कस्टम ड्यूटी में छूट

- कच्चे माल पर घरेलू बाजार में कोई एक्साइज नहीं
- शुरूआती वर्ष के लिए आयकर में 100 फीसदी छूट, दो साल के लिए 50 फीसदी और अगले तीन साल के लिए 50 फीसदी तक की छूट
- दुरूस्त बैंकिग इकाइयों के लिए तीन वर्ष के लिए 100 फीसदी आयकर मुक्ति और दो वर्ष के लिए 50 फीसदी आयकर मुक्ति
- विदेशों में उप ठेके देने की छूट
- निर्माण के क्षेत्र में कुछ क्षेत्रों को छोड़ कंर सेज के लिए भूमि अधिग्रहण करने हेतु सरकार एलएए 1894 कानून का उपयोग करती है। जमीन अधिगृहण करने संबंधी राज्य की सत्ता का उपयोग कर बाजार से सस्ते दामों पर जमीन बेचने के लिए अनिश्चित विक्रेताओं को मजबूर करना।
- यह तरीका जो कि अन्य सभी किस्म के विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में काम लाया जाता रहा है, अलग सेज में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इन सेजों के लिए सब कुछ विशेष ही है।
- चाहे वह कर में कटौती हो, सरकारी सब्सिडी तक पहुँच हो, व्यापार को आमतौर पर संचालित करने वाले कानूनों के प्रति प्रभावहीनता और खाशकर सभी श्रम कानूनों का अप्रभावी हो जाना।

3.12 अन्य मुख्य प्रावधान

3.12.1 रास्तों का विवाद :– राजस्थान का काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 कोई भी भूमिधारी अपने रास्ते अधिकार या अन्य सुखाधिकार का वास्तविक उपयोग कर रहा हो परन्तु किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसके उपभोग में विघ्न डाले जाने पर तहसीलदार के यहाँ प्रार्थना पत्र पेश करेगा। तहसीलदार उक्त प्रार्थना पत्र को सर्व प्रथम ग्राम पंचायत को प्रेषित करेगा और ग्राम पंचायत द्वारा समयावधि (45 दिन) में निर्णय न करने की स्थिति में स्वयं तहसीलदार अपने स्तर से निर्णय करेगा। इस प्रकार धारा 251 के तहत पंचायत एवं तहसीलदार दोनों को समान, अधिकार प्रदान हैं, लेकिन सर्वप्रथम इस प्रकार के विवादों का निस्तारण पंचायत द्वारा किया जायेगा।

3.12.2 सीमा ज्ञान :– कोई भी काश्तकार अपने खेत का सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रिकार्ड) नियम 34 के अनुसार तहसील कार्यालय में निर्धारित शुल्क जमा कर आवेदन कर सकते हैं। तहसीलदार इस आवेदन को संबंधित पटवारी को सीमा ज्ञान करवाने हेतु आदेशित करेगा। पटवारी द्वारा सीमाज्ञान की रिपोर्ट 15 दिवस के अन्दर करनी होगी। सीमा ज्ञान सम्बन्धी प्रकरणों का निस्तारण भू–राजस्व अधिनियम धारा 128 के अनुसार किया जाता है। तहसीलदार को सिर्फ अविवादित प्रकरण सुनने का अधिकार है। सीमा ज्ञान के प्रकरण में, ग्राम पंचायतों को सुनने का अधिकार प्राप्त है। अगर पंचायत 45 दिन में, निर्णय न करे तो फिर ऐसे प्रकरणों का निर्णय, तहसीलदार द्वारा किया जावेगा।

3.12.3 नामान्तरण :– भू–राजस्व अधिनियम की धारा 133 के तहत किसी सम्पत्ति किसी भूमि के हित में उस व्यक्ति पर जो उत्तराधिकार, क्रय आदि द्वारा किसी भूमि पर कब्जा प्राप्त करता है, तो इस तथ्य की सूचना तीन महीने में पटवारी व तहसीलदार को देना जरूरी है। ऐसे नामान्तरण को ग्राम पंचायत के पास सत्यापन को तस्दीक करने हेतु भेजा जाकर तहसीलदार द्वारा निपटाऐ जायेंगे।

धारा 135 के अनुसार कब्जे के अन्तरण कि सूचना प्राप्त होने पर या ऐसे तथ्यों का ज्ञान होने पर तहसीलदार जांच कर जो आवश्यक प्रतीत हो तो वार्षिक रजिस्टर मे अभिलिखित कर नामांतरण खोल देगा।

3.12.4 अभिलेख शुद्धिकरण :–अभिलेख मे शुद्धिकरण तीन प्रकार से किया जा सकता है, सक्षम न्यायालय (सहायक कलेक्टर के समक्ष) में नियमित वाद प्रस्तुत करके, भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अनुसार भूमि अभिलेख अधिकारी किसी भी समय, किसी लिपिकीय गलती, या कोई ऐसी त्रुटि जिसे हितकारी पक्ष मानते हो अर्थात स्वीकार योग्य या ऐसी त्रुटि जो राजस्व अधिकारी के ध्यान में आई हो या,

फर्द–दर खोलकर गलती को दुरूस्त करना – ऐसे सुधार जो जमाबंदी की तस्दीक के बाद ध्यान में आता है, ऐसी गलती को फर्द बटर के माध्यम से दुरूस्त किया जाता है।

3.12.5 भूमि रूपान्तरण :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन नियम 2007 के नाम से जाने जावेंगे। इन नये नियमों की विशेषताऐं यहाँ पर रेखांकित की जा रही हैं। नियम 3 में प्रावधान है कि निम्न 8 प्रकार के प्रयोजन हेतु कोई भी खातेदार आसामी निर्धारित कनवर्जन शुल्क जमा कर अपनी ग्रामीण क्षेत्र में अपनी कृषि भूमि का रूपान्तरण करा सकता है। 1. आवासीय ईकाई, तहसीलदार व उपखण्ड अधिकारी द्वारा 2. आवासीय कालोनी परियोजना, कलेक्टर या राज्य सरकार द्वारा 3. वाणिज्यिक प्रयोजन, उपखण्ड अधिकारी या कलेक्टर या राज्य सरकार द्वारा 4. ओद्योगिक प्रयोजन, ओद्योगिक क्षेत्र, उपखण्ड अधिकारी या कलेकटर या राज्य सरकार द्वारा 5. नव विनिर्माण–प्रयोजन, उपखण्ड अधिकारी या कलेकटर 6. लोकोपयोगी–प्रयोजन, उपखण्ड अधिकारी या कलेक्टर या राज्य सरकार द्वारा 7. संस्था संबधी प्रयोजन, राज्य सरकार द्वारा 8. चिकित्सा सुविधाऐं।

3.12.6 खातेदारी अधिकार प्राप्त करना :– कोई भी व्यक्ति जो कृषि मे हित रखता है, वह सक्षम न्यायालय, सहायक कलेक्टर के यहाँ निर्धारित शुल्क जमा कर नियमित वाद दायर करके अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करा सकता है। प्रत्येक गैरखातेदार जिसको भूमि आवंटन हुए 3 वर्ष हो गये हों और आवंटन की शर्तो की पूर्ण पालना की गई है तो वह निर्धारित शुल्क जमा कर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु तहसीलदार/सहायक कलेक्टर के समक्ष आवेदन कर सकता है।

3.13 राजस्व तथा आपराधिक न्यायालय

3.13.1 राजस्व न्यालय

तहसीलदार/नायब तहसीलदार/सहायक भू– अभिलेख अधिकारी सहायक कलेकटर/उपखण्ड अधिकारी

जिला कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर/भू–प्रबन्ध अधिकारी राजस्व अपील अधिकारी

संभागीय आयुक्त भू–प्रबन्ध आयुक्त

राजस्व मण्डल राजस्थान

उच्च न्यायालय

उच्चतम न्यायालय

3.13.2 आपराधिक न्यायालय

न्यायिक मजिस्ट्रेट/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/जिला एवं सत्र न्यायाधीश

उच्च न्यायालय

उच्चतम न्यायालय

3.14 अन्तर्राष्ट्रीय मानक

3.14.1 मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा–1948

अनुच्छेद 2: सभी को इस घोषणा में सन्निहित सभी अधिकारों और आजिवियों को प्राप्त करने का हक है और इस मामले में जाति, वर्ण, लिंग, धर्म, भाषा राजनीति या अन्य विचार प्रणाली, किसी देश या समाज विशेष में जन्म, सम्पति या किसी भी प्रकार की अन्य मर्यादा आदि के कारण भेदभाव का विचार न किया जायेगा।

3.14.2 आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों का अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र

संयुक्त राष्ट्र संघ में घोषित सिद्धान्तों के अनुसार मानव परिवार के समस्त सदस्यों के अर्न्तनिष्ठ सम्मान, समान और सम्मानीय अधिकारों को मान्यता देना, विश्व में स्वतन्त्रता, न्याय व शान्ति स्थापित करने की आधारशिला है।

मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुसार भय और अभाव से मुक्त स्वतन्त्र मानव आर्दश तभी स्थापित किया जा सकता है, जब ऐसी परिस्थितियाँ लाई जायें जिनमें प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारों एवं राजनैतिक अधिकार प्राप्त हो।

अनुच्छेद 1.2 सभी देश आपसी लाभ और अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धान्त पर आधारित अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग से उत्पन्न प्रत्येक दायित्व को पूरा करने के लिए बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले अपने प्राकृतिक संसाधनों और सम्पदा का मुक्त रूप से निपटारा कर सकते हैं ताकि किसी भी स्थिति में किसी देश को अपने आय स्रातों से वंचित न रहना पड़े।

अनुच्छेद 6.2 वर्तमान प्रतिज्ञा पत्र के पक्ष के देशों द्वारा इस अधिकार की पूर्ण प्राप्ति के लिए किये जाने वाले उपायों में तकनीकी और व्यवसायिक दिशा निर्देश तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्थिर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास प्राप्त करने की नीतियाँ और तकनीकी तथा परिस्थितियों के अनुकूल उत्पादन, रोजगार शामिल हैं ताकि व्यक्तियों की बुनियादी राजनीतिक और आर्थिक स्वतन्त्रताओं की रक्षा की जा सके।

3.15 भूमि से सम्बन्धित विभिन्न परिपत्र

3.15.1 रास्तें के अधिकार के सम्बन्ध में

परिपत्र संख्या 1

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक/भू.अ./जी.–3/प–174/99/4118–4149

समस्त जिला कलेक्टर

विषयः रास्तों के विवादों के निस्तारण बाबत।

महोदय

उपरोक्त विषय में राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 1955 की धारा 251 के साथ राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक/एफ–5(2) रेव/ग्रुप–4–80–34 दिनांक 4.9.82 जिसका कि राजस्थान गजट एक्स्ट्रा ओर्डनरी (जिला) 11 दिनांक 25.0.1982 पेज 219–220 में प्रकाशन दिया गया है तथा इसे दिनांक 25.9.82 से प्रभावशील माना गया है या अवलोकन करने का कष्ट करें। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 251 के साथ उपरोक्त अधिसूचना पढ़ने से यह स्पष्ट है कि रास्तों के विवादों को निपटाने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही करनी होगी।

तहसील कार्यालय से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के पास ऐसे प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर ग्राम पंचायत उन्हें प्राप्त होने के क्रमानुसार दर्ज रजिस्टर करेगी और प्राप्ति दिनांक से 45 दिन के भीतर इनका निस्तारण करेगी।

जमा प्रार्थना पत्र सीधे ग्राम पंचायत को प्राप्त होंगे उन्हें प्राप्ति दिनांक से ऊपर दर्ज रजिस्टर करेगी तथा उनका भी 45 दिन की अवधि से निस्तारण करेगी।

45 दिन पश्चात् सम्बन्धित ग्राम पंचायत का अधिकार न होने के कारण उनसे सम्बन्धित तहसीलदार को निस्तारण हेतु भिजवा देंगे और तहसीलदार भी निर्धारित समय सीमा 30 दिन में इनका निस्तारण करेंगे।

सम्बन्धित तहसीदार पंचायतों से 45 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात अनिस्तारित मामलों के प्राप्त होने पर अपने यहां प्राप्ति दिनांक से क्रमवार दर्ज रजिस्टर करायेंगे तथा निर्धारित समय से 30 दिन में इनका निस्तारण करेंगे।

राजस्व अभिलेख में दर्ज रास्तों के सम्बन्ध में

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 में निजी रास्ता व अन्य सुखाचार के प्रावधान हैं। इसके तहत तहसीलदार निजी रास्तों पर किये गये अतिक्रमण को हटाने के लिए संक्षिप्त जांच पर कार्यवाही कर सकते हैं। आबादी भूमि पर निजी रास्तों के सम्बन्ध में ग्राम पंचायतें अधिकृत हैं।

राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि राजस्व अभिलेख में दर्ज आम रास्तों में बहुत सारे अतिक्रमण हो रहे हैं जिससे एक खाते से दूसरे खाते में जाने में बहुत असुविधा होने के साथ विवाद उत्पन्न होते हैं। राजस्व रिकार्ड में अंकित रास्ते की चौड़ाई अतिक्रमण के कारण बहुत कम हो गई है। प्रशासन गांवो की ओर राजस्व अभियान में गंवई रास्तों पर हुये अतिक्रमणों को हटाने का बिन्दु निहित है।

अतः निर्देशानुसार निवेदन है कि राजस्व रिकार्ड में आम रास्तो की चौड़ाई के अनुरूप रास्तों को चौड़ा किया जाये तथा यदि उस पर अतिक्रमण हुये हो तो राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत बेदखली की कार्यवाही कर मौके पर ही अतिक्रमण को हटाया जावे एवं रास्तों को चौड़ा किया जावे।

उप शासन सचिव

समस्त जिलाधीशों को प्रेषित

क–4–6 (14) राज./88/9 जयपुर–दि. 3/12/88

3.15.2 परिपत्र संख्या 2

क्र. राम/भूअ/जी–3/प–197/2000/10449–86 दिनांक 15.9.2001

राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर राजकीय भूमि और सार्वजनिक रास्तो पर अतिक्रमणों को रोकने के लिए विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं, जिसकी सुमचित पालना नहीं किये जाने के कारण अतिक्रमणों की शिकायतें निरन्तर प्राप्त होती रहती हैं, विशेष रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज सार्वजनिक रास्तों को अतिक्रमण कर इतना सकड़ा कर दिया गया है कि उन रास्तो से आवागमन दुष्कर हो गया है, और जिसके परिणामस्वरूप कई बार विवाद हेतु मुकदमे की परिस्थितियां भी उत्पन्न होती हैं।

अतः जनहित में यह आवश्यक हो गया है कि सार्वजनिक रास्तों पर किये गये अतिक्रमणों को विधिवत् बेदखली अविलम्ब कराई जाये। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत राजकीय भूमि और सार्वजनिक रास्तों से अतिक्रमण हटाने हेतु/तहसीलदार को शक्तियां प्रदान की गई हैं जिनके प्रभावी क्रियान्वयन की प्रायः कमी देखी गई है, इसलिये इस परिपत्र के जरिये सभी जिला कलेक्टरों से यह अपेक्षा की जाती है कि सार्वजनिक रास्तो पर किये गये अतिक्रमणों को पहचान कराकर अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों से ऐसे अतिक्रमणों की विधिवत् एवं अविलम्ब बेदखली सुनिश्चित कराई जावे। इस दिशा में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा–91 (6) के दिये गये प्रावधानों की तहसीलदार स्तर पर विवेकपूर्ण ढ़ंग से कठोरतापूर्वक उपयोग में लाये जाने की आवश्यकता है।

जिला कलेक्टर्स यह भी सुनिश्चित करावें की सार्वजनिक रास्तों से बेदखली के आदेशों का मौके पर क्रियान्वयन भी कर लिया जावे और तहसीलदार द्वारा मौके से कराई गई बेदखली का उपखण्ड अधिकारी एवं अतिरिक्त कलेक्टर से जांच भी कराई जावें व इसकी राजस्व अधिकारियों की प्रति माह होने वाली बैठक में प्रभावी ढ़ंग से की जावे। इसके अतिरिक्त, इस हेतु यह भी आवश्यक होगा कि सार्वजनिक रास्तो का अतिक्रमण होने एवं उन्हें नहीं हटाने की शिकायत प्राप्त होने तथा जाँच में सही पाये जाने पर सम्बन्धित तहसीलदार/नायब तहसीलदार को इस सम्बंध में सीधे जिम्मेदार ठहराया जाकर उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

इस क्रम में राजस्व मण्डल के पूर्व परिपत्र संख्या 5035–5056 दिनांक 17.4.2001 में दिये गये निर्देशों के अनुसार की गई कार्यवाही की सूचना निर्धारित प्रपत्र में मण्डल को अविलम्ब भिजवाई जावे।

भाग–4

तथ्यान्वेषण तथा रिपोर्ट लेखन

4.1तथ्यान्वेषण हेतु महत्वपूर्ण निर्देश

4.2 तथ्यान्वेषण के प्रमुख तत्व

4.3 साक्षात्कार की तैयारी तथा साक्षात्कार करना

4.4 दलित भूमि से सम्बन्धित प्रश्नावली

4.5 जमीनों के प्रकार

4.6 फैक्ट फाईडिंग रिपोर्ट का फॉरमेट

4.7 एडवोकेसी

4.1 तथ्यान्वेषण हेतु महत्वपूर्ण निर्देश

4.1.1 मॉनिटरिंग क्या है ?

- किन परिस्थितियों में आपने यह शब्द सुना है
- मॉनिटरिंग एक प्रक्रिया है।
- स्वास्थ्य मॉनिटरिंग में हमारे ऊपर कई जांच की जाती है।
- यह प्रत्येक जांच हमारे परिणामों को पूर्व में स्थापित मानकों के आधार पर देखता है।
- मॉनिटरिंग के बाद हमें यह सूचित करते हैं कि हम बीमार हैं या नहीं और हमें कौन सा उचित इलाज अपनाना चाहिए।

4.1.2 मानवाधिकार मॉनिटरिंग

तथ्य अन्वेषण मिशन का कारण

- पीड़ित को तत्काल सहयोग
- पीड़ितों के लिए राहत एवं पुनर्वास
- पीड़ितों की तरफ से कानूनी कार्यवाही
- मानवाधिकार की संधियों के प्रति सरकार के रवैये की निगरानी
- अभियान और प्रचार
- ऐतिहासिक विवरण तैयार करना

4.2 तथ्य अन्वेषण मिशन के प्रमुख तत्व :

4.2.1 तथ्य अन्वेषण मिशन के प्रकार

1. योग्य एवं प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं के द्वारा तथ्य अन्वेषण मिशन जो कि निम्न स्तर का होता है।
2. उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमण्डल के द्वारा तथ्य अन्वेषण
3. अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमण्डल को सम्मिलित कर तथ्य अन्वेषण
4. चुनाव अवलोकन
5. कारागार भ्रमण
6. पेशी का अवलोकन
7. विधि विज्ञान द्वारा जांच
8. रिसर्च अध्ययन जिसमें आर्थिक, सामाजिक और नागरिक अधिकारों के सर्वे सम्मिलित हों
9. जन सुनवाई/जन अन्वेषण

4.2.2 तथ्य अन्वेषण के प्रति सही परिपेक्ष की आवश्यकता

- तथ्य अन्वेषण मिशन–सघन, सटीक व निष्पक्ष, परिणाम विश्वसनीय हो–पर्याप्त सावधानी की आवश्यकता ताकि एकत्रित की गई सूचनाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित किया जा सके।
- चूंकि इसका क्रियान्वयन संकेन्द्रित होता है, इसलिए इसके लक्ष्य को परिभाषित करना अति आवश्यक है।
- प्रमाणों का पुनर्वलोकन करते समय अपने मस्तिष्क को पूर्वाग्रहों से ग्रसित न होने दें।

- पीड़ितों के प्रति प्रथम कर्तव्य– उनके लिए सुरक्षा, संरक्षा, सम्मान और सहानुभूति सुनिश्चित करें
- सांस्कृतिक संवेदनशीलताओं को भी ध्यान में रखें
- मानकों को लागू करना
- प्रमाणों की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करना
- सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक कारक जिन्होंने मानवाधिकार के हनन में सहयोग किया है।
- स्थानीय संपर्क विकसित करना

4.2.3 फैक्ट फाईडिंग के आधारभूत नियम :

- मॉनिटरिंग का लक्ष्य राज्य को मानवाधिकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी को पुनर्स्थापित करना–ना कि उसकी जिम्मेदारी को प्रतिस्थापित करना
- किसी को क्षति मत पहुंचाओ
- आदेशो का सम्मान करो
- मानकों को जानो
- अच्छे निर्णयों का उपयोग करो
- परामर्श लो
- अधिकारियों का सम्मान करो
- विश्वसनीयता
- गोपनीयता
- सुरक्षा
- देश/ राज्य/क्षेत्र/ स्थानीय वातावरण को समझो
- निरन्तरता, दृढ़ता और सहनशीलता की आवश्यकता है
- सटीकता और शुद्धता
- विषयपरकता– सभी समय इस प्रवृत्ति और आकार को बनाये रखें
- संवेदनशीलता – उस पीड़ा के प्रति जिसे पीड़ित ने भोगा है
- अखण्डता – सभी को आदर और सम्मान दीजिए
- व्यवसायिकता–ज्ञानी, परिश्रमी एवं प्रतियोगी
- दृष्टिगोचरता– दोनों ही अधिकारियों और स्थानीय लोगों को पता चले कि क्या कार्य किया जा रहा है

4.2.4 तथ्य अन्वेषण मिशन से जुड़ी समस्याऐं

- जिन क्षेत्रों में हनन की घटनाएं हुई हैं, वहां पर जाने में बाधा हो सकती है।
- तथ्य अन्वेषक की सुरक्षा एवं संरक्षा को खतरा।
- अविश्वसनीय प्रमाणों को इकट्ठा करने में परेशानियाँ होने का खतरा

- गवाहों द्वारा बयान या सूचना देने में हिचकिचाहट
- मानवाधिकारों की जानकारी का अभाव
- तथ्य अन्वेषण मिशन करने के लिए प्रशिक्षण व संसाधनों का अभाव

4.3 साक्षात्कार की तैयारी तथा साक्षात्कार करना

4.3.1 साक्षात्कार की तैयारी

- साक्षात्कार कौन करेगा
- कितने लोग इंटरव्यू करेंगे
- भाषा में निपुणता
- सांस्कृतिक विभिन्नतायें
- अनुवादक
- स्थान एवं गोपनीयता

4.3.2 साक्षात्कार करना

साक्षात्कार निम्न व्यक्तियों का किया जा सकता है:

- गवाहों को पहचानना
- गवाहों की सुरक्षा
- अपना ध्यान केन्द्रित नहीं करें
- वह जगह जहां पर आवाजाही कम हो
- दूसरे गवाह से बयान लेते समय पहले के बयान को आधार न बनायें और ना ही उसे बतायें
- गवाह जिन सुरक्षा मापकों पर विश्वास करता हो, उसे अपनाना चाहिए
- गवाहों के साथ सम्पर्क बनाये रखने का माध्यम विकसित करें
- यह स्पष्ट करना जरूरी है कि आप गवाहों को सुरक्षा की सांत्वना नहीं दे सकते हैं
- सभी दस्तावेजों को एक सुरक्षित स्थान पर रखें और वे सब एक नम्बर के द्वारा जाने जायें ना कि किसी व्यक्ति के नाम के द्वारा
- साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति की व्यक्त अनुमति के बाद ही जा सकती है
- कभी भी गुप्त, छुपे हुए टेपरिकार्डर का प्रयोग न करें
- यही स्थिति वीडियों रिकार्डिंग व कैमरों के साथ भी है
- अपना परिचय दीजिये, कारण स्पष्ट कीजिये, मकसद बताइये, नियमों के बारे में चर्चा कीजिए, गवाहों की सुरक्षा कैसे होगी और उनके द्वारा दी गई सूचना का प्रयोग किस कार्य के लिए होगा?
- व्यवसायिकता, परिपक्वता और संवेदनशीलता

- प्रारंभिक संबंध स्थापित कीजिए
- गवाहों को यह विश्वास दिलाइये कि उनके द्वारा प्रदान की गई सूचना गोपनीय रखी जायेगी
- गवाहों के द्वारा दिये गये दस्तावेजों का प्रयोग उनकी अनुमति के बाद ही करना चाहिए
- विस्तृत बयान लें– खुले प्रश्नों का प्रयोग करें–अविवादित प्रश्नों से विवादित व संवेदनशील प्रश्नों की ओर प्रश्नों पर प्रश्न मत पूछिये एक ही प्रश्न कई प्रकार से पूछिये
- विशिष्ट प्रश्नोत्तर– विशिष्ट घटना के बारे में प्रश्न कीजिए
- गवाहों से सूचनाओं के श्रोत के बारे में भी जानकारी लीजिये और उसे भी सुरक्षित रखिये
- एक ही प्रकार के प्रश्नों को कई व्यक्तियों से पूछिये ताकि अनुरूप तथ्यों की पहचान हो सके
- साक्षात्कार को समाप्त करना और गवाहों के संपर्क में रहना
- साक्षात्कार की रिपोर्ट तैयार करना
    - साक्षात्कार का पुनर्निर्माण
    - विश्वसनीयता की परख करना
    - आगे की जांच की जानी चाहिए
    - सूचनाओं एवं दस्तावेजों को प्रमाणित एवं क्रास चैक करना
    - केसों का निरन्तर फॉलो–अप करना
- पीड़ित, गवाह और अत्याचारी से वार्तालाप और उनका बयान को पूरा दर्ज करना।
- पीड़ितों को आश्वासन देकर उनको प्रोत्साहित करने के बाद उनसे घटना के बारे में पूरी जानकारी पाना।
- तथ्य–अन्वेषण के बाद कार्य को अंजाम देने तक का जो काम है उसके लिए पीड़ितों से अनुमति पाना।
- वार्तालाप के समय नोट्स लेना और घटना के दौरान शरीर पर लगी चोटों की लिस्ट बनाना
- घटना के दौरान आर्थिक नुकसान या क्षति की सूची बनाना
- घटना के बाद पीड़ित का जो खर्चा हुआ यथा–चिकित्सा के लिए, कानूनी कार्यवाही के लिए इत्यादि।
- घटना की जांच कर रहे सरकारी अधिकारियों से वार्तालाप
- पुलिस थाना, जेल और अस्पताल जाना व अधिकारियों से बातचीत करना और दस्तावेजों को जमा करना
- पत्रकारों, जन आन्दोलनकारी संगठनों से वार्तालाप करना।
- क्या आपने तथ्य अन्वेशण करते समय सारी सूचनाऐं रिकार्ड कर ली थी ?
- एक तथ्य अन्वेषक होने के नाते क्या आप निष्पक्ष थे ?
- हस्ताक्षर किये गये बयान और शपथ–पत्र की सूची
- जमीन (कृषि/रिहायशी) सम्बन्धी समस्त दस्तावेज
- पुलिस थाने से मिले दस्तावेजों की सूची

- चिकित्सा के दस्तावेजों की सूची
- कार्य को अंजाम देने के लिए भेजी गई शिकायतों की सूची
- अदालतों के दस्तावेजों की सूची
- समाचार पत्रों में आई खबरों की सूची
- तस्वीरें लेना
- नुकसान या क्षति की सूची
- घटना स्थल का नक्शा
- अन्य दस्तावेज आदि

4.4 दलित भूमि से सम्बन्धित प्रश्नावली

4.4.1 सामान्य प्रश्न अथवा जानकारी

- परिवार के मुखिया का नाम
- परिवार के सदस्यों का नाम
- लिंग
- उम्र
- शैक्षणिक योग्याता
- प्राथमिक योग्यता
- द्वितीयक पेशा
- जाति उपजाति
- गांव में कितने वर्षो से रह रहे हैं?
- परिवार का स्तर/बी.पी.एल./ए.पी.एल. आदि
- वार्षिक आमदनी (परिवारिक)
- आपके पास घर हेतु जमीन है कि नहीं ?
- यदि है तो पुश्तैनी/आवंटित/खरीदी/किराये पर/अतिक्रमण किया हुआ/शरणार्थी है ?
- खरीदी है तो किससे, कब, कितने पैसे में ?
- शरण लेने का क्या कारण, कब आये ?
- घर नहीं है तो कहां रह रहे हैं– किराये पर, भूमि पर अतिक्रमण कर, आवंटित भूमि पर, रिश्तेदारों की अनुमति से, मालिक के मकान में, अन्य के घर में ?
- जमीन गिरवी/दान/वसीयत, तो नहीं की गई ?

- सरकार द्वारा जमीन को आधिग्रहण बहुराष्ट्रीय कम्पनीयों को तो नहीं किया गया ?
- जमीन कैसी है ? बहुत अच्छी, अच्छी, ठीक–ठाक, अकृषि योग्य, सिंचित, असिंचित ?
- रिहायशी/कृषि भूमि विवादित हैं ?
- जमीन पर पहले या वर्तमान में किसका कब्जा है ?
- अतिक्रमण की गई भूमि कैसी–निजि/राजस्व भूमि/वन भूमि/सिवाय चक भूमि ?
- भूमि गांव में किस स्थान पर है ?
- खरीदी गई भूमि की रजिस्ट्री करवाई थी या नहीं ? पैसा लिया या नहीं ?
- सरकार द्वारा पट्टे मिले या नहीं ?
- क्या सरकार द्वारा जमीन की नक्शे का शुद्धीकरण (तरमीम)/सीमाज्ञान किया गया है ?
- क्या भौतिक कब्जा दिया गया है ?
- क्या भौतिक कब्जा के समय कोई विवाद हुआ और यदि हुआ तो पुलिस सहायता मिली क्या ?
- अतिक्रमण की गई जमीन पर कब से कब्जा है ?
- क्या आपने कोई शास्ति/पेनल्टी जमा करवाई गई है, रसीद है या नहीं ?
- कब से राजस्व जमा करवा रहे है ?
- सामान्य भूमि– मन्दिर की जमीन, शमशान भूमि, गांव के बाहर की भूमि, स्कूल की भूमि, तालाब/नदी की भूमि, अन्य ?
- कब से खेती कर रहे है, ग्राम पंचायत को पैसा/लगान दे रहे हैं?
- बीज/खाद आदि मिला क्या?
- कृषि ऋण की सुविधाएं
- निजि/लोक सिंचाई की सुविधायें
- ट्रेक्टर आदि की सुविधायें
- यदि आप शरणार्थी हैं तो अन्य गांव के लोग आपको बाहरी मानते है ?
- क्या आपकी सम्पति को देखकर खुश हैं ?
- क्या आपका मकान गैर दलितों के बीच में हैं ? और यदि हैं तो उनका आपके प्रति व्यवहार कैसा है ?
- क्या आपको गैर दलित कॉलोनी में मकान मिला है या खरीद सकते है ?
- क्या गांव में दलितों के घर गांव से एक तरफ है यदि है तो क्या एक परम्परा हैं ?
- मुख्य गांव से आपका घर कितनी दूरी पर हैं, तथा क्या वे मुख्य मार्ग से सम्पर्क रखते है?
- गांव का गन्दा पानी दलित कॉलोनी में इक्कठा होता हैं ?
- क्या गैर दलितों व दलितों की सुविधा में कोई अन्तर हैं ?

4.4.2 भूमि और बाजार

4.4.2.1 भूमि खरीदना

- क्या आपने निवास/कृषि हेतु भूमि खरीदने की कोशिश की या नहीं या सफल नहीं हुये ?
- भूमि किससे खरीदी, दलित या गैरदलित से
- भूमि का क्षेत्रफल, पट्टा आदि
- हस्तानान्तरण हुआ क्या, कितने पैसे में खरीदी, क्या बाजार भाव से अधिक या कम में खरीदी?
- भूमि किस प्रकार की है?
- क्या भूमि खरीदने के दौरान कोई परेशानी आई ?

4.4.2.2 भूमि बेचान

- क्या आपको भूमि बेचान में परेशानी आई, आई तो कैसे, क्या बाजार भाव मिला?

4.4.2.3 निवास हेतु भूमि खरीदना व बेचना

- क्या गैर दलित–दलित बस्ती में खरींदा है यदि नहीं तो क्यों नहीं ?
- क्या दलित–गैर दलित में मकान खरीदा है यदि नहीं तो क्यो ?

4.4.2.4 कृषि भूमि और लीज बाजार

- क्या आपने कृषि भूमि लीज पर ली है ? कितनी और कोनसी किस्म की है ?
- क्या लीज पर ली गई भूमि नियम व शर्तों पर है फसल अंशदारी अथवा, स्थायी किराये पर अथवा अन्य शर्तों पर ?
- क्या गैर दलित, दलितों को लीज पर भूमि दे रहे हैं? यदि दे रहे है तो किन शर्तो पर?

4.4.2.5 कृषि सेवाओं में पहुँच

- क्या बीज खरीदने में कोई परेशानी आई ? आई है तो क्या ?
- क्या खाद आदि खरीदने में कोई परेशानी आई ? आई तो क्या ?
- निजी और सार्वजनिक सिंचाई उपक्रमों में कोई परेशानी आई है, आई तो क्या ?
- क्या कृषि यन्त्रों के उपयोग में कोई परेशानी आई, आई तो क्या ?
- क्या उच्च्व जातियों के मजदूर मिलते है ? और यदि मिलते है तो उनका व्यवहार कैसा है?

4.4.3 विवादित भूमियाँ

- कितनी भूमि विवादित है, भूमि पर कब्जा किसने किया है? व्यक्ति ने, समूह ने, राज्य द्वारा प्रायोजित या बाँध/रोड आदि योजनाओ से बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने या दलित की जमीन पर, दलित जाति का कम्पनी निदेशक बनकर जमीन अधिग्रहित की गई।

- भूमि हथियाने में अत्याचारी का किन–किन ने साथ दिया?
- बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा सरकार को भूमि का मुआवजा दिया गया या किसी अन्यत्र जगह भूमि दी गई, नौकरी दी गई, मुआवजा मिला कि नहीं, कितना मंजूर हुआ और कितना मिला ?
- किसी समूह द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया?
- सरकारी कार्यक्रमों में जमीन दी गईः– किसके नाम से, पट्टा दिया गया? कृषि योग्य भूमि मिली, पहले उस भूमि पर कब्जा किसका था?
- अतिक्रमण का पूरा विवरण : परिवार की स्थिति, आर्थिक स्तर, किस जाति का है? अतिक्रमी की किसने मदद की?
- अतिक्रमण आपकी उपस्थिति में किया गया या अनुपस्थिति में? कोई छूआछूत / उत्पीड़न / मारपीट / हिंसा / धमकी/ फिरौती / जुर्माना या अन्य घटना हुई क्या?
- क्या सरकार द्वारा किनकी भूमि अतिक्रमण की गई, दलित / गैरदलित और यदि की गई तो कितनी?
- क्या कम्पनी द्वारा भूमि क्यों अधिग्रहण की गई? बहुमंजिला बाजार हेतु, रिहायशी हेतु, फार्म हाउस हेतु?
- क्या भूमि पर जाति को लेकर हिंसा हुई?
- क्या आपने राजस्व नियमों की मदद ली?
- पुलिस की भूमिका का विस्तृत विवरण दें?
- राजस्व विभाग तथा पुलिश प्रशासन की क्या भूमिका रही?
- राजनैतिक दलों की क्या भूमिका रही?

4.4.4 राजस्व अधिकारी / विभाग से संबंधित प्रश्न

क्या राजस्व विभाग में कार्यवाही की गई? अधिकारी का क्या जवाब मिला? क्या और कब कार्यवाही की गई? कार्यवाही क्यों नहीं की गई? रिश्वत / बाहुबली / भेदभाव के कारण कार्यवाही नहीं / जाँच की गई? शिकायत दर्ज की गई? सुनकर क्या कार्यवाही की गई? क्या कार्यवाही की गई? अन्तरिम आदेश या स्थायी आदेश मिला क्या? क्या आदेशों की भोतिक तथा वास्तविक पालना हुई? क्या जमीन मिली?

4.4.5 विधिक कार्यवाही से संबंधित प्रश्न

- प्रारम्भ में मूल राजस्व वाद किसने किया? मूल वाद में क्या आदेश पारित हुआ?
- क्या अग्रिम अपील की गई? वकील कौन था / जाति का नाम, विधिक सहायता ली गई, कितना पैसा खर्च किया गया, रवैया कैसा रहा, अन्य मुकदमा भी दर्ज किया गया। केस का क्या हुआ ? पुलिस मदद मिली, अत्याचारियो ने स्थगन आदेश तो नहीं लिया।
- भू–बाजारः– खरीदी गई भूमि किससे और कब खरीदी कितने पैसे में, पट्टा मिला, कितनी भूमि, कितना पैसा, बाजार भाव से कम / फायदा हाथ में मिला, दलितों को भूमि बेचते समय क्या पैसा मिला, परेशानी हुई, जमीन का रुपया कम मिला या ज्यादा ?

4.4.6 जमीनों के प्रकार (सामान्य तौर पर)

1. पुश्तैनी भूमि
2. अतिक्रमण की गई भूमि

3. खरीदी गई भूमि
4. सरकारी भूमि
5. बगैर सीमाज्ञान की राजस्व/वन विभाग की भूमि
6. सार्वजनक भूमि
7. विवादित भूमि
8. सरकार द्वारा आवंटित की गई भूमि
9. कृषि/घर योग्य सार्वजनिक भूमि
10. सरकार द्वारा अधिग्रहण की गई परन्तु शान्ति जमाकर कृषि हेतु सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान करना।

4.4.7 फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट फॉरमेट

फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट

1. फैक्ट फाइंडिंग कोड
2. केस का शीर्षक
3. घटना का स्थान
4. फैक्ट फाइंडिंग की दिनांक
5. जाँच दल के सदस्यों के नाम व पद
6. फैक्ट फाइंडिंग का उद्देश्य
7. केस की पृष्ठभूमि व सारांश
8. पीड़ित से सम्बन्धित (गांव/शहर/कस्बा की) सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक पृष्ठभूमि
9. दस्तावेजों की सूची :–
    - जमाबन्दी की नकल
    - लगान की रसीद
    - जमीन का नक्शा
    - राजस्व अधिकारियों की विभिन्न रिपोर्ट
    - खसरा गिरदावरी की नकल
    - रिहायशी जमीन का पट्टा
    - विभिन्न प्रकार की राजस्व रसीदें

- अन्य जमीन (कृषि/रिहायशाी) सम्बन्धी दस्तावेज
- एफ.आई.आर. की कॉपी।
- मेडिकल व चोट रिपोर्ट की कॉपी।
- एम.एल.सी. रिपोर्ट की कॉपी।
- पंचनामा की कॉपी।
- पोस्टमार्टम की कॉपी।
- चार्जशीट की कॉपी।
- समाचार पत्र कटिंग की कॉपी।
- शिकायत की कॉपी (आयोग/पुलिस/प्रशासन)
- पीड़ित/घटना से सम्बंधित फोटो/वीडियो रिकॉर्डिंग।
- घटना स्थल का नक्शा।
- प्रकरण से सग्बन्धित अन्य कोई दस्तावेज।

10 भूमि का विवरण

क्रमांक	पुश्तैनी भूमि	भूमि की स्थिति	खरीदी गई भूमि की	स्थिति	सरकारी भूमि पर कब्जा बगैर पट्टा आदि	स्थिति	सरकार द्वारा आवंटित भूमि	स्थिति	बन्धक भूमि स्थिति
क्षेत्रफल बीघा में									
सिंचित									
असिंचित									

11 पीड़ित, गवाह, अत्याचारी तथा अधिकारियों के विस्तृत बयान

पीड़ित

पीड़ित 1.. नाम

बयान ....

पीड़ित 2.. नाम

बयान ....

गवाह

गवाह 1.. नाम

बयान ....

गवाह 2.. नाम

बयान ....

अत्याचारी

अत्याचारी 1.. नाम

बयान ....

अत्याचारी 2.. नाम

बयान ....

अधिकारी

अधिकारी 1.. नाम

बयान ....

अधिकारी 2.. नाम

बयान ....

12. पुलिस/प्रशासन की भूमिका
13. केस की वर्तमान स्थिति
14. निष्कर्ष
    a. बयानों के आधार पर
    b. विस्तृत पूछताछ के आधार पर
    c. साक्ष्य के आधार पर
    d. दस्तावेजों के आधार पर
    e. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियमों और मानवाधिकर कानूनों के आधार पर

15. सिफारिशें

- लघु कालीन
- दीर्घ कालीन

a. न्याय, मुआवजा और मानवाधिकार के प्रचार के लिए सिफारिश

b. क्षेत्र के प्रशासन, पुलिस विभाग, कानूनी मंच और अन्य मानवाधिकार आयोगों को सिफारिश

c. राज्य के प्रशासन, पुलिस विभाग, कानूनी मंच और अन्य मानवाधिकार आयोगों से सिफारिश

d. देश के प्रशासन कानूनी मंच और अन्य मानवाधिकार आयोगों को सिफारिश

जाँच दल के सदस्यों के नाम, पद, दिनांक व हस्ताक्षर

4.7 एडवोकेसी

4.7.1 परिभाषा

- एडवोकेसी उन लोगों को प्रभावित व प्रेरित करने की प्रक्रिया है जिनके पास सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक ताकत है ताकि वे उन नीतियों को बना, बदल व लागू कर सकें जिनसे अल्प सुविधा प्राप्त वर्गो की क्षमता बढ़े और राजनीतिक शक्ति और आर्थिक संसाधनों से उनके स्तर में सुधार आये।
- लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए किसी भी व्यवस्थित लोकतांत्रिक प्रयास व क्रिया को एडवोकेसी कहा जा सकता है। इसमें चुनाव, लॉबिंग (वोट या समर्थन मांगने की प्रक्रिया), जन आंदोलन, सविनय अवज्ञा समझौता व न्यायिक तरीका शामिल है।

4.7.2 उद्देश्य

- समाज में वंचित व शोषित लोगों के मुद्दों को उजागर करना
- नीतियों को बनाने, बदलने व लागू करने की प्रक्रिया को प्रभावित करना
- लोगों को समाज कल्याण से संबंधित नीतियों कार्यक्रमों व योजनाओं के बारे में जागरूक करना
- "लोक" केंद्रिय शासन प्रणाली विकासित करना व प्रशासन को जवाबदेही व पारदर्शी बनाना
- समाज में ज्यादा से ज्यादा एडवोकेसी करने वालों को तैयार करना
- सामाजिक शक्ति संरचना में बदलाव लाना

4.7.3 मूल तत्व

एडवोकेसी की शुरूआत लोगों को एकजुट होने के अवसर प्रदान करने से होती है। ऐसे में विभिन्न वर्गों और समुदायों के बीच विचार–विमर्श और चर्चा को प्रोत्साहित कर एक जनमत तैयार किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में सिर्फ मुद्दे ही नहीं उपजते है बल्कि उनसे निपटने के लिए जनता की दलील और तर्क भी उपजता है। इस तर्क को वापस जनता के बीच ले जाना चाहिये। इसमें संगठन, नेटवर्क, गठबंधन, मीडिया, मंत्री, दाता संस्थाएं इत्यादि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परन्तु इस बारे में रणनीति की आवश्यकता होती है।

ज्यादातर समय एडवोकेसी विभिन्न स्तरों पर एक साथ की जाती है। इसलिये यह जरूरी है कि आपको सिस्टम के बारे में पर्याप्त जानकारी हो। किसी भी सिस्टम को औपचारिकता के साथ–साथ अनऔपचारिक ढ़ंग भी हो सकता है। सिर्फ जानकारी मात्र से ही काम नहीं चलता बल्कि सिस्टम को प्रेरित व प्रभावित भी करना आना चाहिये। यह भी जानना जरूरी है कि आपकी दलील को निरस्त करने के लिए दूसरा पक्ष क्या कर सकता है ? वह सिस्टम को प्रभावित करने के लिए कौन से कदम उठा सकता है ? ऐसे में आप क्या करेगें ?

एडवोकेसी में अनिश्चितता हमेशा बनी रहती है। सिस्टम की सही जानकारी होने से अनिश्चितताओं को कम किया जा सकता है व ज्यादा तेजी से लक्ष्य तक पहुँचा जा सकता है। ध्यान रहे इस पूरी प्रक्रिया के दौरान हमेशा लोगों को सर्वोच्च दर्जे पर रखना चाहिये व जनता द्वारा तय किये गये एजेंडा के अनुसार ही कार्यक्रम तय करना चाहिए।

4.7.4 एडवोकेसी के सिद्धान्त

- सहभागिता
- प्रतिनिधित्व
- विश्वसनीयता
- जवाबदेही

दीर्घ–कालीन स्थिरता प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। जिनका प्रतिनिधित्व किया जा रहा है, उन्हें एडवोकेसी के हर चरण में शामिल करना जरूरी है, चाहे वह समस्या को चिहिन्त करता हो, उसका समाधान ढूँढना हो या फिर रणनीति तय करने की बात हो। यह समुदाय के क्षमता निर्माण व सशक्तिकरण में भी आवश्यक सिद्ध होता है। इससे उन्हें किसी बाहरी मदद पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

लोगों की सहभागिता सुनिश्चित कर आप अपनी प्रक्रिया को पारदर्शी बना सकते हैं। प्रक्रिया पारदर्शी होने के कारण जवाबदेही अपने आप सुनिश्चित हो जाती है। जवाबदेही का सीधा सम्बन्ध इस बात से है कि निर्णय कैसे लिये जा रहे है?, जो निर्णय लिये जा रहे हैं या कार्य कर रहे हैं वे किसके प्रति जवाबदेही हैं। जवाबदेही से विश्वसनीयता बढ़ती है, खासतौर से नीति निर्धारकों के बीच। एडवोकेसी लोगों व मुद्दों के प्रति दीर्घ–कालीन वचनबद्धता पर निर्भर करता है। लम्बे समय तक रिश्ता व वचनबद्धता ही विश्वसनीयता का आधार भी है। अगर आप विश्वसनीय है तो जब भी आप लोगों से कुछ कहेंगे, लोग आपकी बात सुनेंगे।

4.7.5 एडवोकेसी की आवश्यकता

किसी भी एडवोकेसी प्रयास को शुरू करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है लोगों का समर्थन। यह समर्थन तब प्राप्त होता है जब लोगों को आप पर विश्वास हो और आपकी कार्यक्षमता पर भरोसा हो। कार्यक्षमता विकसित करने का पहला कदम है जानकारियाँ एकत्र करना। एक एडवोकेसी संगठन के लिए मुख्य आवश्यकतायें इस प्रकार हैं:–

- मुद्दे के बारे में जानकारी
- सरकारी विभागों व उनके कार्यों का ज्ञान
- सूचना संग्रहण व नियोजन प्रणाली
- राजनीतिक संदर्भ की जानकारी
- आर्थिक व मानव संसाधनों की उपलब्धता
- सर्व सम्मति या जनमत
- विश्वसनीयता व भरोसा
- स्मार्ट उद्देश्य

4.7.6 एडवोकेसी के स्तर

एडवोकेसी के मुख्य रूप से चार स्तरों में होती है :–

- क्षेत्रीय स्तर या स्थानीय स्तर
- राज्यस्तरीय

- राष्ट्रस्तरीय
- अन्तर्राष्ट्रीय

कभी–कभी मुद्दे या विषय इस प्रकार के होते हैं कि अंतर्रास्ट्रीय स्तर पर सीधी एडवोकेसी करने के जरूरत पड़ सकती है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिनका सीधा संबंध पूरे विश्व से है। इनके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हस्तक्षेप करने की जरूरत पड़ती है।

4.7.6.1 क्षेत्रीय स्तर पर एडवोकेसीः विकास के सारे कार्यक्रम क्षेत्रीय स्तर पर ही लागू होते हैं। राज्य या केन्द द्वारा बनाए गए तमाम नीति, कानून, कार्यक्रम व योजनाऐं क्षेत्रीय स्तर पर ही लागू होती हैं। इनके उचित क्रियान्वयन की जिम्मेदारी क्षेत्रीय प्रशासन की होती है। विकास के अलावा आम लोगों से जुड़ी तमाम समस्याओं और असुविधाओं के निराकरण के लिए भी प्रशासन उत्तरदायी है। अन्य शब्दों में आम लोगों से जुड़े सभी मुद्दे जैसे विकास, कल्याण जन हितों व अधिकारों की रक्षा तथा क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने की सारी जिम्मेदारी क्षेत्रीय प्रशासन की होती है।

एडवोकेसी की शुरूआत आम तौर पर यहीं से होती है। एडवोकेसी संस्थाऐं इसी स्तर पर लोगों के साथ मिलकर उनके मुद्दों और समस्याओं को उजागर करती हैं। लोगों को क्या समस्याऐं हो रही है व उसका क्या समाधान है वह इसी स्तर पर पता चलता है।

4.7.6.2 राज्यस्तरीय एडवोकेसीः सामन्यतः राज्य कोई भी नीति, योजना या कानून बना पाने में सक्षम है। खासतौर पर किसी भी क्षेत्र में विकास हेतु राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण है। विकास और कल्याण से संबंधित सारी जवादेही राज्य की ही है जिसे वह विभिन्न योजनाऐं, नीति व कानून बना कर लागू करता हैं। नीतियों को जनहितों एवं अधिकारों के आधार पर बनाने और मौजूदा नीतियों में व्याप्त खामियों को दूर करने व इनकी सही तरीके से लागू करवाने के लिए राज्य स्तर पर एडवोकेसी की आवश्यकता होती है।

4.7.6.3 राष्ट्रस्तरीय एडवोकेसीः कई मुद्दे सीधे केन्द्र से सम्बन्धित होते हैं, उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर ही उठाना पड़ता है। अगर किसी समस्या से पूरा देश ग्रस्त है तो उसे राज्य स्तर पर उठाने से ज्यादा फायदा नहीं हो पाएगा। ऐसे में सिर्फ उसी राज्य में फर्क पड़ेगा व अन्य इलाकों में दोबारा उन्हीं प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। राष्ट्र स्तर पर की गई कार्यवाही से पूरे देश में एक साथ परिवर्तन ला सकते हैं। कई बार जब राज्य स्तर पर बात नहीं बनती है तो उस मुद्दे को राष्ट्रस्तर पर उठाना पड़ता है। अगर कोई कानून केन्द्र द्वारा बनाया गया है तो उसमें फेरबदल के लिए केन्द्र से ही सम्पर्क करना पड़ेगा। केन्द्रीय कानूनों को राज्य में लागू करना राज्य की संवैधानिक बाध्यता है जो नीतियां, योजनाऐं व कानून जन सामान्य के हितों को पूरा नहीं करती उनमें बदलाव लाने, व्याप्त खामियों को दूर करने, नई नीतियां व कानून बनवाने तथा लागू कराने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एडवोकेसी प्रयास करने की आवश्यकता होती है।

4.7.6.4 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एडवोकेसीः पिछले दो दशकों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व निवेश से संबंधित नियमों में भारी बदलाव आए हैं। विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, व विश्व बैंक द्वारा चलाई गई उदारीकरण, निजीकरण व अनियमन की नीतियों की लहर से बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को विश्व स्तर पर फैलने, सशक्त होने व प्रभावशाली होने का भरपूर मौका मिला। इन नीतियों ने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए विशाल सम्पत्ति पैदा की है। इन नीतियों को बनाने में अधिकतर अविकसित देशों की कोई सहभागिता नहीं होती।

ऐसे संदर्भ में जब ऐसी कम्पनियाँ करोड़ो– अरबों रूपये सिर्फ अपने मुनाफे को बढाने के लिए गठबंधन बनाने में खर्च कर रही हैं तो यह और भी मुश्किल और जरूरी हो जाता है कि इस एकतरफा विकास और बहुमुखी विनाश के खिलाफ आवाज उठायी जाए। ऐसे में हमारी रणनीति को उनसे ज्यादा शक्तिशाली, रचनात्मक और क्रियात्मक होना पड़ेगा ताकि हम विश्व स्तर पर इन नीतियों को प्रभावित कर सकें।

भाग–5

आर्थिक परिपेक्ष्य में महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाऐ

5.1. अनुसूचित जाति के लिए विशिष्ट संघटक योजना

5.2. विशेष केन्द्रीय सहायता

5.3. राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एंव विकास सहकारी निगम लिमिटेड

5.4. स्वच्छकारों एवं उनके आश्रितो की मुक्ति एवं उनके पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना

5.5. सम्बल ग्राम विकास योजना

5.1 अनुसूचित जाति के लिए विशिष्ट संघटक योजना

केन्द्र सरकार द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के "आर्थिक उत्थान" पर अधिक ध्यान दिया गया। क्योंकि गरीबी सभी समस्याओं की जड़ है अतः इसके तहत त्रिस्तरीय योजना बनाई गई। जिसमें अनुसूचित जाति उपघटक योजना, केन्द्रीय विशेष सहायता योजना तथा अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त विकास निगमों की स्थापना है।

इस योजना के तहत केन्द्र तथा राज्य सरकार, राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात में बजट में प्रावधान कर उनके आर्थिक विकास कार्यो की क्रियान्विति कर आर्थिक रूप से सबल बनाना है। इसके तहत अनुसूचित जातियों में इनकम जनरेशन के कार्यक्रम तथा उनके जीवन यापन के हेतु मुख्य आवश्यकताओं पर भी विकास कार्य किये जायेंगे जैसे घर बनाना, शिक्षा, कृषि, रोड़, छात्रवृति, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलना तथा स्वास्थ्य इत्यादि। इस योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को ही दिया जाना है तथा इस योजना का पैसा अन्य किसी मद मे ना तो स्थानान्तरण किया जा सकता और ना ही अन्य विकास कार्यो में खर्च किया जायेगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की आर्थिक सहायता कर उनके जीवन यापन के स्तर को ऊपर उठाना है।

अनुसूचित जातियों के समयबद्ध एवं सर्वांगीण विकास के लिए वर्ष 1979–80 से विशिष्ट संघठक योजना प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत विकास के सम्बन्धित विभागों द्वारा अपनी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के परिवारों के लाभान्वित करने के लिए राज्य आयोजना से लक्ष्य निर्धारित कर तदनुसार आवश्यक बजट राशि का प्रावधान किया जाता है। इस राशि से विभिन्न विभागों द्वारा अनुसूचित जाति के परिवार के लोगों के लिए योजनाऐं बनाकर आधारभूत सुविधाऐं उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति कल्याण से सम्बन्धित अन्य योजनाओं द्वारा लाभान्वित कर योजनान्तर्गत उत्पादक सम्पत्ति का सृजन किया जाना है, ताकि उक्त वर्ग के लक्षित परिवारों की आय में अभिवृद्धि सुनिश्चित की जा सके।

विशिष्ट संघटक योजनान्तर्गत चल रही विभिन्न योजनाओं की मॉनिटरिंग राज्य स्तर पर सम्बन्धित विभागाध्यक्षों से समाज कल्याण मंत्री महोदय की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय दिशा निर्देशन समिति द्वारा तथा जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा की जाती हैं संबन्धित विभाग द्वारा राज्य योजना मद में जिन योजनाओं में असुनसूचित जाति के विकास हेतु प्रवाह दर्शाया जाता हैं, उन योजनाओं के अन्तर्गत निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का आवंटन सम्बंधित विभाग द्वारा जिला अधिकारियों को किया जाता है। योजना के प्रारम्भ में जहां विशिष्ट संघटक योजना प्रवाह 2.57 प्रतिशत था, वह वर्ष 2004–05 तक बढ़कर 15.99 प्रतिशत (प्रोविजनल) हो गया था। वर्तमान में उक्त प्रवास राज्य की जनसंख्या में अनुसूचित जाति 17.16 प्रतिशत (वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर) जनसंख्या के अनुपात में रखा जाना है। उक्त प्रावधान को निर्धारित प्रतिशत (17.16 प्रतिशत) तक लाने हेतु सभी विभागों से विशिष्ट संघटक योजना हेतु मांग संख्या 51 के अन्तर्गत अलग से बजट उपशीर्ष 789 खुलवाने हेतु अनुरोध किया गया। इस परिप्रेक्ष्य में आवश्यक दिशा निर्देश सभी विकासीय विभागों को जारी कर दिये गये हैं तथा अलग से मांच संख्या 50 का निर्धारण वित्त विभाग द्वारा किया जा चुका है।

राजस्थान में इस योजना के तहत जिन गांवो में अनुसूचित जाति की 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या होगी उन ग्रामो को "सम्बल ग्राम" घोषित किया गया है।

5.2 विशेष केन्द्रीय सहायता

विशिष्ट संघटक योजना के अन्तर्गत आर्थिक विकास की योजनाओं के माध्यम से अनुसूचित जाति के परिवारों की आय में वृद्धि हेतु विशेष केन्दीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। यह राशि अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु उन योजनाओं के तहत व्यय की जाती है, जहां इनके लिए राज्य की वार्षिक योजनाओं में पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं हो पाती है।

5.3 राजस्थान अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त एंव विकास सहकारी निगम लिमिटेड

वर्ष 1991 जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 76.13 लाख है जो राज्य की आबादी का 17.29 प्रतिशत है। इनमें से अधिकांश लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उनके आर्थिक उत्थान हेतु 28 मार्च 1980 को राजस्थान अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गयी हैं जिसके नाम को 24.09.1933 को संशोधित कर राजस्थान अनूसूचित जाति, जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड किया गया।

उद्देश्य :–

- अनुसूचित जाति के लक्षित व्यक्तियों को आंशिक संसाधन उपलब्ध करवाकर उन्हें स्वावलम्बी बनाना।
- अनुसूचित जाति के लक्षित परिवारों के युवक–युवतियों को विभिन्न रोजगार हेतु दक्षता, शैक्षणिक एवं तकनीकी उन्नयन हेतु प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना।
- अनुसूचित जाति के लघु व सीमान्त कृषकों के कृषि विकास हेतु उन्नत कृषि यंत्र एवं सिचाई, सुविधायें उपलब्ध करना।
- अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का विकास करना।

लक्षित ग्रुप :

अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कम से कम 18 वर्ष के व्यक्ति जो राजस्थान के मूल निवासी हो, जो निगम की योजनओं से पूर्व लाभन्वित न हो एवं जिन पर किसी संस्था/निगम/सरकार का अवधिपार ऋण बकाया नहीं हो। निगम की योजनाओं से लाभ लेने के योग्य है। ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की आय 20,000/– रूपये व शहरी क्षेत्र में 21,400/– रूपये निर्धारित हैं।

अनुदान –

अनुदान सामान्यतः इकाई लागत का 50 प्रतिशत 10000/– रूपये जो भी कम हो, उपलब्ध कराया जाता है। किन्तु स्वच्छकार पुनर्वास योजना में यह अनुदान सीमा 10000/–रू. है।

निगम द्वारा संचालित योजनाऐं :–

पैकेज ऑफ प्रोग्राम : शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में लक्षित व्यक्तिों को विभिन्न व्यवसायों को करने हेतु अनुदान एंव बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

ऑटोरिक्शा योजना :– लक्षित व्यक्ति जिनके पास ऑटोरिक्शा का ड्राइविंग लाइसेन्स है, को ऑटोरिक्शा हेतु अनुदान एवं बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

व्यक्तिगत पम्पसेट योजना :– लक्षित व्यक्तियों में से लघु एवं सीमान्त कृषकों को अपने भूमि पर सिंचाई के साधन विकसित करने हेतु 5 से 10 अश्वशक्ति के पम्पसैट अनुदान एंव बैंक ऋण पर उपलब्ध कराये जाते हैं।

उन्नत गाय/भैंस योजना : लक्षित व्यक्तियों को डेयरी विकास हेतु उन्नत नस्ल की गाय/भैंस हेतु अनुदान व बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

कार्यशाला योजना : लक्षित व्यक्तियों में से शिल्पियों/बुनकरों को कार्य करने हेतु कार्यशाला निर्माण के लिए 10000/– रूपये का अनुदान उपलब्ध कराया जाता है ताकि वे स्वयं अपनी कार्यशाला में स्वयं का रोजगार चालू कर सकें।

कूप बोंरिंग ब्लास्टिंग योजना :– लक्षित व्यक्तियों में से कृषकों को उनके स्वयं कूप को गहरा कराने हेतु भू–जल विभाग के माध्यम से बोरिंग ब्लास्टिंग हेतु अनुदान अधिकतम 10000/– रू उपलब्ध कराया जाता है। मलबा आदि निकालने का कार्य स्वयं कृषक द्वारा किया जाता है।

कूप विद्युतीकरण योजना :– लक्षित कृषकों को कुओं पर विद्युतीकरण हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जाता है जो व्यय का 50 प्रतिशत या अधिकतम 10000/– रूपये होता है।

कुटीर ज्योति योजना लक्षित परिवार को राजस्थान राज्य विद्युत निगम के माध्यम से एक पाइंट (एक बल्ब) लगाया जाता है।

आधुनिक कृषि यंत्र योजना :– लक्षित वर्ग के लघु वर्ग के एवं सीमान्त कृषकों को आधुनिक कृषि यंत्र अनुदान पर उपलब्ध कराये जाते हैं।

राष्ट्रीय स्वच्छकार मुक्ति एवं पुनर्वास योजना : मानव मल ढोने की प्रथा को समाप्त करने हेतु स्वच्छकारों को इस कार्य से हटाकार अपनी पसन्द के व्यवसाय करने हेतु निगम के व्यय पर प्रशिक्षण एवं व्यवसाय हेतु 10000/– रू तक अनुदान (या इकाई लागत का 50 प्रतिशत जो भी कम हो) उपलब्ध कराया जाता है। शेष राशि मार्जिन मनी ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जाती है।

5.4 स्वच्छकारों एवं उनके आश्रितो की मुक्ति एवं उनके पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना :–

सफाई कर्मचारियों तथा उनके अश्रितों की मुक्ति एवं उनके पुनर्वास की राष्ट्रीय येाजना का उद्देश्य हाथ से मैला व कूड़ा उठाने के इनके मौजूदा घृणित तथा अमानवीय पैतृक धन्धे के मुक्त कराकर वैकल्पिक तथा सम्मानीय व्यवसाय में लगाया जाना है। यह योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना है। जिसके लिए राशि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय द्वारा राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति, वित्त एवं विकास सहकारी निगम को स्वच्छकारों के प्रशिक्षण एवं पुनर्वास कार्यक्रम हेतु उपलब्ध करवाई जाती है। स्वच्छकारों को निगम द्वारा उनके पंसद के व्यवसाय में 1 से 6 माह की अवधि तक का प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षणार्थियों को 350 रूपये प्रतिमाह वृत्तिका एवं 75 रूपये प्रतिमाह कच्चे माल हेतु उपलब्ध कराए जाते हैं तथा प्रशिक्षण समाप्ति पर 800 रूपये तक का टूल किट दिया जाता है।

योजनान्तर्गत स्वच्छकारों को उनके रूझान को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार की विशेष योजनाओं के अन्तर्गत चरणबद्ध तरीके से पुनर्वासित किया जाता है। योजना में इकाई लागत की अधिकतम सीमा प्रति लाभार्थी 50000/– रू. रखी गई है तथा प्रत्येक व्यक्ति को पृथक इकाई माना गया है। इकाई लागत का 50 प्रतिशत या 10000/– रू. अनुदान ईकाई लागत का 15 प्रतिशत या अधिकतम 7500/–रू निगम द्वारा 4 प्रतिश ब्याज दर पर सीमान्त राशि ऋण तथा शेष ऋण द्वारा उपलब्ध करावाए जाने का प्रावधान है। वर्ष 2000–2001 को स्वच्छकारों के पुनर्वास हेतु भारत सरकार के सहयोग से सेनैटरी मार्ट की नई योजना का शुभारम्भ किया गया है। इसी योजना के अन्तर्गत सेनेट्री मॉर्ट योजना प्रारम्भ की गयी है। जिसमें स्वच्छकारों के ग्रुप को प्रशिक्षण दिलाकर सेनेट्रीय मार्ट खुलवाया जाता है ताकि वे स्वीकृति परियोजना के अनुसार कार्य कर आय अर्जित कर सकें।

5.5 सम्बल ग्राम विकास योजना

सम्बल योजनान्तर्गत वर्ष 1997–98 में 149 सम्बल ग्रामों में सामुदायिक केन्द्रो के निर्माण के लिए विभाग द्वारा 1.50 लाख रू. प्रति सामुदायिक केन्द्र की दर से 223.50 लाख रू. की राशि उपलब्ध करवायी गयी थी। वर्ष 1998–1998 में राज्य के विभिन्न जिलों में 94 सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण हेतु 141.00 लाख रूप की राशि उपलब्ध करवाई गयी। प्राथमिकता उन ग्रामों को दी जा रही है, जहां इस प्रकार के भवन पहले से निर्मित नहीं है, एवं भवनों की तत्काल आवश्यकता हैं। वर्ष 1999–2000 में 10 लाख रू की राशि संशोधित प्रावधान में रखी गयी थी, जिसके तहत 10 ग्रमों में सामुदायिक भवनों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई थी। शेष राशि 5.00 लाख रूपये वर्ष 2000–2001 में उपलब्ध करवाई गयी थी। वर्ष 2001–2002 में राज्य के 31 जिलों में विशेष केन्द्रीय सहायतान्तर्गत 80 लाख रूपये से 50 सामुदायिक भवन निर्माण की स्वीकृति जारी कर दी गई थी। वित्तीय वर्ष 2002–2006 एवं 2003–2004 में सम्बल ग्रामों में सामुदायिक भवन निर्माण हेतु कोई स्वीकृति जारी नहीं की गयी। योजनान्तर्गत विभाग द्वारा वर्ष 2004–2005 में 80.00 लाख रू. का प्रावधान आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने हेतु रखा गया था। माह फरवरी 05 में कुल राशि रू. 60 लाख जिलों को आंवटित करने की कार्यवाही कर दी गई थी शेष राशि रू 20 लाख को राज्य के अभावग्रस्त सम्बल ग्रामों के तहत जिलों से प्राप्त प्रस्तावानुसार कार्य स्वीकृति किये जाकर संबंधित जिलों को राशि उपलब्ध कराई जाने का प्रस्ताव था। 2005–06 में इस योजना के अन्तर्गत 3 करोड़ रूपये प्रस्तावित थे।

भाग–6

बैंकिग योजनाऐं, भूमि तथा अन्य प्रकार के प्रपत्र

6.1 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और उससे संबद्ध नियमों द्वारा संचालित विभिन्न आर्थिक विकास की (बैंकिग) योजनाओं के प्रपत्र

- 6.1.1 सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम की मियादी ऋण योजना
- 6.1.2 अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम की ऋण योजना
- 6.1.3 विकलांग वित्त एवं विकास निगम की ऋण योजना
- 6.1.4 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की ऋण योजना
- 6.1.5 संबल ग्राम विकास योजना

6.2 भूमि तथा अन्य प्रकार के प्रपत्र

- 6.2.1 कृषि भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र
- 6.2.2 गलत तरीके से आवंटित हुई कृषि भूमि का निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र
- 6.2.3 अवैध बेदखली हेतु प्रार्थना पत्र
- 6.2.4 अवैध अन्तरण/उपपट्टे पर देने के कारण बेदखली का प्रार्थना पत्र
- 6.2.5 रास्तो के विवादों के निस्तारण हेतु प्रार्थना पत्र
- 6.2.6 अत्याचार में मृतक के परिवारजनों को मासिक पेंशन, भूमि एवं सरकारी नौकरी चाहने बाबत प्रार्थना पत्र
- 6.2.7 जानबूझकर कर्त्तव्यों की अवहेलना करने वाले लोक सेवकों के विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही के लिए प्रार्थना पत्र
- 6.2.8 सूचना मांगने के लिए आवेदन पत्र
- 6.2.9 विधिक सहायता चाहने बाबत प्रार्थना पत्र
- 6.2.10 प्रार्थना पत्रों के समर्थन में शपथ पत्र

6.1 बैंकिंग योजनायें

6.1.1. मियादी ऋण योजना

क्र.स.	योजना का नाम	सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम की मियादी ऋण योजना (NSKFDC)
1.	योजना प्रारम्भ किये जाने का वित्त वर्ष	1999–2000
2.	योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता	• लाभार्थी स्वच्छकार/सफाई कर्मचारी या उस पर आश्रित होना चाहिये। • लाभान्वित हेतु कोई आय सीमा निर्धारित नहीं है, किन्तु निम्नानुसार चयन हेतु प्राथमिकता दी जायेगी– • वहं स्वच्छकार जिसकी आय दोहरी गरीबी रेखा सीमा से कम हो। • लक्षित समूह की महिला • लक्षित समूह में निःशक्त व्यक्ति हो। • परियोजना के वित्त को आंकलित करते समय परियोजना की वित्तिय क्षमता आयः अर्जित क्षमता को ध्यान में रखा जायेगा।
3.	योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक द्वारा कहां आवेदन किया जायेगा	जिला के परियोजना प्रबन्धक अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम कार्यालय में निर्धारित आवेदन पत्र में प्रस्तुत किया जायेगा।
4.	योजना से मिलने वाले वित्तिय लाभ/सुविधाओं का विवरण	परियोजना में स्वीकृत मियाद ऋण राशि में अधिकतम पचास हजार रूपये अनुदान राशि से लाभान्वित कराया जायेगा।
5.	आवेदन की तिथि से पात्र व्यक्ति को आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध हो जायेगी	राष्ट्रीय निगम से मियादी ऋण राशि प्राप्त होने पर परियोजना प्रबंधक के माध्यम से आशार्थी को शीघ्र राशि उपलब्ध कराई जाती है
6.	पात्र होने के बावजूद यदि निर्धारित समय से आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होती है, तो आवेदक को उस पर अग्रिम कार्यवाही के लिए सलाह	संबंधित जिले में परियोजना प्रबन्धक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम से सम्पर्क किया जा सकता है।
7.	आवेदन पत्र	सम्बन्धित जिले के अनु. जाति/जनजाति वित्त एवं विकास निगम कार्यालय में उपलब्ध हैं।

6.1.2 मियादी ऋण योजना

क्र.स.	योजना का नाम	अनु. जनजाति वित्त एवं विकास निगम की ऋण योजना (NSTFDC)
1	योजना प्रारम्भ किये जाने का वित्तिय वर्ष	2001–2002
2	योजना का लाभ प्राप्त करनें की पात्रता	• लाभार्थी अनुसूचित जनजाति वर्ग का होना चाहिये। • लाभान्वित की वार्षिक आय, गरीबी रेखा के दोगुनी सीमा से कम होनी चाहिये, जो ग्रामीण क्षेत्र में 40,000 रूपये तथा शहरी क्षेत्र में 55,000 रूपये वार्षिक है। • लाभार्थी की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये। • कार्यरत सहकारी समिति, सहभागिता फर्म भी आर्थिक गतिविधियों हेतु पात्र है।
3	योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक द्वारा कहां आवेदन किया जायेगा।	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित एवं विकास निगम कार्यालय में आवेदन किया जायेगा।
4	योजना से मिलने वाले वित्तिय लाभ/सुविधाओं का विवरण।	बी.पी.एल. परिवार को योजना इकाई का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 10,000 हजार रूपये अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
5	आवेदन की तिथि से पात्र व्यक्ति को आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध हो जायेगी	राष्ट्रीय निगम से मियादी ऋण राशि प्राप्त होने पर परियोजना प्रबंधक के माध्यम से आशार्थी को शीघ्र राशि उपलब्ध कराई जाती हैं।
6	पात्र होने के बावजूद यदि निर्धारित समय से आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होती है, तो आवेदक को उस पर अग्रिम कार्यवाही के लिए सलाह	संबंधित जिले में परियोजना प्रबन्धक, अनु. जाति वित्त एवं विकास निगम से सम्पर्क किया जा सकता है।
7	आवेदन पत्र	सम्बन्धित जिले के परियोजना प्रबन्धक अनु.जाति/अनु. जनजाति वित्त एवं विकास निगम कार्यालय में उपलब्ध है।

6.1.3 मियादी ऋण योजना

क्र.स.	योजना का नाम	विकलांग वित्त एवं विकास निगम की ऋण योजना (NHFDC)
1	योजना प्रारम्भ किये जाने का वित्तिय वर्ष	1999–2000
2	योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता	• लाभार्थी शारीरिक रूप से 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग हो। • लाभार्थी की उम्र 18 से 55 वर्ष हो। • लाभार्थी की वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में एक लाख रूपये तथा ग्रामीण क्षेत्र में 80 हजार रूपये से कम होनी चाहिये।
3	योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक द्वारा कहां आवेदन किया जायेगा।	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम कार्यालय में आवेदन किया जायेगा।
4	योजना से मिलने वाले वित्तिय लाभ/सुविधाओं का विवरण।	विकलांग व्यक्ति परियोजना का चयन स्वयं कर सकता है। वह अपनी स्वेच्छानुसार किसी भी आय जनित परियोजना के लिए आवेदन कर ऋण प्राप्त कर सकता है।
5	पात्र होने के बावजूद यदि निर्धारित समय से आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होती है, तो आवेदक को उस पर अग्रिम कार्यवाही के लिए सलाह	संबंधित जिले में परियोजना प्रबन्धक, अनु. जाति वित्त एवं विकास निगम से सम्पर्क किया जा सकता है।
6	आवेदन पत्र	सम्बन्धित जिले मे प्रबन्धक अनु.जाति/अनु. जनजाति वित्त एवं विकास निगम कार्यालय में उपलब्ध हैं।

6.1.4 मियादी ऋण योजना

क्र.स.	योजना का नाम	अनु. जाति वित्त एवं विकास निगम की ऋण योजना (NHFDC)
1.	योजना प्रारम्भ किये जाने का वित्तिय वर्ष	1992–1993
2.	योजना का लाभ प्राप्त करनें की पात्रता	• लाभार्थी अनुसूचित जाति वर्ग का होना चाहिये। • लाभान्वित की वार्षिक आय, गरीबी रेखा के दोगुनी सीमा से कम होनी चाहिये, जो ग्रामीण क्षेत्र में 40,000 रूपये तथा शहरी क्षेत्र में 55,000 रूपये वार्षिक हैं। • लाभार्थी की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये। • कार्यरत सहकारी समिति, सहभागी फर्म भी आर्थिक गतिविधी हेतु पात्र हैं।
3.	योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक द्वारा कहां आवेदन किया जायेगा।	सम्बन्धित जिले के परियोजना प्रबन्धक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कार्यालय में आवेदन किया जायेगा।
4.	योजना से मिलने वाले वित्तिय लाभ/सुविधाओं का विवरण।	गरीब बी.पी.एल. परिवार को योजना इकाई का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 10,000 हजार रूपये अनुदान एवं स्वीकृत परियोजना अनुसार मियादी ऋण राशि उपलब्ध कराई जायेगी।
5.	आवेदन की तिथि से पात्र व्यक्ति को आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध हो जायेगी	राष्ट्रीय निगम से मियादी ऋण राशि प्राप्त होनें पर परियोजना प्रबंधक के माध्यम से आशार्थी को शीघ्र राशि उपलब्ध कराई जाती हैं।
6.	पात्र होनें के बावजूद यदि निर्धारित समय से आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होती है, तो आवेदक को उस पर अग्रिम कार्यवाही के लिए सलाह	संबंधित जिले में परियोजना प्रबन्धक, अनु. जाति वित्त एवं विकास निगम से सम्पर्क किया जा सकता है।
7.	आवेदन पत्र	सम्बन्धित जिले के परियोजना प्रबन्धक अनु.जाति/अनु. जनजाति वित्त एवं विकास निगम कार्यालय में उपलब्ध हैं।

6.1.5 सम्बल ग्राम विकास योजना

क्र.स.	योजना का नाम	संबल ग्राम विकास योजना
1.	योजना प्रारम्भ किये जाने का वित्तिय वर्ष	वर्ष 1997–98
2.	योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता	• वह ग्राम जहाँ अनुसूचित जाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या के अनुपात में 50 प्रतिशत या उससे अधिक है।
3.	योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक द्वारा कहां आवेदन किया जायेगा।	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का जिला परियोजना प्रबंधक कार्यस्थल/स्तरीय कार्यालय
4.	योजना से मिलने वाले वित्तिय लाभ/सुविधाओं का विवरण।	एक वर्ष में प्रत्येक ग्राम के लिए अधिकतम 5.00 लाख रूपये। (बजट प्रावधान अनुसार)
5.	आवेदन की तिथि से पात्र व्यक्ति को आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध हो जायेगी	प्रत्येक ग्राम के लिए ग्राम पंचायत के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर स्वीकृत कार्य के लिए आवश्यक राशि बजट प्रावधान उपलब्ध होने पर प्रदान कर दी जाती है। जिला स्तर से कार्यकारी एजेन्सी को नियमानुसार राशि उपलब्ध कराई जाती है
6.	यदि निर्धारित समय में पात्र होने के बावजूद आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होती है, तो आवेदक को उस पर अग्रिम कार्यवाही के लिए सलाह	जिले में परियोजना प्रबन्धक, अनु. जाति/जनजाति वित्त एवं विकास निगम से सम्पर्क करें।
7.	आवेदन पत्र	ग्राम का सरपंच योजना का प्रस्ताव मय तकमीना कनिष्ठ अभियंता/सहायक अभियंता संबंधित विभाग से तैयार कर परियोजना प्रबंधक अनु. जाति निगम जिला परिषद् के मार्फत आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को प्रस्तुत करेगा।

6.2 भूमि तथा अन्य प्रकार के प्रपत्र

प्रपत्र संख्या 1

कृषि भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र
(अन्तर्गत धारा 101 भू–राजस्व अधिनियम)
(राजस्थान भू–राजस्व नियम 1970 नियम (8))

सेवामें,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी

....

श्रीमान,

मैं ....पुत्र श्री .... निवासी .... तहसील .... जिला ....व्यवसाय.............. बयान करता हूँ कि:–

यह कि मैं राजस्थान भूराजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत भूमिहीन कृषक हूँ।

1. यह कि मेरे पास किसी प्रकार की कृषि भूमि नहीं है और न ही मेरे परिवार के सदस्यों के नाम पर है। अथवा

यदि मेरे कब्जे में निम्न भूमि है:–

गावं का नाम जहां का निवासी हो।	खसरा नं. 2	क्षेत्रफल 3	मिट्टी का वर्गीकरण 4	लगान

2. यह कि मुझे व्यक्तिगत कृषि प्रयोजनार्थ भूमि प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार धारा 101 (4) भू राजस्व अधिनियम 1956 तथा नियम 11 के तहत आवंटित किया जाना लाजमी है।

अत: कृपया कर मुझे निम्न जमीन में से अथवा गैर काबिज सरकारी जमीन में से भूमि आवंटित की जाये।

भूमि की किस्म	खसरा नं.	मिट्टी का वर्गीकरण	सिंचिंत/असिंचित	लगान

3. यह कि आवंटन के आवेदन पत्र राजस्थान कास्तकार अधिनियम 1955, भूराजस्व अधिनियम 1956 एवं राजस्थान भूराजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमियों का आवंटन) नियम 1970 के शर्तो एवं प्रावधनों के अनुरूप है।

स्थान .... प्रार्थी

दिनांक .... आवेदक का नाम/अंगूठा/ हस्ताक्षर

मैं यह सत्यापन करता हूँ कि प्रार्थना पत्र को पैरा नं. 1 लगायत 4 मेरे ज्ञान में सही है। पैरा सं. 1 लगायत 4 मेरे विश्वास में सही है तथा उक्त बयान में कोई भी तथ्य नहीं छिपाया गया है।

गवाह का नाम तथा हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

अंगूठा/ हस्ताक्षर

प्रपत्र संख्या 2

गलत तरीके से कृषि भूमि आवंटन का निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र

न्यायालय समक्ष जिला कलेक्टर

.... जिला राजस्थान

वाद संख्या 2008

प्रार्थी का नाम.................................... पिता का नाम .... उम्र.............. जाति....................... निवासी.........................

....

कृषि भूमि आवंटन को निरस्त करने बाबत् नियम 14 (4) अन्तर्गत राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970

महोदय,

1. यह कि प्रार्थी का पूरा नाम व पता
2. यह कि ग्राम ....में दलित भूमिहीन को कृषि भूमि आवंटित न की जाकर दीगर लोगों को जो भूमिहीन नहीं है और बड़े पैमाने पर आवंटन हुये हैं, जिसमें राजस्व ऐजेन्सी की मिली भगत रही है।
3. यह कि कृषि भूमि आवंटन नियम 14 (4) के तहत कोई भी व्यक्ति गलत, फर्जी एवं कपटपूर्व आवंटन के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु–अधिकृत है, जिसके लिए कोई मियाद अवधि भी निर्धारित नहीं है।
4. यह है कि मौजूदा आवंटी अप्रार्थीगण को ग्राम.............तहसील .... जिला ....में कृषि भूमि खसरा न. ....रकबा . ... को आवंटन उपखण्ड अधिकारी एवं आवंटन कमेटी द्वारा आवंटित किया गया है।
5. यह कि रिपोर्ट पटवारी में अप्रार्थीगण को भूमिहीन बता रखा है और तथ्यों को जानबूझकर छिपाया गया है तथा भूमि आवंटन में प्राथमिकताओं को भी नकारा गया है। राजस्व अधिकारियों ने बिना न्यायिक प्रक्रिया अपनाऐ एवं नियमों का पालन किये बिना, राजस्व रिकॉर्ड देखे, गलत आवंटन कर दिया है जो विधि विरूद्ध है।

अतः निवेदन है कि उक्त आवंटन जो तथ्यों को छिपाकर कपटपूर्वक ढंग से किया गया है एवं कानून के विरूद्ध है, जिसे न्यायहित में निरस्त किया जाये एवं निर्देश जारी किये जावे कि विवादित भूमि अनुसूचित जाति के भूमिहीनों को नियमानुसार आवंटित की जाये।

प्रार्थी

....

....

संलग्न दस्तावेज :–

1. नकल आवंटन आदेश
2. जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि

प्रपत्र संख्या 3

अवैध बेदखली हेतु प्रार्थना पत्र

समक्ष न्यायालय तहसीलदार ....जिला ....

वादपत्र संख्या .... / 2008

प्रार्थी का नाम व पता

प्रार्थी / वादी

बनाम

अप्रार्थी का नाम व पता

प्रतिवादी

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा 175 अथवा 183 बी राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955</u>

महोदय,

वादीगण अपना वादपत्र निम्न प्रकार पेश करते है :–

1. यह कि प्रार्थी अनुसूचित जाति को व्यक्ति है तथा ग्राम ....का स्थाई निवासी है
2. यह कि विवादग्रस्त भूमि हाल खसरा नम्बर ....किता.....एवं ......कुल मिलाकर कुल रकबा ....बीघा,.......बिस्वा कृषि भूमि जो कि वाके ग्राम ....तह, ...जिला................में स्थित है। जो वादी के पिता एवं उनके पुत्रान की हकशुदा खातेदारी की भूमि है। जैसा कि सम्वतः .... से ....की जमाबंदी की जमाबंदी के इन्द्राज से स्पष्ट है।
3. यह कि उपरोक्त विवादित कृषि भूमि पर अप्रार्थी ने अनाधिकृत रूप से जबरन प्रवेशकर प्रार्थी की जमीन पर दिनांक .... को कब्जा कर लिया है/बुवाई कर दी है/पत्थर डाल दिये हैं।
4. यह कि प्रार्थना पत्र नियत अवधि व नियत न्याय शुल्क पर माननीय न्यायालय, में प्रेषित है तथा माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में है।
5. यह कि अन्य उज्रात वर वक्त बहस श्रीमान जी के समक्ष मौखिक निवेदन किये जायेगें।

अनुदोष/प्रार्थना

अतः प्रार्थी की भूमि पर से अप्रार्थी को अविलम्ब बेदखल कर प्रार्थी की हकशुदा भूमि पर भौतिक कब्जा सम्भलवाया जाये तथा अप्रार्थी से हर्जा–खर्चा दिलवाया जाये एवं अन्य अनुतोष माननीय न्यायालय जो प्रार्थी के हित में उचित समझे प्रदान किया जाये।

स्थान : प्रार्थी का नाम व पता

दिनांक : हस्ताक्षर

प्रपत्र संख्या 4

अवैध अन्तरण/उपपट्टे पर देने के कारण बेदखली का प्रार्थना पत्र

समक्ष न्यायालय तहसीलदार

तहसील .... जिला.. राजस्थान

वाद संख्या 2008

....पुत्र श्री .... उम्र .... जाति...............निवासी................

प्रार्थी

बनाम

....पुत्र श्री .... उम्र .... जाति.............निवासी................

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत आसमियों की बेदखली

महोदय,

प्रार्थी प्रार्थना पत्र आपकी सेवा में निम्न प्रकार से प्रस्तुत हैः–

1 यह कि प्रार्थी .... ग्राम का स्थायी निवासी है।

2 यह कि प्रार्थी ने अप्रार्थी को अपनी हकशुदा भूमि हाल खसरा नम्बर .... किता .....एवं.........कुल मिलाकर कुल रकबा ....बीघा, ...बिस्वा कृषि भूमि उपपट्टे पर दे दी है। जो कि वाके ग्राम ....तह, ...जिला ....में स्थित है।

3 यह कि उपरोक्त विवादित भूमि पर अप्रार्थी को केवल दो वर्ष के लिए उप पट्टे पर दी गई थी परन्तु अब अप्रार्थी की नियत में खोट आ गया है और विवादित भूमि पर कब्जा बरकरार रखे हुए है।

4 यह कि पट्टे की शर्तानुसार अप्रार्थी को दो वर्ष पश्चात प्रार्थी को भौतिक कब्जा संभलवाना जरूरी था। जैसा कि उप पट्टे के दस्तावेज में दर्शित हैं। इससे यह भी स्पष्ट हो गया है कि अप्रार्थी प्रार्थी की हकशुदा भूमि पर अनाधिकृत रूप से प्रवेशकर दिनांक .... बतौर अतिक्रमी काबिज है।

5 यह कि प्रार्थना पत्र नियत अवधि व नियत न्याय शुल्क पर माननीय न्यायालय में प्रेषित है एवं माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में पुष्ट है।

6 यह कि अन्य उज्रात वर वक्त बहस श्रीमान जी के समक्ष मौखिक निवेदन किये जायेगें।

अनुदोष / प्रार्थना

अतः प्रार्थी की भूमि पर से अप्रार्थी को अविलम्ब बेदखल कर प्रार्थी की हकशुदा भूमि पर भौतिक कब्जा सम्भलवाया जाये तथा अप्रार्थी से हर्जा–खर्चा दिलवाया जाये एवं अन्य अनुतोष माननीय न्यायालय जो प्रार्थी के हित में उचित समझे प्रदान किया जाये।

स्थान :– महुवा प्रार्थी का नाम व पता

दिनांक : 15.5.2008 हस्ताक्षर

प्रपत्र संख्या 5

रास्तो के विवादों का निस्तारण हेतु प्रार्थना पत्र

समक्ष न्यायालय तहसीलदार

तहसील.. जिला .... राजस्थान

..................................पिता श्री ....उम्र .... जाति .... निवासी ....

प्रार्थी

बनाम

..................................पिता श्री ....उम्र .... जाति .... निवासी ....

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रास्ता खुलवाने बाबत अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

महोदय,

प्रार्थी अपना प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से पेश करता है:–

1 यह कि मैं .... पिता का नाम .... उम्र .... जाति .... वाके ग्राम को निवासी हूँ, जो कि ग्राम पंचायत .... के अन्तर्गत आता है।

2 यह कि अप्रार्थी ने वाके ग्राम स्थित खसरा न. .... रकबा .... पर नाजाइज रूप से कब्जा कर लिया है, जबकि यह एक सार्वजनिक / परम्परागत रास्ता है और.............. वर्षो से मैं इस रास्ते का उपयोग कर रहा हूँ। अप्रार्थी द्वारा दिनांक .... से सार्वजनिक / परम्परागत रास्ता पर पत्थर डालकर रास्ते को सम्पूर्ण रुप से अवरूद्ध कर दिया है जिसे मेरा व मेरे परिवार को आने–जाने का रास्ता बिल्कुल बन्द हो गया है जो कि विधि विरूद्ध है।

3 यह कि सार्वजनिक रास्तो को अवरूद्ध करने के पश्चात् दिनांक ....को रास्ता खुलवाने हेतु एक प्रार्थना पत्र भी ग्राम पंचायत .... के समक्ष पेश किया है परन्तु 45 दिनों की अवधि समाप्त हो गई है और ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय पारित नहीं किया गया है।

4 यह कि प्रार्थना पत्र मियाद अवधि है

5 यह कि प्रकरण माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है।

अतः प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि अप्रार्थी द्वारा अवरूद्ध किया गया सार्वजनिक/परम्परागत रास्ते से पत्थर आदि हटवायें जाकर रास्ता खुल वाया जावें एवं अन्य अनुतोष माननीय न्यायालय जो प्रार्थी के हित में उचित समझे प्रदान किया जाये।

प्रार्थी

....

....

प्रपत्र संख्या 6

अत्याचार में मृतक परिवारजनों को मासिक पेंशन, भूमि एवं सरकारी नौकरी बाबत प्रार्थना पत्र

समक्ष न्यायालय अनुसूचित जाति/जनजाति विशिष्ट सेशन न्यायालय .... जिला, राजस्थान

प्रार्थना पत्र संख्या .... 2008 अन्तर्गत प्रकरण संख्या........../2008

राज्य

बनाम

अभियुक्त का नाम ....पुत्र श्री .... निवासी ....

अंतर्गत धारा ....

थाना ....

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 12 (4) , अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, नियम 1995

महोदय

प्रार्थी अपना प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से पेश करता है कि :–

1. यह कि उपरोक्त प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. .... दिनांक ....को दर्ज की गई और अब मामले में आरोपपत्र दाखिल हो गया है और प्रकरण मामनीय न्यायालय में विचाराधीन है और हाजिरी/अभियोग तय करने/गवाही /जिरह/बसह के लिए .... की तारीख तय की गई है (केस किस स्तर पर है, यह बताया जाना चाहिए)
2. केस का विवरण इस प्रकार है :–

(क)आवेदक का नाम/स्थान/पता और आजीविका का साधन

....

(ख)अभियुक्त/अभियुक्तों का नाम/पता और उसके/उनके आजीविका के साधन

....

(ग) आवेदक के साथ हुए अत्याचार का विस्तृत विवरण

....

(ड़) घटना के तुरन्त बाद से आवेदक/उसके परिवार–जनों द्वारा झेली जा रही मुसीबतों का विवरण

....

(च) केस से जुड़े अन्य प्रासंगिक तथ्य

....

3. यह कि आवेदक विधवा है, बहुत गरीब है और .... रूपये रोजना की मामूली आमदनी से अपना व अपने परिवार का गुजारा चला रही है। प्रार्थीया बिना वित्तीय सहायता के अपने मामले को अदालत में जारी नहीं रख सकती तथा उसके लिए अपने छोटे बच्चों की देखभाल भी करना कठिन है। इसके अलावा आवेदक पर अपनी विवाह योग्य पुत्री/पुत्रियों की भी जिम्मेदारी है।
4. निवेदन है कि आवेदक ओर उसके परिजनों को कानून के अनुसार नकद और खाद्य सहायता दी जा चुकी है/अब तक नहीं मिली है।
5. यह कि प्रार्थना पत्र नियत अवधि व नियत न्याय शुल्क पर माननीय न्यायालय, श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में प्रस्तुत है।
6. यह कि अन्य उज्रात वर वक्त बहस श्रीमान जी के समक्ष मौखिक निवेदन किये जायेगें।

प्रार्थना

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया को विधिनुसार निम्न सहायता उपलब्ध कराई जाये :–

1. प्रार्थीया मृतक की विधवा को एक हजार रूपये मासिक पेंशन दिलाई जाए या
2. उसके परिवार के एक सदस्य को सरकारी रोजगार दिया जाए या
3. आवेदक/विधवा को कृषि योग्य 5 बीघा भूमि दिया जाए
4. अन्य कोई अनुतोष उपर्युक्त परिस्थितियों में माननीय न्यायालय जो भी अन्य आदेश उचित समझे, पारित करे।

स्थान : आवेदक/प्रार्थी

दिनांक :

जरिये अधिवक्ता ....

(अधिवक्ता का नाम व पता)

प्रपत्र संख्या 7

जानबूझकर कर्त्तव्यों की अवहेलना करने वाले लोक सेवकों के विरूद्ध कार्यवाही के लिए प्रार्थना पत्र

समक्ष .... अनुसूचित जाति/जनजाति विशेष न्यायालय (जिला .... राज्य राजस्थान)

आपराधिक प्रकरण संख्या 2008

प्रार्थी का नाम व पता

बनाम

अभियुक्त का नाम

पुत्र श्री .... प्राथमिकी सं.

निवासी .... धारा .... के अंतर्गत

थाना ....

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 4, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989

1. यह कि शिकायतकर्ता ग्राम .... का अनुसुचित जाति का गरीब व्यक्ति है जो कि मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है।
2. यह कि दिनांक ..... को प्रार्थी अपनी भूमि पर कार्य कर रहा था तभी उसी गांव के प्रभावशाली जाति के .... व्यक्तियों ने एक राय होकर षड़यंन्त्र रचकर धारदार हथियारों से लैश होकर हमला कर दिया। जिसमें मेरे तथा परिवार की महिलाओं (नाम सहित ....) के शरीर पर चोटें (पूर्ण विवरण) आई। जिसके कारण .... को अस्पताल में चिकित्सा उपचार हेतु .... दिन रहना पड़ा (विस्तृत विवरण सहित)।
3. यह कि मैं जब दिनांक .... को उपरोक्त घटना की शिकायत लेकर पुलिस थाना .... जिला में पहुँचा तो तत्कालीन थानाधिकारी ने मेरी प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं लिखी। (विस्तृत विवरण सहित)
4. यह कि तत्कालीन थानाधिकारी ने ना तो रिपोर्ट लिखी और ना ही पीड़ित को चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाने हेतु चिकित्सालय ले जाया गया। यह कृत्य यह दर्शाता है कि तत्कालीन थानाधिकारी ने जानबूझकर अपने पदीय कर्त्तव्यों की घोर अवहेलना की है।
5. यह कि प्रार्थना पत्र नियत अवधि व नियत न्याय शुल्क पर माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में प्रस्तुत है।
6. यह कि अन्य उज्रात वर वक्त बहस श्रीमान जी के समक्ष मौखिक निवेदन किये जायेगें।

प्रार्थना

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि :–

1 उपरोक्त पुलिस अधिकारी/यों के विरूद्ध अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 4 के तहत आपराधिक कठोर कार्यवाही कर दण्डित किया जावे।

2. उपर्युक्त परिस्थितियों में माननीय न्यायालय जो भी अन्य आदेश उचित समझे पारित फरमावे।

स्थान : आवेदक/प्रार्थी

दिनांक :

जरिये अधिवक्ता......................................

(अधिवक्ता का नाम व पता)

प्रपत्र संख्या 8

सूचना के लिए आवेदन पत्र

(सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–6(1) के तहत)

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी/सहयाक लोक सूचना अधिकारी

(विभाग/कार्यालय का नाम, पता जहां से सूचना मांगी जा रही है)

(अ) आवेदक का नाम...

(ब) पता ....

(स) चाही गई जानकारी की विवरण ....

(I) चाही गई सूचना की विषय–वस्तु..

(II) सूचना जिस कालावधि से संबंधित है–माह तथा वर्ष ....

(III) जानकारी का ब्यौरा ....

(IV) जानकारी कैसे प्राप्त करना चाहेंगे ? स्वयं अथवा डाक द्वारा
(डाक शुल्क अतिरिक्त शुल्क के साथ संदेय होगा)

(V) अगर डाक द्वारा चाहते हैं तो किसी एक को चिन्हित करें।
(सामान्य, रजिस्टर्ड, स्पीड पोस्ट)

(द) क्या आवेदक गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवार का है ....
(अगर है तो सबूत संलग्न करें)

(य) पोस्टल ऑर्डर संख्या ....

(आवेदक के हस्ताक्षर)

स्थान ....

तिथि ....

प्रपत्र संख्या 9

विधिक सहायता चाहने बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत

सेवा में,

सदस्य सचिव

.... विधिक सहायता समिति

.... न्यायालय ....

(1.) प्रार्थी का नियम .... पिता/पति का नाम .... उम्र .... निवासी .... तथा .... तक शिक्षा ली है तथा मैं पेशे से .... हूँ।

(2.) यह कि मैं एकल/विवाहित/तलाक शुदा/अनु. जाति/जनजाति .... आदि का सदस्य हूँ। मेरे परिवार में कुल .... सदस्य है, तथा परिवार के ऊपर अन्य कोई वित्तीय भार .... भी है; मेरे परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय .... रुपये है तथा आमदनी का अन्य कोई स्रोत नहीं हैं।
(जाति तथा अन्य सम्बंधित प्रमाण पत्र संलग्न किया जायें)

(3.) यह कि नीचे मेरी तथा मेरी परिवार की चल व अचल सम्पत्ति का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :

....

....

(4.) क्या जिसके सम्बन्ध में विधिक सहायता और सलाह चाही गई है पूर्व में .... न्यायालय में दाखिल किया गया है? यदि हाँ, तो परिणाम क्या रहा?..

(5.) यदि किसी विचारण/अपीलीय न्यायालय का निर्णय पारित किया गया है तो संलग्न किया जाये। मैं, अपराधिक/दीवानी/राजस्व प्रकरण में वादी/प्रतिवादी हूं। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि................। इस प्रकरण में अधिवकता की राय ली गई वह निम्न प्रकार है...............। अधिवकता द्वारा दी गई विशिष्टियॉ और उसकी राय सत्यापित की जाती है और उपरोक्त दी गई सूचना सत्य व सही है और यदि असत्य पाई जाये तो विधिनुसार प्रदान योग्यता के प्रमाण पत्र को रद्द करने की समिति को स्वतन्त्रता होगी।

दिनांक..............

स्थान.............. हस्ताक्षर

नाम व पता

(नोटः प्रार्थना पत्र के साथ विधिक सहायता के लिए शपथ पत्र भी पेश किया जाये।)

प्रपत्र संख्या 10

प्रार्थना पत्रों के समर्थन में शपथ पत्र

समक्ष न्यायालय तहसीलदार .... जिला ....

वादपत्र संख्या .... / 2008
प्रार्थी का नाम .... पिता का नाम .... उम्र .... जाति .... निवासी ....

प्रार्थी / वादी

बनाम

प्रतिवादी का नाम .... पिता का नाम .... उम्र .... जाति .... निवासी ....

प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र

मैं ....पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री ....उम्र ..... वर्ष, जाति ...... निवासी.............................., तहसील ...., जिला .... राजस्थान शपथ पूर्वक निम्न प्रकार बयान करता हूँ कि :–

1. यह कि उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र / वादपत्र में मैं वादी हूँ एवं तमाम हालात प्रकरण से पूर्ण जानकार हूँ।
2. यह कि उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित पैरा संख्या .... से .... में वर्णित सभी तथ्य बिल्कुल सही हैं।
3. यह कि शपथ पत्र को प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग समझा जावे।

शपथ ग्रहिता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथ ग्रहिता सत्यापित करता हूँ कि उक्त शपथ पत्र में 1 से 3 तक सभी तथ्य मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य व सही हैं। ईश्वर मेरी मदद करे।
दिनांक : ....
स्थान : .... शपथ ग्रहिता

संदर्भ सामग्री :–

1 हस्तक्षेप एडवोकेसी मैन्यूल–पैरवी, नई दिल्ली
2 अनुसूचित जातियों के प्राते अत्याचार निवारण रिपोर्ट / राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 2002 / के.बी. सक्सेना
3 डायमंड इण्डिया–भंवर मेघवंशी
4 तहसीलदार एक हकीकत–गोपाल दास
5 दलित इन दी वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन–ई.आई.डी.एच.आर
6 रीडींग मेटेरियल फॉर एडवोकेसी ट्रेनिंग–एन.सी.ए.एस.–पुणे
7 दलित और आदिवासियों के लिए बजट एवं योजनायें 2005–बी.ए.आर.सी. जयपुर

दलित भूमि तथा आजीविका अधिकारों पर प्रशिक्षण मार्गदर्शिका

दलित अधिकार केन्द्र

सी-56, प्रथम मंजिल, सिवाड़ एरिया,
बापू नगर, जयपुर-302015
टेलिफैक्स : 0141-2703736, 2703923
E-mail : rajasthancdr@yahoo.com, cdrjaipur@gmail.com
Website : www.dalitrights.org